



सत्यमेव जयते



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(Ministry of Health and Family Welfare)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002

पोर्टल: fssai.gov.in हेल्पलाइन: 1800-11-2100
PORTAL: fssai.gov.in FSSAI HELPLINE: 1800-11-2100

सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार

Annual Report 2013-2014

वार्षिक रिपोर्ट २०१३-२०१४

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA



सत्यमेव जयते



वार्षिक रिपोर्ट २०१३-२०१४
Annual Report 2013-2014



वार्षिक रिपोर्ट २०१३-१४
ANNUAL REPORT 2013-14

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

विषय सामग्री

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	एक विहंगम दृष्टि	1
2.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं	2
3.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011	4
4.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना और इसका गठन	5
5.	केन्द्रीय सलाहकार समिति (CAC)	12
6.	वैज्ञानिक समिति	15
7.	वैज्ञानिक पैनल	16
8.	राज्यों में खाद्य सुरक्षा का प्रवर्तन- विनियमन	18
9.	गुणवत्ता आश्वासन और मानक	20
10.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डिवीजन – एफएसएसएआई/कोडेक्स	21
11.	आयात	25
12.	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	27
13.	सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)	29
14.	मानकों का निर्धारण और उत्पाद की स्वीकृति	30
15.	सूचना का अधिकार मामले	31
16.	वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बजट	32
17.	वित्तीय विवरण	33

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Overview	1
2.	Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006	2
3.	Food Safety and Standards Regulations, 2011	4
4.	Establishment of the FSSAI and its Composition	5
5.	Central Advisory Committee (CAC)	12
6.	Scientific Committee	15
7.	Scientific Panels	16
8.	Enforcement -Regulation of Food Safety in States	18
9.	Quality Assurance and Standards	20
10.	International Cooperation Division – FSSAI/CODEX	21
11.	Imports	25
12.	Training and Capacity Building	27
13.	Information, Education and Communication (IEC)	29
14.	Standards setting and Product Approval	30
15.	RTI Matters	31
16.	Budget for the Financial Year 2013-14	32
17.	Financial Statements	33

- 1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006, 5 अगस्त, 2011 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 एवं 6 विनियमों की अधिसूचना के साथ ही प्रभावी हुआ था। वर्ष 2013-14 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करना जारी रखा। 2013-14 के दौरान विनियमों में कुछ संशोधन किए गए यथा (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संक्रामक, टॉक्सिन और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2012 (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य यौगिक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012, एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली (संशोधन), 2013।
- 1.2 खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को खाद्य प्राधिकरण के चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों और चण्डीगढ़ तथा लखनऊ स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के माध्यम से केन्द्रीय लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। 31.03.2014 तक प्राधिकरण ने 14,610 केन्द्रीय लाइसेंस और राज्य/संघ शासित सरकारों ने 4,66,057 लाइसेंस जारी किए हैं। साथ ही, 31.03.2014 तक कुल 20,73,405 खाद्य व्यवसाय संचालक उक्त प्रणाली में पंजीकृत किए गये हैं।
- 1.3 नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और निर्णायक अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में उन्हें सचेत करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं।
- 1.4 वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समितियों ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक विचार-विमर्श किया।
- 1.5 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का प्रवर्तन प्रत्यायित

- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के अभाव में कठिन है। इस उद्देश्य के लिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। अब तक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य वस्तुओं/उत्पादों के विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा प्रत्यायित 68 प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। वर्ष के दौरान कुछ वर्गों की खाद्य सामग्रियों के परीक्षण सम्बन्धी प्राचल भी तय किये गये।
- 1.6 बढ़ते हुए वैश्वीकरण के साथ, विश्व भर में उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए वृहद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। खाद्य प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (NCCP) के रूप में कार्य करते हुए, वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न कोडेक्स समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्राधिकरण स्वच्छता और पादप (SPS) मुद्दों पर पूछताछ बिंदु का कार्य भी करता है और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा, मानकों और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्षमता निर्माण में देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग में नियमित रूप से भागीदारी करता है।
- 1.7 खाद्य प्राधिकरण ने देश में खाद्य आयातों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में समुद्री, वायु और भूमि प्रवेश पत्तनों पर अधिकृत अधिकारी नियुक्त किए हैं। विभिन्न पत्तनों पर लिए गए नमूनों की संख्या के प्रतिशत में 2013-14 के दौरान बढ़ोत्तरी देखी गई है।
- 1.8 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों की सक्रिय भागीदारी से संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

- 1.1 The Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 was operationalized with the notification of the Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Regulations w.e.f 5th August 2011. In the year 2013-14, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) continued to promote the cause of availability of safe and wholesome food to the consumers. Certain amendments were carried out in the Regulations during 2013-14 viz.: (a) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012, (b) the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Second Amendment) Regulations 2012, (c) the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Second Amendment) Regulations 2012, and (d) Food Safety and Standards Rules (Amendment), 2013.
- 1.2 The Central licenses to Food Business Operators (FBOs) are issued online through the Food Licensing and Registration System (FLRS) by the five regional offices of the Food Authority located at Chennai, Delhi, Guwahati, Kolkata, and Mumbai and two sub-regional offices at Chandigarh and Lucknow. The Authority has granted 14,610 central licenses and the State/UT Governments have issued 4,66,057 licenses as on 31.03.2014. Further, a total of 20,73,405 Food Business Operators (FBOs) have been registered in the system as on 31.03.2014.
- 1.3 Extensive training programmes have been undertaken for the Designated Officers, the Food Safety Officers and the Adjudicating Officers to sensitize them about the Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006 and the Rules and Regulations made thereunder.
- 1.4 The Scientific Panels and the Scientific Committee deliberated extensively on various areas of Food Safety.
- 1.5 Enforcement of the FSS Act is difficult in the

- absence of a network of accredited food testing laboratories. For this purpose, guidelines for recognition of food testing laboratories have been finalised. Till date, the FSSAI has notified 68 laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis of food items/products. Parameters for testing of certain categories of food items were also finalised during the year.
- 1.6 With increasing globalisation, there is a need for greater International Cooperation to ensure that safe and quality food reaches the consumers all over the world. The Food Authority, acting as as the National Codex Contact Point (NCCP), has actively participated in various Codex Committees during the year 2013-2014. India had also proposed new work proposals in various Codex Committees. The Authority also serves as enquiry point for Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues and thus regularly participates in bilateral cooperation with countries in food safety, standards, and capacity building of food testing laboratories.
- 1.7 The Food Authority has appointed Authorized Officers at sea, air and land ports of entry at Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata to regulate the safety of food imports in the country. The percentage of number of samples drawn at different ports has seen an increase during 2013-14.
- 1.8 The Food Safety and Standards Authority of India is making continuous efforts for effective implementation of the FSS Act throughout the country with active participation of the State/UT Governments.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006

- 2.1 खाद्य पदार्थों से संबंधित कानूनों को एक एकल कानून में समेकित करने का कार्य कुछ समय से, खासकर 2002 के बजट भाषण में केन्द्र सरकार द्वारा इस आशय की अपनी घोषणा के पश्चात् विचाराधीन रहा था। खाद्य पदार्थों को शासित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/आदेशों को समेकित करने का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 तैयार किया जिसे अंततः संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के रूप में पारित किया गया और उसे 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिनियम विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श एवं अंतर मंत्रालयी समूह एवं संसदीय स्थाई समितियों की बैठकों में विचार-विमर्शों/मंत्रणाओं तथा मंत्रियों के समूह से इसकी स्वीकृति के बाद तैयार किया गया। अंततः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में नामित किया गया।
- 2.2 उक्त विधान के पारित होने के फलस्वरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का सितम्बर 2008 में गठन हुआ। यह बहुस्तरीय प्रणाली से एक एकल नियंत्रण बिंदु की ओर परिवर्तन का द्योतक है जिसका उद्देश्य पूर्णतः विनियामक प्रणाली की बजाय स्वतः अनुपालन है। इसने केन्द्र और राज्यों में समान लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली की भी शुरुआत की। प्राधिकरण की एक प्रमुख भूमिका विज्ञान आधारित खाद्य मानकों को कोडेक्स मानकों के साथ, जहां संभव हो, एकीकृत करके विकसित करना है। खाद्य मानकों का निर्धारण प्राधिकरण के अनेक वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम स्वीकृति के माध्यम से किया जाता है।
- 2.3 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 मानव उपभोग तथा इससे जुड़े हुए उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और

- पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात का विनियमन करता है। यदि किसी खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के पास किसी खाद्य पदार्थ कानून/आदेश के अंतर्गत कोई मौजूदा लाइसेंस है जो कि उक्त अधिनियम के लागू होने पर प्रभावित हुआ हो तो संबंधित एफबीओ अपने मौजूदा लाइसेंस या पंजीकरण को बिना किसी परेषानी के अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण या लाइसेंस में परिवर्तित करा सकते हैं।
- 2.4 छोटे एफबीओ का पंजीकरण: खाद्य व्यवसाय से संबंधित छोटे रिटेलर, हॉकर, फेरी वाले वेंडर या अस्थायी छोटे होल्डर या छोटे स्तर के या कुटीर उद्योग या अन्य ऐसे उद्योग या छोटे खाद्य व्यवसाय संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग एवं खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण) विनियमन, 2011 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्राप्त है। तथापि, खाद्य सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है क्योंकि छोटे एफबीओ से भी सफाई और स्वच्छता अपेक्षाएं पूरी करने की आशा की जाती है। ऐसे छोटे खाद्य व्यवसाय संचालक जिनका सालाना टर्नओवर रु. 12 लाख से अधिक नहीं है/या जिनकी:
- क. खाद्य पदार्थों की उत्पादन क्षमता (दूध और दूध उत्पादों और मांस या मांस उत्पादों के अलावा) 100 किलो/लीटर प्रति दिन से अधिक नहीं हो,
- ख. दूध का उत्पादन या प्रापण या संग्रहण 500 लीटर दूध प्रति दिन तक है,
- ग. वध क्षमता 2 बड़े पशु या 10 छोटे पशु या 50 पोल्ट्री पक्षी प्रति दिन या उससे कम है को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अपेक्षित है।
- पंजीकरण के लिए छोटे एफबीओ के पंजीकरण का शुल्क ₹100/- प्रति वर्ष रखा गया है और पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

- 2.1 The work on consolidation of the laws relating to food into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intention in this behalf in the Budget Speech of 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts/ Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries, who piloted the Food Safety and Standards Bill, 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 by the Parliament and the same was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 1 on 24th August, 2006 after receiving assent of the President on 23rd August, 2006. The Act was prepared after extensive consultations with various stakeholders and after a series of discussions/ deliberations in the Inter-Ministerial Group and Standing Parliamentary Committee meetings and its clearance from the Group of Ministries. Finally, the Ministry of Health and Family Welfare was designated as the Administrative Ministry for the purposes of the FSS Act, 2006.
- 2.2 The passing of this legislation has led to the creation of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in September 2008. It marks a shift from a multi-level to a single line of control with focus on self compliance rather than a pure regulatory regime. It also introduced uniform licensing/ registration regime across the Centre and the States. One of the major roles of FSSAI is the development of Science-based Food Standards by harmonising the same with Codex Standards, wherever possible. The setting of food standards is undertaken through a number of Scientific Panels and the Scientific Committee of the FSSAI and final approval by the Authority itself.
- 2.3 The Food Safety and Standards Act, 2006 envisages regulation of manufacture, storage,

distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for consumers connected therewith. If a Food Business Operator (FBO) is holding existing license/ registration under any of the Food Law/ Order which has been repealed on the commencement of this Act, the concerned FBO(s) can get the existing license or registration converted into registration or license under the Food Safety and Standards Act without any hassles by paying the required registration/ licence fees.

- 2.4 **Registration of Petty FBOs:** Petty retailer, hawker, itinerant vendor or a temporary stall holder or small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny Food Business Operator are exempted from obtaining licence under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011. However, registration is mandatory for food safety as the petty FBOs are also expected to ensure sanitary and hygienic requirements. Such of the petty food business operators whose annual turnover is not exceeding Rs. 12 lakh and/ or whose:
- production capacity of food (other than milk and milk products and meat and meat products) does not exceed 100 kg/litre per day or
 - production or procurement or collection of milk is up to 500 litres of milk per day or
 - slaughtering capacity is 2 large animals or 10 small animals or 50 poultry birds per day or less are required to register themselves under the Act.
- For registration of petty FBOs the charges for registration have been kept at Rs. 100/- per annum only and the registration procedure has also been simplified.

- 2.5 सुधार का नोटिस: एफबीओ द्वारा स्वतः अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 32 में नामित अधिकारी द्वारा एफबीओ को सुधार नोटिस जारी करने का प्रावधान है। तथापि, यदि एफबीओ सुधार नोटिस का पालन करने में असफल रहता है तो लाइसेंस को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
- 2.6 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शक्तियां और दुरुपयोग के लिए जुर्माना: खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा 6 के अंतर्गत किसी खाद्य पदार्थ के निर्माता या वितरक/डीलर के पास या एफबीओ के परिसर में मिलावट का सामान पाए जाने पर उसके हिसाब से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को संतुष्ट न कर पाने पर कार्रवाई या अभियोजन शुरू करने या खाता बहियों या अन्य दस्तावेज जब्त करने का अधिकार है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है। तथापि, यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह भी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत जुर्माने का भागी हो सकता है जो ₹1 लाख तक हो सकता है।
- 2.7 निर्णायक अधिकारियों के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 68 निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित है। निर्णायक अधिकारी को धारा 68 की उप-धारा 3 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

- 2.8 क्रेता/उपभोक्ता को खाद्य नमूना विश्लेषण प्राप्त करने की शक्तियां: अधिनियम की धारा 40 खाद्य वस्तु के किसी क्रेता को खाद्य वस्तु की खरीद करते समय एफबीओ को ऐसी वस्तुओं का विश्लेषण कराने के इरादे की नोटिस/जानकारी देने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अंतर्गत निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक/प्रयोगशाला को विश्लेषण प्रभार के तौर पर ₹1000/- के शुल्क का भुगतान करने पर खाद्य विश्लेषक से किसी वस्तु का विश्लेषण कराने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान उस अंतिम क्रेता/उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए किया गया है जिनके लिए खाद्य वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है या बिक्री की जा रही है।
- 2.9 गलत ब्रांड के खाद्य वस्तु के लिए जुर्माना: अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत गलत ब्रांड की खाद्य वस्तुओं के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो ₹3 लाख तक हो सकता है।

- 2.5 **Improvement notice:** To encourage self-compliance by the FBO, Section 32 of the FSS Act provides for issue of improvement notice to the FBO by the Designated Officer. However, if the FBO fails to comply with the improvement notice, the license can be suspended / cancelled.
- 2.6 **Powers of Food Safety Officer and penalty for misuse:** The Food Safety Officer (FSO) has been empowered under Sub-section 6 of Section 38 of the Act for initiating action or launching prosecution when any adulterant is found in the possession of a manufacturer or distributor/dealer of food or in any of the premises occupied by the FBO where he is unable to account for such possession to the satisfaction of the FSO for seizure of the account books or other documents etc. but this power is to be exercised by FSO with the approval of the Competent Authority. However, if the FSO misuses his power, he is also liable for penalty under section 39 of the Act which may extend to Rs. 1 Lakh.
- 2.7 **Powers of a Civil Court for the Adjudicating Officers:** Section 68 of Food Safety and Standards

Act deals with the procedure of adjudication. The Adjudicating Officer (AO) has been given powers of a Civil Court under Sub-section 3 of Section 68.

- 2.8 **Power to the purchaser/consumer to get the food sample analysed:** Section 40 of the Act enables the purchaser of any article of food to get the same analysed from the Food Analyst after giving a notice/information to the FBO at the time of purchase of his intention to have such food articles analysed and by paying a fee of Rs. 1000/- as analytical charges to the Food Analyst/Laboratory prescribed under Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011. This provision has been kept to empower the ultimate purchaser/ consumers for whom the food products are being manufactured or being sold.
- 2.9 **Penalty for misbranded food:** The penalty for misbranded food is provided under the Section 52 of the Act which may extend to Rs. 3 Lakhs.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011

Food Safety and Standards Regulations, 2011

- 3.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप धारा (2) के उपवाक्य (0) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2011 को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया जो 5 अगस्त, 2011 से लागू हो गए :
- (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली
 - (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011
 - (iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011
 - (iv) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य यौगिक) विनियम, 2011
 - (v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011
 - (vi) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (दूषक, टॉक्सिन एवं अवशिष्ट) विनियम, 2011
 - (vii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011

- 3.2 इसके साथ ही, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वर्णित अधिनियमन और आदेश दिनांक 5.8.2011 से रद्द हो गए हैं।
- 3.3 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 5.8.2011 से लागू कर दिया गया है। खाद्य विनियामक ढांचा अब खाद्य अपमिश्रण प्रणाली के सीमित निवारण से सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य प्रणाली में परिवर्तित हो गया है।
- 3.4 मौजूदा खाद्य मानकों की समीक्षा और कोडेक्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के साथ उनको अनुकूल बनाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है और जोखिम निर्धारण निकायों के रूप में वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की स्थापना के साथ वैज्ञानिक ढांचा तैयार कर दिया गया है।

- 3.1 In exercise of the powers conferred by clause (o) of Sub section (2) of section 92 read with section 31 of Food Safety and Standards Act, 2006, the FSSAI notified the following Rules and Regulations in the Gazette of India on 1st August, 2011 the same came into force from 5th August, 2011:
- (i) The Food Safety and Standards Rules.
 - (ii) Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011
 - (iii) Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
 - (iv) Food Safety and Standards (Food product Standards and Food Additives) Regulations, 2011
 - (v) Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011
 - (vi) Food Safety and Standards (Contaminates, Toxins and Residues) Regulations, 2011

- (vii) Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011
- 3.2 Simultaneously, the enactments and orders mentioned in the Second Schedule of the Act have been repealed w.e.f. 5.8.2011.
- 3.3 Food Safety and Standards Act has been made operational from 5.8.2011. The food regulatory framework has now moved from limited prevention of food adulteration regime to safe and wholesome food regime.
- 3.4 The exercise for review of existing Food Standards and their harmonization with Codex and other international best practices has been initiated and the Scientific framework put in place with the setting-up of the Scientific Panels and the Scientific Committee as the risk assessment bodies.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना और इसका गठन

Establishment of the FSSAI and its Composition

- 4.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना 2008 में की गई थी जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अंतर्गत कल्पित किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक निकाय है और बहु-स्तरीय, बहु विभागीय नियंत्रण से एकल नियंत्रण रेखा की ओर परिवर्तन का प्रतीक है।
- 4.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का

प्रशासनिक मंत्रालय है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 में स्थित है।

- 4.3 अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित बाइस सदस्य होंगे जिनमें से एक—तिहाई महिलाएं होंगी:—
- (क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात सदस्य,

- 4.1 The Food Safety and Standards Authority of India was set up in 2008 as envisaged under Section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006. It is the regulatory body for all matters relating to food safety and food standards and represents a shift from multi – level, multi departmental control to a single line of command.
- 4.2 Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is the Administrative Ministry of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The Chairperson and Chief Executive Officer of

FSSAI are appointed by the Central Government. The Head office of the Authority is located in New Delhi at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002.

- 4.3 As per Section 5 of the FSS Act, The Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty two members out of which one – third shall be women, namely:—
- (a) Seven members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India,



29 अगस्त, 2013 को एफडीए भवन, नई दिल्ली-110002 में आयोजित प्राधिकरण की 12वीं बैठक



The 12th Authority Meeting held on 29th August, 2013 at FDA Bhawan, New Delhi-110002



31 जनवरी, 2014 को एफडीए भवन, नई दिल्ली-110002 में आयोजित प्राधिकरण की 13वीं बैठक



The 13th Authority Meeting held on 31st January, 2014 at FDA Bhawan, New Delhi-110002

जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से कम के ना हों, जो केन्द्र सरकार के निम्नलिखित संबंधित मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

- (i) कृषि,
- (ii) वाणिज्य,
- (iii) उपभोक्ता मामले,
- (iv) खाद्य प्रसंस्करण,
- (v) स्वास्थ्य,
- (vi) विधायी मामले,
- (vii) लघु उद्योग

जो पदेन सदस्य होंगे।

- (ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से होगा;
- (ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;
- (घ) तीन प्रमुख खाद्य तकनालाजिस्ट या वैज्ञानिक;
- (ङ) राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली अनुसूची में यथा निर्दिष्ट जोनों से प्रत्येक में से

एक, परिक्रमण पर, प्रत्येक तीन वर्ष में नियुक्त होने वाले पांच सदस्य;

- (च) कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;
- (छ) खुदरा व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) खाद्य प्राधिकरण के विधिक प्रतिनिधि और खाद्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी है।

खाद्य प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 में दी गई है।

4.4 2013-14 के दौरान प्राधिकरण की बैठकें: प्राधिकरण की बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं:

शीर्षक	तिथि
12वीं प्राधिकरण बैठक	29 अगस्त, 2013
13वीं प्राधिकरण बैठक	31 जनवरी, 2014

to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministry or Departments of the Central Government dealing with-

- (i) Agriculture,
- (ii) Commerce,
- (iii) Consumer Affairs,
- (iv) Food Processing,
- (v) Health,
- (vi) Legislative Affairs,
- (vii) Small Scale Industries,

who shall be Members ex officio.

- (b) Two representatives from the food industry of which one shall be from small scale industries;
- (c) Two representatives from consumer organizations;
- (d) Three eminent food technologists or scientists;
- (e) Five members to be appointed every three years,

on rotation, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;

- (f) Two persons to represent farmers' organizations;
- (g) One person to represent retailers' organizations.

The Chief Executive Officer (CEO) is the legal representative of the Food Authority and also the member secretary of the Food Authority.

The list of the present members of the Food Authority is at **Annexure - II**

4.4 Authority Meetings during 2013-14: Authority meetings were held on following dates:

Title	Date
12 th Authority meeting	29 th August, 2013
13 th Authority meeting	31 st January, 2014

4.5 खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य

खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य अधिनियम की धारा 16 में निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं:

- (1) खाद्य वस्तुओं का निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित और मॉनीटर करना खाद्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा जिससे सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों से पूर्वाग्रह के बिना, विनियमों के माध्यम से खाद्य प्राधिकरण यह निर्दिष्ट करेगा:
 - (क) खाद्य वस्तुओं के संबंध में मानक और दिशानिर्देश और अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली;
 - (ख) खाद्य यौगिकों, फसल दूषकों, खरपतवार नाशकों के अवशिष्टों, पशुओं की दवाइयों के अवशिष्टों, भारी खनिजों, प्रसंस्करण सहायकों, माइको-टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स एवं औषध विज्ञान संबंधी सक्रिय पदार्थों के प्रयोग एवं खाद्य पदार्थों के प्रदीपन की सीमाएं;
 - (ग) खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन में संलग्न प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए पद्धतियां और दिशानिर्देश;
 - (घ) भारत में आयात की गई किसी खाद्य वस्तु के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया और प्रवर्तन;
 - (ङ) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश;
 - (च) नमूना लेने, विश्लेषण और प्रवर्तन विभागों के मध्य सूचना के विनियम की पद्धति;
 - (छ) देश में इस अधिनियम के प्रवर्तन और प्रशासन का सर्वेक्षण करना;
 - (ज) स्वास्थ्य, पोषण, विशेष आहार उपयोग पर दावों सहित खाद्य लेबलिंग मानक और खाद्य वस्तुओं के लिए खाद्य श्रेणी प्रणाली;
 - (झ) जोखिम विश्लेषण, जोखिम निर्धारण, जोखिम संवाद और जोखिम प्रबंधन करने के तरीके और प्रक्रिया।
- (3) खाद्य प्राधिकरण यह भी करेगा:
 - (क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों जिनका खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, में नीतियां और नियम बनाने के

मामले में वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहयोग प्रदान करना;

- (ख) विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित संगत वैज्ञानिक और तकनीकी डाटा की खोज, संग्रह, मिलान, विश्लेषण और संक्षेपण:—
खाद्य उपभोग और व्यक्तियों पर खाद्य उपभोग से संबंधित जोखिमों का प्रकटन;
जीव वैज्ञानिक जोखिम का प्रसंग और प्रचार;
खाद्य पदार्थों में प्रदूषक;
विभिन्न प्रदूषकों के अवशिष्ट;
प्रकट हो रहे जोखिमों की पहचान; एवं
तीव्र सतर्कता प्रणाली की शुरुआत।
- (ग) जोखिम निर्धारण पद्धतियों के विकास के लिए दिशानिर्देशों को प्रोत्साहित, समन्वित और जारी करना तथा उनका संचालन और खाद्य पदार्थ के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जोखिमों के बारे में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को संदेश प्रेषित करना;
- (घ) खाद्य सुरक्षा के संबंध में संकट प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना और संकट प्रबंधन के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित संकट इकाई के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना;
- (ङ) गतिविधियों के समन्वय, जानकारी के आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन, खाद्य प्राधिकरण के दायित्वों के अंतर्गत क्षेत्रों में कुशलता और बेहतर व्यवहारों के आदान-प्रदान द्वारा एक वैज्ञानिक सहयोग ढांचे को सुलभ बनाने के उद्देश्य से संगठनों के नेटवर्क की प्रणाली स्थापित करना;
- (च) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना कि जनता, उपभोक्ताओं, इच्छुक पार्टियों और सभी स्तर की पंचायतों को उपयुक्त पद्धतियों और साधनों के माध्यम से तीव्र, विष्वस्त, वस्तुपरक और व्यापक जानकारी प्राप्त हो;

4.5 Duties and Functions of Food Authority

The duties and functions of the Food Authority have been prescribed in Section 16 of the Act as under:-

- (1) It shall be the duty of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub - section (1), the Food Authority may by regulations specify -
 - (a) the standards and guidelines in relation to articles of food and specifying an appropriate system for enforcing various standards notified under this Act;
 - (b) the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues, residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, myco - toxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food;
 - (c) the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management systems for food businesses;
 - (d) the procedure and the enforcement of quality control in relation to any article of food imported into India;
 - (e) the procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories;
 - (f) the method of sampling, analysis and exchange of information among enforcement authorities;
 - (g) conduct survey of enforcement and administration of this Act in the country;
 - (h) food labelling standards including claims on health, nutrition, special dietary uses and food category systems for foods; and
 - (i) the manner in which and the procedure subject to which risk analysis, risk assessment, risk communication and risk management shall be undertaken.
- (3) The Food Authority shall also
 - (a) provide scientific advice and technical support

to the Central Government and the State Governments in matter of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition;

- (b) search, collect, collate, analyse and summarise relevant scientific and technical data particularly relating to -
 - (i) food consumption and the exposure of individuals to risks related to the consumption food;
 - (ii) incidence and prevalence of biological risk;
 - (iii) contaminants in food;
 - (iv) residues of various contaminants;
 - (v) identification of emerging risks; and
 - (vi) introduction of rapid alert system;
- (c) promote, co-ordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risks of food to the Central Government, State Governments and Commissioners of Food Safety;
- (d) provide scientific and technical advice and assistance to the Central Government and the State Governments in implementation of crisis management procedures with regard to food safety and to draw up a general plan for crisis management and work in close co-operation with the crisis unit set up by the Central Government in this regard;
- (e) establish a system of network of organizations with the aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices in the fields within the Food Authority's responsibility;
- (f) provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Government for improving co-operation with international organizations;
- (g) take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means;
- (h) provide, whether within or outside their area,

- (ज) अपने क्षेत्र में या इससे बाहर, खाद्य सुरक्षा और मानकों में उन व्यक्तियों, जो खाद्य व्यवसाय में हैं या खाद्य व्यवसाय में, चाहे खाद्य व्यवसाय संचालक या कर्मचारी या अन्यथा शामिल होने के इच्छुक हैं, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना;
- (झ) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपा गया अन्य कोई कार्य करना;
- (ञ) खाद्य, स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और पादप विकास स्वच्छता मानकों के विकास में योगदान करना;
- (ट) विषिष्ट खाद्य संबंधित उपायों की समतुल्यता की मान्यता पर समझौते के विकास के लिए, जहां संगत और उपयुक्त हो, योगदान करना;
- (ठ) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए खाद्य मानकों पर कार्य के संयोजन को प्रोत्साहन देना;
- (ड) यह सुनिश्चित करते समय कि देश में अपनाया गया सुरक्षा स्तर कम नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के मध्य संगति को प्रोत्साहित करना;
- (ढ) खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
- (4) खाद्य प्राधिकरण अवांछित विलम्ब के बिना निम्नलिखित

को सार्वजनिक करेगा:

- (क) अंगीकरण के एकदम बाद वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की राय;
- (ख) खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्यों और वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों द्वारा की गई रूचि की वार्षिक घोषणाओं के साथ ही बैठकों के एजेण्डों की मदों के संबंध में, यदि कोई हों, की गई रूचि की घोषणाएं;
- (ग) अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम; और
- (घ) अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टें;
- (5) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा।
- (6) खाद्य प्राधिकरण उसे प्राप्त हुई तृतीय पक्ष गोपनीय जानकारी जिसके लिए गोपनीयता का अनुरोध किया गया हो और उसे स्वीकार कर लिया गया हो, प्रकट नहीं करेगा या करने का कारण नहीं बनेगा सिवाय इसके कि जब ऐसी स्थिति हो कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सार्वजनिक करना आवश्यक हो।

4.5 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्य के निर्माण खण्ड निम्न प्रकार हैं:

training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food businesses operators or employees or otherwise;


- (i) undertake any other task assigned to it by the Central Government to carry out the objects of this Act;
- (j) contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto-sanitary standards;
- (k) contribute, where relevant and appropriate to the development of agreement on recognition of the equivalence of specific food related measures;
- (l) promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations;
- (m) promote consistency between international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced; and
- (n) promote general awareness as to food safety and food standards,
- (4) The Food Authority shall make it public without undue delay-
- (a) the opinions of the Scientific Committee

and the Scientific Panel immediately after adoption;

- (b) the annual declarations of interest made by members of Food Authority, the Chief Executive Officer, members of the advisory Committee and members of the Scientific Committee and Scientific Panel, as well as the declarations of interest if any, made in relation to items on the agendas of meetings;
- (c) the results of its scientific studies; and
- (d) the annual report of its activities;
- (5) The Food Authority may from time to time give such directions, on matters relating to food safety and standards, to the Commissioner of Food Safety, who shall be bound by such directions while exercising his powers under this Act;
- (6) The Food Authority shall not disclose or cause to be disclosed to third parties confidential information that it receives for which confidential treatment has been requested and has been accepted, except for information which must be made public if circumstances so require, in order to protect public health.

4.5 Building Blocks of the FSSAI working are given below:


निर्माण खण्ड




Building blocks




4.6 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा, जैसा इस समय मौजूद है, नीचे दिया गया है:




4.7 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय:



4.6 The organisational structure of the FSSAI, as it exists for the present, is given below:



4.7 Regional Offices of the FSSAI:



4.8 प्राधिकरण के कार्यरत डिवीजन और उनकी गतिविधियां

क्र.सं.	डिवीजन	कार्य
1.	स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> सभी स्थापना मामले, व्यक्तिगत और सेवा मामले प्राधिकरण के स्वीकृत पदों का कैडर नियंत्रण खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामले प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करना विदेशी प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्य मानव संसाधन विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2.	सतर्कता	<ul style="list-style-type: none"> सभी सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले व्हिसल ब्लोआर योजना
3.	आईईसी	<ul style="list-style-type: none"> आईईसी गतिविधियां, कार्यक्रम प्रबंधन इत्यादि जागरूकता सृजन के लिए विस्तृत योजना तैयार करना आईईसी गतिविधियों के लिए राज्यों को सहयोग की योजना
4.	सामान्य प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रयोगशालाओं का सामान्य प्रशासन खाद्य प्राधिकरण की बैठकें और उनका अनुसरण राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसका प्रकाशन लोक शिकायतें और कर्मचारियों की शिकायतें एवं कल्याण प्राधिकरण मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय निवास और आवास के लिए विस्तृत योजना तैयार करना एक से अधिक डिवीजन से संबंधित सभी मामलों का समन्वय हेल्पलाइन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन के लिए विस्तृत योजना तैयार करना
5.	प्रवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> पारगमन संबंधित मामले और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रवर्तन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाएं राज्यों/संघ क्षेत्रों के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का समन्वय और देखरेख केन्द्रीय सलाहकार समिति बैठकें और अनुसरण कार्यवाही भ्रामक और झूठे दावे और विज्ञापन लाइसेंसिंग/पंजीकरण कार्यालयों और ऑनलाइन लाइसेंसिंग के अंतर-संयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार करना
6.	आयात	<ul style="list-style-type: none"> आयातित खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्य
7.	निगरानी	<ul style="list-style-type: none"> निगरानी योजनाएं तैयार करना राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए आपात प्रतिक्रिया योजनाएं केन्द्र/राज्यों/संघ क्षेत्रों में निगरानी गतिविधियों का संचालन और समन्वय
8.	गुणवत्ता	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सूचीयन, प्रत्यायन और खाद्य आश्वासन प्रयोगशालाओं के सूचीयन, प्रत्यायन और उन्नयन से संबंधित मामलों में तकनीकी सलाह देना सभी संदर्भ प्रयोगशालाओं से संबंधित मामले तकनीकी मामलों पर केन्द्रीय एवं राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं से समन्वय नमूना लेने की प्रक्रियाएं आयातित खाद्य सहित सभी खाद्य नमूनों के लिए खाद्य विश्लेषण मानकों का समन्वय एवं मानकीकरण खाद्य परीक्षण प्रक्रियाओं की पुस्तिका का विकास एवं समीक्षा तथा प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग के लिए विस्तृत योजना तैयार करना राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान एवं जोखिम निर्धारण केन्द्र (NFSRAC) की स्थापना के लिए विस्तृत योजना तैयार करना जोखिम आकलन और खाद्य जनित बीमारियां खाद्य विश्लेषक परीक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामले

4.8 Functional Divisions within the Authority and their activities

Sr. No.	Division	Functions
1	Establishment	<ul style="list-style-type: none"> All Establishment Matters, personal and service matters. Cadre control of sanctioned post of FSSAI. Matters related to appointment of Chairperson and Members of the Food Authority. Preparation of detailed plan for strengthening of FSSAI. Work relating to foreign deputation. Human Resource development & Training of the staff.
2	Vigilance	<ul style="list-style-type: none"> All Vigilance and disciplinary matters. Whistle blower scheme.
3	IEC	<ul style="list-style-type: none"> IEC activities, Events Management etc. Preparation of detailed plan for awareness generations. Scheme for support to states for IEC activities.
4	General Administration	<ul style="list-style-type: none"> General Administration of Headquarter/Regional Officers/Laboratories. Meetings of Food Authority and follow up. Implementation of Official Language Act. Library & Information services. Preparation and publication of Annual Report. Public Grievances and Grievances & Welfare of Staff. Preparation of detailed plan for the office accommodation and housing for FSSAI Headquarter/Regional Offices. Coordination of all matters pertaining to more than one division. Preparation of detailed plan for Helpline and National Food Safety Helpline.
5	Enforcement	<ul style="list-style-type: none"> Transition related matters and enforcement of FSS Act. Licensing & Registration Procedures. Co-ordination and monitoring of implementation of FSS Act with States/UTs. Central Advisory Committee Meetings & follow up action. Misleading and false claims and advertisements. Preparation of detailed plan for inter-connecting of licensing/registration offices and online licensing.
6	Imports	<ul style="list-style-type: none"> Work related to Imported Food Safety.
7	Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> Preparation of surveillance plans. Emergency response plans for States/UTs. Undertake and coordinate surveillance activities at Centre/States/UTs.
8	Quality Assurance	<ul style="list-style-type: none"> Empanelment, Accreditation of Food Testing Laboratories and technical advice in matters related to empanelment, accreditation and up-gradation of Food Laboratories. Matters relating to all referral laboratories. Co-ordination with Central and State Food Laboratories on technical matters. Sampling Procedures. Coordination & Standardization of food analysis parameters for all food samples including imported food. Development and review of manual of food testing procedures and preparation of detailed plan for networking of laboratories. Preparation of detailed plan for setting up of National Food Science and Risk Assessment Centre (NFSRAC). Risk Assessment and Food borne diseases. All matters related to Food Analyst examination & Syllabus.

क्र.सं.	डिवीजन	कार्य
9.	विनियमन	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के स्पष्टीकरण/संशोधन से संबंधित सभी कार्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के स्पष्टीकरण/संशोधन से संबंधित सभी कार्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के स्पष्टीकरण/संशोधन से संबंधित सभी कार्य अधिनियम/नियम/विनियम इत्यादि के संबंध में संशोधनों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय पीएफए (रद्द किए गए) और संबंधित मामलों का समन्वय जैविक खाद्य फल एवं सब्जी उत्पाद आदेश (रद्द किए गए) से संबंधित संदर्भ
10.	कोडेक्स	<ul style="list-style-type: none"> सभी कोडेक्स आहार संबंधित मामले पौष्टिक आहार पर वैज्ञानिक पैनल गली में बिकने वाले खाद्य पदार्थ
11.	मानक	<ul style="list-style-type: none"> नए मानकों से संबंधित सभी कार्य और मौजूदा मानक की समीक्षा खाद्य, स्वच्छता इत्यादि के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास से संबंधित कार्य वैज्ञानिक समिति से संबंधित कार्य और समन्वय पौष्टिकता के अतिरिक्त वैज्ञानिक पैनलों से संबंधित कार्य विभिन्न कार्य बलों से संबंधित कार्य अनुसंधान एवं विकास अध्ययन एवं सर्वेक्षण विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों में संबद्ध अनुसंधान का पता लगाना और उन्हें लिपिबद्ध करना उत्कृष्टता केन्द्र और खाद्य सुरक्षा केन्द्रों की पहचान का कार्य अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान एवं संस्थानों को अनुसंधान प्रस्तावों का आबंटन वैज्ञानिक समिति और सभी वैज्ञानिक पैनलों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय जल की गुणवत्ता
12.	प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार के अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
13.	विधिक	<ul style="list-style-type: none"> अदालती मामलों से संबंधित कार्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण को कानूनी सलाह देना
14.	उत्पाद स्वीकृति	<ul style="list-style-type: none"> नए उत्पादों की स्वीकृति से संबंधित मुद्दे स्कूल भोजन की सुरक्षा
15.	वित्त एवं लेखा	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार वित्त, बजट और लेखा से संबंधित सभी मामले वित्तीय विनियमन

Sr. No.	Division	Functions
9	Regulations	<ul style="list-style-type: none"> All work related clarification/amendment of Food Safety and Standards, Act, 2006. All work related clarification/amendment of Food Safety and Standards Rules. All work related clarification/amendment of Food Safety and Standards Regulations. Co-ordination of all matters related to amendments with reference to Act/ rules/ regulations etc. Coordination of PFA (repealed) and related matters. Organic Food. References related to Fruits and Vegetables Products Order (repealed).
10	Codex	<ul style="list-style-type: none"> All Codex Alimentarius related matters. Scientific Panel on Nutraceuticals. Street Food.
11	Standards	<ul style="list-style-type: none"> All work related to new standards and review of existing standard. Work related to development of international technical standards for food, sanitary etc. Work relating to Scientific Committee & Co-ordination. Work relating to Scientific Panels except Nutraceuticals. Work relating to various task forces. Research & Development Studies and Surveys. Tracking relevant research in different laboratories & scientific institutions and documenting them. Work of identification of Centre for Excellence and Food Safety Centers. Identification of research areas and allotment of research proposals to institutions. Co-ordination of all matters relating to Scientific Committee, and all scientific panels. Water quality.
12	Training	<ul style="list-style-type: none"> Training & capacity building of State Government Officials.
13	Legal Cell	<ul style="list-style-type: none"> Work related to court cases and Legal advice to CEO, FSSAI.
14	Product Approval	<ul style="list-style-type: none"> Issues related to approval of new products. Safety of School meals.
15	Finance and Accounts	<ul style="list-style-type: none"> Financial Advisor to CEO, FSSAI. All matters related to Finance, Budget and Accounts. Financial Regulations.

केन्द्रीय सलाहकार समिति (CAC)

Central Advisory Committee (CAC)

- 5.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 11 में केन्द्रीय सलाहकार समिति (CAC) की स्थापना का प्रावधान है और धारा 12 में समिति के कार्यों का वर्णन है। केन्द्रीय सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गई है।
- 5.2 केन्द्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ताओं, संबंधित अनुसंधान निकायों एवं खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

- दो-दो सदस्य और सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त होंगे और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।
- 5.3 केन्द्र सरकार के कृषि, पशुपालन और डेरी, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण एवं वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों या विभागों या सरकारी संस्थानों या संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कृषक केन्द्रीय सलाहकार

- 5.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates the functions of the CAC. The list of the present members of the Central Advisory Committee is at **Annexure-III**.
- 5.2 The Central Advisory Committee shall consist of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories

and all Commissioners of Food Safety, and the Chairpersons of the Scientific Committee shall be ex - officio member.

- 5.3 The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Bio-technology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale



एफडीए भवन, नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 2013 को आयोजित 9वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति बैठक



9th Central Advisory Committee Meeting held on 26th April, 2013 at FDA Bhawan, New Delhi

समिति के विचार-विमर्श में आमंत्रित होंगे।

5.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन्द्रीय सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

5.5 केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण और प्रवर्तन एजेंसियों और खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के मध्य घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करती है।

5.6 समिति का प्रमुख उद्देश्य प्राधिकरण को कार्य कार्यक्रम, कार्य के प्राथमिकीकरण, संभावित जोखिमों की पहचान एवं जानकारी के एकत्रीकरण पर सलाह देना है।

5.7 वर्ष 2013-14 के दौरान, केन्द्रीय सलाहकार समिति (CAC) की बैठकें निम्न तिथियों को संपन्न हुई थीं:

शीर्षक	तिथि
9वीं सीएसी बैठक	26 अप्रैल, 2013
10वीं सीएसी बैठक	27 सितंबर, 2013
11वीं सीएसी बैठक	07 मार्च, 2014

Industries and Food and Public Distribution or government institutes or organizations and government recognised farmers' shall be invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.

5.4 The Chief Executive Officer shall be ex-officio Chairperson of the Central Advisory Committee.

5.5 Central Advisory Committee ensures close cooperation between the Food Authority and the Enforcement Agencies and Organizations operating in the field of food.

5.6 The primary mandate of the committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge.

5.7 During the year 2013-14, the Central Advisory Committee (CAC) meetings were held on following dates:

Title	Date
9 th CAC Meeting	26 th April, 2013
10 th CAC Meeting	27 th September, 2013
11 th CAC Meeting	07 th March, 2014



बिजनेस लाउंज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 में 27 सितंबर, 2013 को आयोजित 10वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति बैठक





10th Central Advisory Committee Meeting held on 27th September, 2013 at Business Lounge, Pragati Maidan, New Delhi-110001



बिजनेस लाउंज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 में 07 मार्च, 2014 को आयोजित 11वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति बैठक



11th Central Advisory Committee Meeting held on 07th March, 2014 at Business Lounge, Pragati Maidan, New Delhi-110001



6.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 14 में खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक समिति की स्थापना का प्रावधान है और इसे, जहां आवश्यक हो, सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का अधिकार है। वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक राय और खास तौर पर कार्य प्रक्रियाओं के अंगीकरण और वैज्ञानिक पैनलों की कार्य पद्धति को संगत बनाने के बारे में, की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामान्य समन्वय के लिए उत्तरदायी है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों, और किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में न आने वाले मुद्दों पर राय प्रदान करती है। जहां आवश्यक हो, और

खास तौर पर, उन विषयों के मामले में जो किसी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में नहीं आते, वैज्ञानिक समिति कार्य समूह स्थापित करने में सक्षम है और ऐसे मामलों में, वैज्ञानिक राय स्थापित करने में यह उन कार्य समूहों की कुशलता का उपयोग करती है।

6.2 वैज्ञानिक समिति में वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और किसी वैज्ञानिक पैनल से संबद्ध न रहने वाले छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं।

6.3 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वैज्ञानिक समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है।

6.1 Section 14 of the FSS Act, 2006 provides for the constitution of the Scientific Committee to provide scientific opinion to the Food Authority and has the powers, where necessary, of organizing public hearings. The Scientific Committee is responsible for the general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonization of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee provides opinions on multi - sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panel, and on issues which do not fall within the competence of any

of the Scientific Panel. Wherever necessary, and particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel, the Scientific Committee is competent to set up working groups and in such cases, it draws on the expertise of those working groups when establishing scientific opinions.

6.2 The Scientific Committee consists of the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging or affiliated any of the Scientific Panels.

6.3 The list of the present members of the Scientific Committee of FSSAI is at **Annexure – IV**.

- 7.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 में विषय विशिष्ट वैज्ञानिक पैनल की स्थापना का प्रावधान है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो जोखिम निर्धारण निकायों के तौर पर कार्य करते हैं और अपनी विचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।
- 7.2 खाद्य प्राधिकरण को नए सदस्य जोड़कर या मौजूदा सदस्यों को हटाकर या पैनल का नाम बदलकर, जैसी भी स्थिति हो, वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- 7.3 निम्नलिखित नौ (9) वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है:
- (क) क्रियात्मक भोजन, पौष्टिक, आहार विज्ञान एवं अन्य समान उत्पाद पैनल;
- (ख) नमूना विधि और विश्लेषण पैनल;
- (ग) खाद्य यौगिक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य संपर्क सामग्री पैनल;
- (घ) खाद्य श्रृंखला में दूषणकारक पैनल;
- (ङ) जीव वैज्ञानिक जोखिम पैनल;
- (च) कीटनाशक एवं एंटीबायोटिक अवशिष्ट पैनल;
- (छ) लेबलिंग एवं दावे/विज्ञापन पैनल;
- (ज) जेनेटिक तौर पर संशोधित आर्गेनिज्म एवं खाद्य पैनल;
- (झ) मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पाद पैनल
- 7.4 उपरोक्त नौ (9) वैज्ञानिक पैनलों के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है।

2013-2014 के दौरान वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के अंतर्गत आयोजित बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनल	बैठक की संख्या	दिनांक
1.	वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक पैनल	8वीं बैठक	26 जून, 2013
		9वीं बैठक	18 अक्टूबर, 2013
		10वीं बैठक	25 मार्च, 2014
2.	क्रियात्मक भोजन, पौष्टिक, आहार उत्पाद एवं अन्य समान उत्पाद पर वैज्ञानिक पैनल	11वीं बैठक	25 अप्रैल, 2013
		12वीं बैठक	18 जून, 2013
		13वीं बैठक	9 जुलाई, 2013
		14वीं बैठक	27 अगस्त, 2013
		15वीं बैठक	18 नवंबर, 2013
		16वीं बैठक	6 दिसंबर, 2013
		17वीं बैठक	21 जनवरी, 2014
		18वीं बैठक	04 मार्च, 2014
		19वीं बैठक	26 मार्च, 2014

- 7.1 Section 13 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels, which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment bodies and give their considered scientific opinion.
- 7.2 The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific panels by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the panel, as the case may be.
- 7.3 The following nine (9) Scientific Panels have been constituted-
- (a) Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and Other Similar Products;
- (b) Panel for Method of Sampling and Analysis;
- (c) Panel for Food Additives, Flavorings, Processing Aids and Material in Contact with Food;
- (d) Panel for Contaminants in the Food Chain;
- (e) Panel for Biological Hazards;
- (f) Panel for Pesticides and Antibiotic Residues;
- (g) Panel for Labelling and Claims / Advertisement
- (h) Panel for Genetically Modified Organisms and Foods.
- (i) Panel for Fish and Fisheries Products
- 7.4 The List of present Members of the above nine (9) Scientific Panels is at **Annexure – V**.

The meetings conducted during 2013-2014 under the Scientific Committee and Scientific Panel are as follows:

Sl. No.	Scientific Committee/ Scientific Panels	Number of the meeting	Date
1.	Scientific Committee	8 th meeting	26 th June, 2013
		9 th meeting	18 th October, 2014
		10 th meeting	25 th March, 2014
2.	Scientific Panel		
	Scientific Panel on Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products	11 th meeting	25 th April, 2013
		12 th meeting	18 th June, 2013
		13 th meeting	9 th July, 2013
		14 th meeting	27 th August, 2013
		15 th meeting	18 th November, 2013
		16 th meeting	6 th December, 2013
		17 th meeting	21 st January, 2014
		18 th meeting	04 th March, 2014
		19 th meeting	26 th March, 2014

3.	जीव वैज्ञानिक जोखिमों पर वैज्ञानिक पैनल	7वीं बैठक	9 अप्रैल, 2013
		8वीं बैठक	30 अगस्त, 2013
		9वीं बैठक	7 जनवरी, 2014
4.	कीटनाशकों एवं एंटीबायोटिक अवशिष्टों पर वैज्ञानिक पैनल	15वीं बैठक	10 अप्रैल, 2013
		16वीं बैठक	8 मई, 2013
		17वीं बैठक	12 जून, 2013
		18वीं बैठक	05 अगस्त, 2013
		19वीं बैठक	13 सितंबर, 2013
		20वीं बैठक	29 अक्टूबर, 2013
		21वीं बैठक	12 नवंबर, 2013
		22वीं बैठक	08 जनवरी, 2014
		23वीं बैठक	12 फरवरी, 2014
		24वीं बैठक	12 व 13 मार्च, 2014
5.	जेनेटिक तौर पर संशोधित आर्गेनिज्म एवं खाद्य पर वैज्ञानिक पैनल	5वीं बैठक	04 अक्टूबर, 2013
		6ठी बैठक	17 दिसंबर, 2013
		7वीं बैठक	22 सितंबर, 2014
6.	लेबलिंग एवं दावे/विज्ञापन पर वैज्ञानिक पैनल	11वीं बैठक	06 मई, 2013
		12वीं बैठक	03 सितंबर, 2013
		13वीं बैठक	29 नवंबर, 2013
7.	मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पाद पर वैज्ञानिक पैनल	1हली बैठक	02 जुलाई, 2013
		2सरी बैठक	15 अक्टूबर, 2013
		3सरी बैठक	23 व 24 जनवरी, 2014
8.	नमूना पद्धति एवं विश्लेषण पर वैज्ञानिक पैनल	8वीं बैठक	10 मई, 2013
		9वीं बैठक	21 नवंबर, 2013
9.	खाद्य श्रृंखला में दूषणकारकों पर वैज्ञानिक पैनल	5वीं बैठक	20 जून, 2013
		6ठी बैठक	27 दिसंबर, 2013
10.	खाद्य यौगिकों, महक, प्रसंस्करण सहायकों एवं खाद्य संपर्क सामग्री पर वैज्ञानिक पैनल	7वीं बैठक	11 मार्च, 2013
		8वीं बैठक	03 मई, 2013
		9वीं बैठक	30 सितंबर, 2013
		10वीं बैठक	30 दिसंबर, 2013
		11वीं बैठक	27 जनवरी, 2014
		12वीं बैठक	10 मार्च, 2014

3	Scientific Panel on Biological Hazards	7 th meeting	9 th April, 2013
		8 th meeting	30 th August, 2014
		9 th meeting	7 th January, 2014
4	Scientific Panel on Pesticides and Antibiotics Residues	15 th Meeting	10 th April, 2013
		16 th Meeting	08 th May, 2013
		17 th Meeting	12 th June, 2013
		18 th Meeting	05 th August, 2013
		19 th Meeting	13 th September, 2013
		20 th Meeting	29 th October, 2014
		21 st Meeting	12 th November, 2014
		22 nd Meeting	08 th January, 2014
		23 rd Meeting	12 th February, 2014
		24 th Meeting	12 th March & 13 th March, 2014
5	Scientific Panel on Genetically Modified Organisms and Foods	5 th Meeting	04 th October, 2013
		6 th Meeting	17 th December, 2013
		7 th Meeting	22 th September, 2014
6	Scientific Panel on Labelling and Claims/ Advertisements	11 th Meeting	06 th May, 2013
		12 th Meeting	03 th September, 2013
		13 th Meeting	29 th November, 2013
7	Scientific Panel on Fish and Fisheries Product	1 st Meeting	2 nd July, 2013
		2 nd Meeting	15 th October, 2013
		3 rd Meeting	23 rd & 24 th January, 2014
8	Scientific Panel on Method of Sampling and Analysis	8 th Meeting	10 th May, 2013
		9 th Meeting	21 th November, 2013
9	Scientific Panel on Contaminants in the Food chain	5 th Meeting	20 th June, 2013
		6 th Meeting	27 th December, 2013
11	Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food	7 th meeting	11 th March, 2013
		8 th meeting	03 th May, 2013
		9 th meeting	30 th September, 2013
		10 th meeting	30 th December, 2014
		11 th meeting	27 th January, 2014
		12 th meeting	10 th March, 2014

- 8.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 भारत में 5 अगस्त, 2011 से लागू हुआ है। इसमें एक प्रणाली निहित है जिसके द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकारें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मिल-जुलकर कार्य करती हैं। केन्द्रीय लाइसेंसों का निर्गम चार क्षेत्रीय कार्यालयों (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई) एवं तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (गुवाहाटी, चण्डीगढ़ एवं लखनऊ) से किया जाता है। केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा 31.03.2014 तक अधिनियम के अंतर्गत कुल 14,610 लाइसेंस जारी किए गए।
- 8.2 सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी राज्यों में संबंधित क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, अधिसूचित नामित अधिकारियों, निर्णायक अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की है। राज्य प्रयोगशालाएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रही हैं और लोक विश्लेषकों को खाद्य विश्लेषक के रूप में पुनः पदनामित किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 31.03.2014 तक अधिनियम के अंतर्गत कुल 4,66,057 लाइसेंस और 20,73,405 एफबीओ को पंजीकृत किया गया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खाद्य उत्पादों के नमूने भी लिए हैं और दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के विरुद्ध सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की कार्रवाई आरंभ की है।
- 8.3 कुल मिलाकर, 31.03.2014 तक केन्द्रीय सलाहकार समिति की 11 बैठकें आयोजित हुईं जिनमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने मुद्दों पर चर्चा की।
- 8.4 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में वर्ष 2013-2014 में प्रवर्तन डिवीजन की प्रगति निम्न प्रकार है:-
- (i) वर्ष 2013-2014 में तीन सीएसी बैठकों का संचालन;
- (क) निर्णायक अधिकारियों, (ख) नामित अधिकारी एवं (ग) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए मैनुअल तैयार किए;
- रेलवे, हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों के लिए अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति;

बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन (PHO) एवं विमानपत्तन लोक स्वास्थ्य संगठन (APHO) में नामित अधिकारियों की नियुक्ति;

रेलवे के लिए नामित अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति;

18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित राज्य/क्षेत्र में अपीलीय अधिकरण की स्थापना;

21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित राज्य/क्षेत्र में परिचालन समिति की स्थापना;

इस अवधि के दौरान 16 राज्य/संघ शासित क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार लाइसेंसिंग/पंजीकरण (FLRS) के लिए ऑन लाइन हुए:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लाइव होने की तिथि
1.	महाराष्ट्र	21 नवंबर 2013
2.	गुजरात	21 जुलाई 2013
3.	चण्डीगढ़	17 जनवरी 2013
4.	हरियाणा	22 मार्च 2013
5.	हिमाचल प्रदेश	8 मई 2013
6.	उत्तराखण्ड	8 मई 2013
7.	तमिलनाडु	26 जून 2013
8.	मध्य प्रदेश	2 सितंबर 2013
9.	राजस्थान	10 दिसंबर 2013
10.	उत्तर प्रदेश	11 दिसंबर 2013
11.	पुदुच्चेरी	3 जनवरी 2014
12.	दादरा और नगर हवेली	13 जनवरी 2014
13.	दिल्ली	16 जनवरी 2014
14.	दमन व दीव	17 जनवरी 2014
15.	पंजाब	6 मार्च 2014
16.	कर्नाटक	6 मार्च 2014

- 8.1 The FSS Act, 2006 has been operational in India since 5th August, 2011. There is in place a mechanism whereby the Central & the State Governments act in co-ordination for the implementation of the Act. Issue of Central Licensing has started from four regional offices (Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai) and three sub-regional offices (Guwahati, Chandigarh and Lucknow). A total of **14,610** licenses were issued by the Central Licensing Authority as on 31-03-2014 under the Act.
- 8.2 All the States/UTs have also appointed Food Safety Commissioners, notified Designated Officers, Adjudicating Officers and Food Safety Officers for respective areas within the State. The State laboratories continue to act as notified laboratories under FSS Act, 2006 and Public Analysts have been re-designated as Food Analysts. A total of **4,66,057** licenses and **20,73,405** FBOs registered by the States/ UTs as on 31-03-2014 under the Act. States/UTs have also taken samples of food products and initiated both civil and criminal proceedings against the errant Food Business Operators (FBOs).
- 8.3 In all, 11 Meetings of the Central Advisory Committee have been conducted upto 31-03-2014 wherein representatives of States/UTs took part and discussed their issues.
- 8.4 Progress of the Enforcement division in the year 2013-2014 w.r.t. implementation of FSS Act in States/UTs is as under:-
- (i) Conducted three CAC Meetings in the year 2013-2014;
- (ii) Prepared Manuals for (a) Adjudicating Officers, (b) Designated Officer, and (c) Food Safety Officer;
- (iii) Appointed Additional Food Safety Commissioners for Railways, Airports and Seaports;

- (iv) Appointed Designated Officers at Ports Health Organization (PHO) and Airport Public Health Organization (APHO);
- (v) Appointed Designated Officers and Food Safety Officers for the Railways;
- (vi) 18 States/UTs established Appellate Tribunal in their respective States/UTs;
- (vii) 21 States/UTs established Steering Committee in their respective States/UTs;
- (viii) 16 States/UTs went on-line for Licensing/Registration (FLRS) during the period as per the details in the table given below:

Sr. No.	Name of the State/ UT	GO-Live date
1.	Maharashtra	21 st November 2013
2.	Gujarat	21 st July 2013
3.	Chandigarh	17 th January 2013
4.	Haryana	22 nd March 2013
5.	Himachal Pradesh	8 th May 2013
6.	Uttarakhand	8 th May 2013
7.	Tamil Nadu	26 th June 2013
8.	Madhya Pradesh	2 nd September 2013
9.	Rajasthan	10 th December 2013
10.	Uttar Pradesh	11 th December 2013
11.	Puducherry	3 rd January 2014
12.	Dadra and Nagar Haveli	13 th January 2014
13.	Delhi	16 th January, 2014
14.	Daman & Diu	17 th January, 2014
15.	Punjab	6 th March 2014
16.	Karnataka	6 th March 2014

8.5 31.03.2014 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लाइसेंसिंग और पंजीकरण पर रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	जारी किए गए पंजीकरणों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	402	4705
2.	आंध्र प्रदेश	32466	94994
3.	अरुणाचल प्रदेश	1154	4621
4.	असम	3206	1898
5.	बिहार	7790	18842
6.	चण्डीगढ़	2698	306
7.	छत्तीसगढ़	4198	4474
8.	दादरा एवं नगर हवेली	697	2149
9.	दमन व दीव	258	1712
10.	दिल्ली	3741	48
11.	गोवा	2069	13816
12.	गुजरात	35843	95906
13.	हरियाणा	4100	8000
14.	हिमाचल प्रदेश	5531	65070
15.	जम्मू व कश्मीर	6827	61116
16.	झारखण्ड	5338	12680
17.	कर्नाटक	21443	84188
18.	केरल	28924	162854
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	29949	253573
21.	महाराष्ट्र	151057	535309
22.	मणिपुर	394	2350
23.	मेघालय	1193	1461
24.	मिजोरम	263	2475
25.	नागालैण्ड	280	3110
26.	उड़ीसा	4772	6877
27.	पुदुच्चेरी	352	1028
28.	पंजाब	10860	85400
29.	राजस्थान	30383	117283
30.	सिक्किम	360	1959
31.	तमिल नाडु	26013	135212
32.	त्रिपुरा	1161	3848
33.	उत्तराखण्ड	4405	31333
34.	उत्तर प्रदेश	29142	228328
35.	पश्चिम बंगाल	8788	26476
	योग	466057	2073405

कुल योग 2539462

8.5 Report on Licensing and Registration in the States/UTs as on 31-03-2014

Sr. No.	Name of the State	No. of Licenses Issued	No. of Registrations Issued
1.	Andaman & Nicobar Island	402	4705
2.	Andhra Pradesh	32466	94994
3.	Arunachal Pradesh	1,154	4,621
4.	Assam	3,206	1,898
5.	Bihar	7,790	18,842
6.	Chandigarh	2,698	306
7.	Chhattisgarh	4,198	4,474
8.	Dadara & Nagar Haveli	697	2,149
9.	Daman & Diu	258	1,712
10.	Delhi	3,741	48
11.	Goa	2,069	13,816
12.	Gujarat	35,843	95,906
13.	Haryana	4,100	8,000
14.	Himachal Pradesh	5,531	65,070
15.	Jammu & Kashmir	6,827	61,116
16.	Jharkhand	5,338	12,680
17.	Karnataka	21,443	84,188
18.	Kerala	28,924	1,62,854
19.	Lakshadweep	0	0
20.	Madhya Pradesh	29,949	2,53,573
21.	Maharashtra	1,51,057	5,35,309
22.	Manipur	394	2,350
23.	Meghalaya	1,193	1,461
24.	Mizoram	263	2,475
25.	Nagaland	280	3,110
26.	Orissa	4,772	6,877
27.	Puducherry	352	1,028
28.	Punjab	10,860	85,400
29.	Rajasthan	30,383	1,17,283
30.	Sikkim	360	1,959
31.	Tamil Nadu	26,013	1,35,212
32.	Tripura	1,161	3,848
33.	Uttarakhand	4,405	31,333
34.	Uttar Pradesh	29,142	2,28,328
35.	West Bengal	8,788	26,476
Total		4,66,057	20,73,405

Grand Total=25, 39,462

9.1 गुणवत्ता आश्वासन और मानकों के रखरखाव के भाग के रूप में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित गतिविधियां संचालित कीं:

- (i) धारा 43 (1) के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) या अन्य किसी प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा 68 प्रयोगशालाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है;
- (ii) 72 सार्वजनिक राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा 20 जिलों के समूह के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया;
- (iii) सभी राज्य/सार्वजनिक राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के आधार निर्धारण के लिए वस्तुपरक औजार (जांच सूची) और 32 निर्धारकों को अंतिम रूप दिया गया;
- (iv) 72 राज्य/सार्वजनिक राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का आधार निर्धारण 4 महीने की समय सीमा के अंतर्गत किया गया जिसमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य यानी 2 विशेषज्ञ और एक पर्यवेक्षक (प्राधिकरण या राज्य प्रतिनिधि) थे। सभी रिपोर्टों का संकलन तीन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जा रहा है;
- (v) खाद्य विश्लेषण की पद्धतियों पर 15 मैनुअलों को अंतिम रूप दिया गया है;

(vi) अंतिम लोक विश्लेषक परीक्षा 2013 आयोजित की गई और परिणाम घोषित किए गए;

(vii) जैतून के तेल, विशुद्ध जैतून के तेल, जैतून-पोमेस के तेल, च्यूइंग गम में टिटैनियम डाइ ऑक्साइड के लिए मानक, हाइड्रो जनित वनस्पति तेल में ट्रांस फैटी अम्लों (TFA) की सीमा और लाइसेंस नंबरों, वार्षिक रिटर्न और मिश्रण के निषेध की बिक्री के संबंध में संशोधन विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं;

(viii) कैफीन युक्त पेयों के लिए मानकों, पैकेज किए गए पेय जल के प्लास्टिक कंटेनरों में नीले टिंट की सीमा, एंटीबायोटिक्स शहद, कैरेमल की सीमा और आयातों पर विनियमों को अंतिम रूप दिया गया;

(ix) कार्बोक्साइल मिथाइल सेल्युलोज, कुछ खाद्य उत्पादों में कुदरती रंगों, स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड, दोहरे फोर्टिफाइड नमक में फेरस फ्यूमरेट, ग्लूकोज ऑक्सिडेस, जाइलोनेस और ब्रेड में लाइपेस इन्जाइम, पुलुनेन, विभिन्न खाद्य पदार्थों में एस्पार्टेम और एसेसल्फेम लवण, ब्रेडों में लेसिथिन के प्रयोग के लिए मानकों को अंतिम रूप दिया गया और यह मसौदा अधिसूचना की प्रक्रिया के अधीन हैं;

(x) मौजूदा मानकों की समीक्षा और उन्हें कोडेक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों से एकाकार करने के लिए कुल 67 ई-कार्य समूहों (eWGs) का गठन किया गया। समीक्षा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

9.1 As part of Quality Assurance and Standards maintenance, the FSSAI undertook the following activities:

- (i) As per Sec 43 (1), the Food Authority is competent to notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or any other accreditation agency for the purpose of carrying out analysis of samples by Food analysts under this act. 68 laboratories have been notified for a period of one year by the FSSAI during the report period;
- (ii) Finalized strategy papers on upgradation of 72 Public State Food Laboratories and establishment of a laboratory each for a cluster of 20 districts;
- (iii) Objective tool (check-list) and 32 assessors were finalized for baseline assessment of all the State/ Public State Food Laboratories;
- (iv) Baseline assessment of 72 State/ Public Food Laboratories was conducted during a time-frame of 4 months wherein each team constituted 3 members i.e. 2 experts and one observer [FSSAI or State Representative]. The detailed compilation of all the reports is under process by a committee constituting three experts;
- (v) Fifteen manuals on methods of analysis of Food have been finalized;

(vi) Final Public Analyst Exam 2013 was conducted and results were announced;

(vii) Standards for olive oil, virgin olive oils, olive-pomace oil, titanium dioxide in chewing gum, the limit of Trans Fatty Acids (TFA) in hydrogenated vegetable oil and the amendment regulations with respect to license numbers, annual return and sale of prohibition of admixture have been notified in the Gazette;

(viii) Standards for caffeinated beverages, limit of blue tint in plastic containers of packaged drinking water, limit of antibiotics honey, caramel, and regulation on imports were finalized;

(ix) Standards for Carboxyl Methyl Cellulose, natural colors in certain food products, Steviol Glycoside, Ferrous Fumarate in double fortified salt, Glucose Oxidase, Xylonase and Lipase enzymes in bread, Pullulan, Aspartame and Acesulfame salt in various foods, use of Lecithin in breads, were finalized and the same are in the process of draft notification;

(x) A total of 67 e-Working Groups (eWGs) were formed to review the existing standards and harmonize them with Codex and other international best practices. The review process has already started.

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डिवीजन – एफएसएसएआई / कोडेक्स

International Cooperation Division – FSSAI/CODEX

10.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग सुधारने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। खाद्य प्राधिकरण SPS (सफाई और पादप विज्ञान) मुद्दों पर पूछताछ बिंदु भी है और, अतएव, खाद्य मानकों, खाद्य सुरक्षा और प्रयोगशालाओं के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। इस गतिविधि के रूप में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित समझौतों को अंतिम रूप दिया है: किंगडम ऑफ नीदरलैण्ड्स के आर्थिक कार्य, कृषि और नवोत्पाद मंत्रालय के खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा प्राधिकरण के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति ज्ञापन पर 30 नवंबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के आधार पर, खाद्य सुरक्षा पर दो कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएफटीआरआई, मैसूर में जुलाई, 2013 और अक्टूबर, 2013 में आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न नामित/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य विश्लेषकों ने भाग लिया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण व्यापार एवं विकास के लिए क्षमता पहल (CITD) पर भारत-यूरोपीय संघ परियोजना का भी भाग है। इस समझौते पर भारत सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य, जैसा कि दस्तावेज में वर्णित है, “अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के व्यापार संबंधित विनियामक संस्थानों और प्रवर्तन प्रणाली की क्षमता को आधुनिक बनाना और बढ़ाना” है। यह परियोजना मई, 2013 में आरंभ हुई और सितंबर, 2017 में समाप्त होगी।

10.2 खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में खाद्य प्राधिकरण द्वारा मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया गया तथा यह मंत्रालय में अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(i) गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण, पाकिस्तान सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मध्य

द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होना है। अंतिम प्रस्तावित प्रारूप उनकी टिप्पणियों के लिए फरवरी, 2014 में पाकिस्तान भेजा गया। अब तक कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अतएव, प्रारूप को अभी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ii) आयातित और निर्यातित दोनों प्रकार की खाद्य सुरक्षा पर सउदी अरब के साथ सहमति ज्ञापन के प्रारूप को संशोधित और अंतिम रूप दिया गया। इसे अग्रिम विचार हेतु 12 मार्च, 2014 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजा गया।

10.3 कोडेक्स डिवीजन

10.3.1 विभिन्न समिति बैठकों में प्रतिभागिता और समय पर आख्याएं प्रस्तुत करना। खाद्य प्राधिकरण और संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य हितधारकों ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स समिति बैठकों में उल्लेखनीय टिप्पणियां समय पर प्रस्तुत करके निम्न प्रकार से सक्रिय सहयोग प्रदान किया:

क्र.सं.	कोडेक्स समिति बैठक	तिथि एवं स्थान
1.	कीटनाशक अवशिष्टों पर कोडेक्स समिति (CCPR) का 45वां सत्र	6 से 11 मई, 2013 बीजिंग, चीन
2.	खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति (CCFL) का 41वां सत्र	14 से 17 मई, 2013 चारलोटटाउन, कनाडा
3.	कोडेक्स आहार आयोग (CAC) का 36वां सत्र	1 से 5 जुलाई, 2013 रोम, इटली
4.	भोजन में पशु दवाइयों के अवशिष्टों पर कोडेक्स समिति (CCRVDF) का 21वां सत्र	26 से 30 अगस्त, 2013 मिनेसोटा, यूएसए
5.	विशेष आहार उपयोगों के लिए पोषण व खाद्य पर कोडेक्स समिति (CCNFSDU) का 35वां सत्र	4 से 8 नवंबर, 2013 बैंड सोडेन, जर्मनी
6.	खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति (CCFH) का 45वां सत्र	11 से 15 नवंबर, 2013 हानोई, वियतनाम
7.	मसालों और खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) का 1हला सत्र	11 से 14 फरवरी, 2014 कोच्चि, भारत
8.	मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों पर कोडेक्स समिति (CCFFP) का 33वां सत्र	17 से 21 फरवरी, 2014 बर्गेन, नार्वे

10.1 In line with the FSS Act, the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving co-operation with international organisations. FSSAI is also the enquiry point for SPS (Sanitary and Phytosanitary) issues and, thus, regularly participates in various bilateral meetings for co-operation in the area of food standards, food safety and capacity building of labs. As a part of this activity, FSSAI has finalised following agreements:

(i) MoU with the Food and Consumer Product Safety Authority of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation of the Kingdom of Netherlands on Cooperation in the field of Food Safety signed on 30th November, 2012. Based on this agreement, two Workshop-cum-Training Programmes on Food Safety were organised in CFTRI, Mysore in July, 2013 and October, 2013 in which various Designated /Food Safety Officers and Food Analysts from different states participated.

(ii) FSSAI is also a part of India-EU Project on Capacity Initiative for Trade and Development (CITD). This agreement was signed by the Govt. of India on 30th November, 2011. The aim of the project, as mentioned in the document, is to “modernize and enhance the capacity of India’s trade related regulatory institutions and enforcement system in order to meet international standards and requirements”. This project started in May 2013 and will end in September, 2017.

10.2 Draft Agreement in the field of Food safety finalised by FSSAI and under consideration in the Ministry for finalization are as follows:-

(i) Bilateral cooperation to be signed between the Quality Control Authority, Govt. of Pakistan and the Food Safety and Standards Authority of India. The final proposed draft was sent to Pakistan for

their comments in February, 2014. Till date no comments have been received. Hence, the draft is still awaiting finalization.

(ii) Draft MoU with Saudi-Arabia on food safety of both imported and exported foods was revised and finalized. It has been sent to the Ministry of Commerce and Industry on 12th March, 2014 for further consideration.

10.3 Codex Division:

10.3.1 Participation in various committee meetings and submission of comments on time

The Food Authority and the concerned Ministries/ Departments and other stakeholders have actively participated, with timely submission of significant comments, in the following Codex Committee Meetings held during the period April 2013 to March 2014 as under:

Sr. No.	CODEX Committee Meeting	Date & Venue
1.	45 th Session of Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)	6 th to 11 th May, 2013, Beijing, China
2.	41 st Session of Codex Committee on Food Labelling (CCFL)	14 th to 17 th May, 2013, Charlottetown, Canada
3.	36 th Session of Codex Alimentarius Commission (CAC)	1 st to 5 th July, 2013, Rome, Italy
4.	21 st Session of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)	26 th to 30 th August, 2013 in Minnesota, USA
5.	35 th Session of Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)	4 th to 8 th November, 2013 in Bad Soden, Germany
6.	45 th Session of Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)	11 th to 15 th November, 2013 in Hanoi, Vietnam

9.	ताजे फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति (CCFFV) का 18वां सत्र	24 से 28 फरवरी, 2014 फुकेट, थाईलैण्ड
10.	खाद्य यौगिकों पर कोडेक्स समिति (CCFA) का 46वां सत्र	17 से 21 मार्च, 2014 हांग कांग
11.	खाद्य में दूषणकारकों पर कोडेक्स समिति (CCCF) का 8वां सत्र	31 मार्च से 4 अप्रैल, 2014 हेग, नीदरलैण्ड कनाडा

10.3.2 मसालों एवं खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति का गठन

कोडेक्स आहार आयोग के 36वें सत्र में भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाली मसालों और खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के गठन के भारतीय प्रस्ताव को जुलाई 2013 में स्वीकृति प्रदान की। समिति का पहला सत्र 11 से 14 फरवरी, 2014 तक कोच्चि, भारत में सफलतापूर्वक संचालित हुआ। 40 देशों से कुल 107 प्रतिनिधियों और सात पर्यवेक्षक संगठनों ने बैठक में भाग लिया। भारत अब कोडेक्स समिति की मेजबानी करने वाले देशों के चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है।

10.3.3 8वीं सीसीसीएफ (31 मार्च से 4 अप्रैल, 2014, हेग, नीदरलैण्ड्स)

खाद्य पदार्थों में दूषणकारकों पर कोडेक्स समिति (CCCF)

ने अपना 8वां सत्र हेग, नीदरलैण्ड्स में 31 मार्च से 4 अप्रैल, 2014 तक आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता श्रीमती डॉ. वाइके टास (पशु स्वास्थ्य एवं बाजार सम्पर्क विभाग, आर्थिक कार्य मंत्रालय, नीदरलैण्ड सरकार) ने की। श्री पी.के. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक, खाद्य प्राधिकरण एवं सुश्री कनिका अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण 8वीं सीसीसीएफ में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

10.3.4 नए कार्य प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण

भारत ने निम्नलिखित मदों पर आठ नए कार्य प्रस्ताव संबंधित कोडेक्स समितियों में प्रस्तुत किए:

- खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति (CCFL) में गैर-खुदरा कंटेनरों हेतु लेबलिंग दिशानिर्देश
- मसालों एवं खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) में काली, सफेद और हरी कालीमिर्च हेतु कोडेक्स मानक
- मसालों एवं खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) में थाइम हेतु कोडेक्स मानक
- मसालों एवं खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति

7.	1 st Session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)	11 th to 14 th February, 2014 in Kochi, India
8.	33 rd Session of Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP)	17 th to 21 st February, 2014 in Bergen, Norway
9.	18 th Session of Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)	24 th to 28 th February, 2014 in Phuket, Thailand
10.	46 th Session of Codex Committee on Food Additives (CCFA)	17 th to 21 st March, 2014 in Hong Kong
11.	8 th Session of Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)	31 st March to 4 th April, 2014 in The Hague, Netherlands

10.3.2 Setting up of CCSCH

The 36th session of the Codex Alimentarius Commission accorded its approval in July 2013 to the Indian proposal to constitute the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) to be hosted by India. The first session of the CCSCH has been successfully conducted from 11th to 14th February, 2014 in Kochi, India. A total of 107 delegates from 40 countries and

seven observer organizations participated in the meeting. India has now joined the select club of nations hosting a Codex Committee.

10.3.3 8th CCCF (31 March - 4 April 2014, The Hague, The Netherlands)

The Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) held its 8th session in The Hague, The Netherlands from 31st March, to 4th April, 2014. It was chaired by Mrs. Dr. Wieke Tas, (Department of Animal Health and Market Access, Ministry of Economic Affairs, Government of the Netherlands)

10.3.4 Submission of new work proposals:

India submitted eight new work proposals on the following items in the respective Codex Committees:

- Labelling Guidelines for Non-Retail Containers in Codex Committee on Food Labelling (CCFL)
- Codex Standard for Black, white, green pepper in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)
- Codex Standard for Thyme in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)



8वें सीसीसीएफ के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में एफएसएसएआई के सहायक निदेशक श्री पी. कार्तिकेयन तथा तकनीकी अधिकारी श्रीमती कनिका अग्रवाल सदस्य के रूप में परिलक्षित हैं।



Mr. P. Karthikeyan, Assistant Director, FSSAI and Ms. Kanika Aggarwal, Technical Officer, FSSAI were members of the Indian Delegation for 8th CCCF.

(CCSCH) में जीरे हेतु कोडेक्स मानक

- (v) मसालों एवं खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) में रोजमर्रा के लिए कोडेक्स मानक
- (vi) खाद्य पदार्थों में दूषणकारकों पर कोडेक्स समिति (CCCF) में खाने के लिए तैयार मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के अधिकतम
- (vii) खाद्य पदार्थों में दूषणकारकों पर कोडेक्स समिति (CCCF) में मसालों में एफ्लाटॉक्सिन के अधिकतम स्तर की स्थापना
- (viii) ताजे फलों एवं सब्जियों पर कोडेक्स समिति (CCFFV) में ऑबरजाइन्स पर कोडेक्स मानक

10.3.5 ईडब्ल्यूजी में प्रतिभागिता

भारत ने 26 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों (eWGs) में भाग लिया और टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं। भारत 5 ईडब्ल्यूजी का अगुआ भी रहा।

10.3.6 देश में कार्यशालाएं

- (i) कोडेक्स के दायरे में अधिक हितधारकों को लाने के लिए, खाद्य प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु के रूप में, कोडेक्स आहार विज्ञान – सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं विषय पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया। पहली कार्यशाला नई दिल्ली में 2 अगस्त, 2013 को और दूसरी कार्यशाला कोच्चि, केरल में 3 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय एसईएआरओ कार्यशाला

दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य राष्ट्रों में राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के क्षमता निर्माण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नई दिल्ली में 23 से 25 अक्टूबर, 2013 तक खाद्य प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से किया गया। दक्षिण पूर्व क्षेत्र के दस सदस्य राष्ट्रों – बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्री लंका, टिमोर लेस्ते और थाईलैण्ड ने कार्यशाला में भाग लिया। कोडेक्स आहार आयोग और कोडेक्स ट्रस्ट फंड की खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री अनामारियो ब्रूनो ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

10.4 कोडेक्स एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के साथ भारतीय मानकों का तालमेल

- (i) खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य विज्ञान, खाद्य उपभोग प्रतिमान, नए विशिष्टीकरणों में विकास, नए दूषणकारकों और टॉक्सिन्स की उपस्थिति के साथ ही उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा अपेक्षित नए खाद्य यौगिकों और घटकों के उपयोग की समीक्षा करने की दृष्टि से कोडेक्स एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के साथ भारतीय खाद्य मानकों के तालमेल के लिए देश भर से विशेषज्ञों से नामांकन आमंत्रित किए। प्रत्युत्तर में कुल 450 नामांकन प्राप्त हुए जिन्हें खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला गया। विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय और प्राधिकरण की समिति द्वारा स्थापित मानदंड के आधार पर आवेदनों की जांच की गई।

- (iv) Codex Standard for Cumin in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)
- (v) Codex Standard for Rosemary in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)
- (vi) Maximum levels of Aflatoxins in ready-to-eat peanuts in Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
- (vii) Establishment of Maximum levels of Aflatoxins in Spices in Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
- (viii) Codex Standard on Aubergines in Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)

10.3.5 Participation in eWGs

India participated in 26 electronic working groups (eWGs) and comments were submitted thereafter. India was also the chair of 5 eWGs.

10.3.6 Workshops in the country

- (i) In an effort to bring in more stakeholders into the Codex fold, FSSAI, as the National Codex Contact Point, conducted two workshops on the theme of Codex Alimentarius: Principles and Procedures. The first workshop was held in New Delhi on 2nd August 2013 and the second one at Kochi, Kerala on 3rd October 2013.

(ii) International SEARO workshop

A Regional workshop on capacity building of National Codex Committees in the member States of South-East Asia was held by World Health Organization (WHO) in New Delhi from 23-25 October, 2013 with the technical collaboration of FSSAI. Ten member States of the South East Region - Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Timor Leste and Thailand participated in the workshop. Ms Annamaria Bruno, Food Safety Officer from Codex Alimentarius Commission and Codex Trust Fund also participated in the workshop.

10.4 Harmonization of Indian Standards with Codex and other International Best Practices:

- (i) The Food Authority invited nominations from experts all over the country for harmonizing the India Food Standards with Codex and other international best practices with a view to review the existing Indian Standards in view of the latest developments in food science, food consumption pattern, new specifications, presence of new contaminants and toxins as well as use of new food additives and ingredients required by the producers and manufactures. A total of 450 nominations were received in response to the invitation which was placed on the FSSAI website. The applications were scrutinized based on the opinions given by experts and criteria established by the FSSAI Committee.



दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली, 23 से 25 अक्टूबर, 2013



- (ii) अंततः 67 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह (eWGs) गठित और खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित हुए जिसमें से 49 समूहों का गठन शीर्ष मानकों (खाद्य उत्पादों के क्वालिटी वस्तु मानकों) के विकास तथा 18 समूहों का गठन समस्तरीय मानकों (खाद्य, खाद्य यौगिकों में दूषणकारकों खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशिष्टों, भोजन में पशुओं की दवाओं इत्यादि जैसे मानकों जो सभी उत्पाद श्रेणियों पर लागू होते हैं) के विकास के लिए किया गया।
- (iii) कार्य समूहों से प्राप्त प्रारूप समस्तरीय मानकों को खाद्य यौगिकों, सुगंधित, प्रसंस्करण सहायकों एवं भोजन से संपर्क सामग्री हेतु वैज्ञानिक पैनल, भोजन श्रृंखला में दूषणकारकों हेतु वैज्ञानिक पैनल और कीटनाशकों एवं एंटीबायोटिक अवशिष्ट हेतु वैज्ञानिक पैनल को आगे विचार और समीक्षा के लिए अग्रसारित किया गया। खाद्य यौगिकों, सुगंधितों, प्रसंस्करण सहायकों एवं भोजन से संपर्क

सामग्री, भोजन श्रृंखला में दूषणकारकों हेतु वैज्ञानिक पैनल और जीव वैज्ञानिक जोखिमों हेतु वैज्ञानिक पैनल के कुछ प्रारूपों के दस्तावेजों का समीक्षा कार्य पूर्ण करके उन्हें वैज्ञानिक समिति के अनुमोदन के लिए अग्रसारित किया गया। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के शीर्ष मानकों के 09 प्रारूप, मांस एवं मांस उत्पादों के 10 प्रारूप, अल्कोहल पेयों के 04 प्रारूप और शिशु दुग्ध फार्मूला के 02 प्रारूप संबंधित वैज्ञानिक पैनल एवं कार्य बल को आगे के विचार हेतु अग्रसारित किए गए।

- (iv) तत्पश्चात, वैज्ञानिक समिति और खाद्य प्राधिकरण द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी। एक बार इन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर, खाद्य प्राधिकरण मानकों के रूप में अधिसूचना से पूर्व हितधारक परामर्श और विश्व व्यापार संगठन को संदर्भ की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। खाद्य प्राधिकरण से अनुमोदन की प्रक्रिया दिसंबर, 2014 तक पूरी कर लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- (ii) Finally, 67 Electronic Working Groups (eWGs) were formed and set-up by the FSSAI, of which 49 eWGs were formed for development of Vertical Standards (Quality commodity standards of food products) and 18 eWGs for development of Horizontal Standards (Standards, such as Contaminants in Food, Food Additives, Pesticide residues in food, Veterinary Drugs in Food etc., which apply across all products categories).
- (iii) Draft Horizontal Standards received from the eWGs were forwarded to the Scientific Panel for food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food, Scientific Panel for contaminants in food-chain, Scientific Panel for biological hazards and Scientific Panel for pesticides and antibiotic residues for further consideration and review. Scientific Panel for food additives, flavourings, processing aids and

materials in contact with food, contaminants in food chain and a few drafts of scientific panel for biological hazards were completed the review work of documents and forwarded to the Scientific Committee for approval. 09 drafts of Vertical Standards of milk and milk products, 10 drafts of meat and meat products, 04 drafts of alcoholic beverages and 02 drafts of infant milk formula were forwarded to the relevant Scientific Panel and Task Forces for further consideration.

- (iv) Thereafter, these will be reviewed by the Scientific Committee and the Food Authority. Once these are adopted, the process of stake-holder consultation and reference to WTO will be initiated before notification as FSSAI Standards. Efforts are being made to complete the process of approval from the Food Authority by December, 2014.



23-25 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली स्थित होटल इम्पीरियल में दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों में राष्ट्रीय कोडेक्स समिति की क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ।



Regional Workshop on Capacity building of National Codex Committees in the Member States of South-East Asia Hotel Imperial, New Delhi, 23-25 October 2013

11.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के अनुसार, खाद्य वस्तुओं के सभी आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। इसमें निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करके किसी खाद्य वस्तु का आयात नहीं करेगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के आयात को निषिद्ध, प्रतिबंधित या अन्यथा विनियमित करते समय, इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करेगी। पुनश्च, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के अनुसार, आयातित खाद्य वस्तुओं के मामले में, खाद्य प्राधिकरण का अधिकृत अधिकारी इसका नमूना लेगा और विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को भेजेगा जो

अधिकृत अधिकारी को पांच दिन की अवधि के अंदर इसकी रिपोर्ट भेजेगा। प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, आयातित वस्तु का खाद्य सुरक्षा पक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

11.2 खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47 (5) के अनुसार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोचीन पोर्ट (समुद्री, वायु एवं भूमि) 16 प्रवेश बिंदुओं पर अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से अगस्त-सितंबर 2010 से एक चरणबद्ध तरीके से आयातित खाद्य निकासी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है। खाद्य प्राधिकरण ने जेएनपीटी मुंबई पोर्ट पर 2477 कस्टम निकासी प्रणाली का कार्यान्वयन भी किया है।

11.3 अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए प्राप्त किए गए नमूनों और जारी की गई एनओसी के संबंध में आंकड़े

11.1 As per section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006, all imports of articles of food are subject to the provisions of the Act. It stipulates that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder. Further, as per section 47(5) of the FSS Act, 2006, in case of imported articles of food, the Authorised Officer of the Food Authority shall take its sample and send to the Food Analyst of notified laboratory for analysis who shall send the report within a period of five days to the Authorised Officer. As per the test reports from the lab, the food safety aspect of

the imported consignment is ensured.

11.2 FSSAI has successfully operationalized the imported food clearance process in a phased manner since August-September 2010 through appointment of Authorized Officer in terms of section 47(5) of the FSS Act, 2006 in 16 points of entry at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Cochin Ports (including sea, air and land). FSSAI has also implemented 24x7 Customs clearance system at JNPT Mumbai port.

11.3 The data regarding the number of samples drawn & NOCs issued for the period April 2013 to March 2014 is given in **Table-1**. A total of 53,692 consignments, containing 7.24 million kilograms of imported food products, have been handled by FSSAI during the period of report. In the process, 371 consignments (0.21%), weighing 14861 kgs of food, have been issued non-conforming certificates/rejected.

तालिका-1

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक खाद्य आयात निकासी के आंकड़े

स्थान एवं पोर्ट	प्रेषणों की संख्या	मात्रा (किग्रा)	जारी किए गए गैर अनुकूलता प्रमाणपत्रों (NCC) की संख्या	जारी किए गए गैर अनुकूलता प्रमाणपत्रों (NCC) की मात्रा (किग्रा)	निकासी किए गए प्रेषणों की संख्या	निकासी की गई मात्रा (किग्रा)
चेन्नई (समुद्री पोर्ट व एयरपोर्ट)	14889	1845812	31	828 (0.04%)	12514	1844984 (99.96%)
मुंबई (जेएनपीटी, समुद्री पोर्ट एवं एयरपोर्ट)	31818	3484709	228	11055 (0.32%)	43031	3473654 (99.68%)
कोलकाता (समुद्री पोर्ट, एयरपोर्ट एवं हल्दिया)	4398	1886278	11	1423 (0.08%)	3136	1884855 (99.92%)
नई दिल्ली (आईसीडी एवं एयरपोर्ट)	2032	12065	66	1170 (9.70%)	4815	10895 (90.30%)
कोचीन (समुद्री पोर्ट एवं एयरपोर्ट)	555	17473	35	385 (20.20%)	639	17088 (97.80%)
योग	53692	7246337	371	14861 (0.21%)	64135	7231476 (99.79%)

Table-1

Data of Food Import Clearance for the period April 2013 to March 2014

Location and Port	Number of Consignments	Quantity (Kgs)	Number of Non Conforming Certificates (NCC) Issued	Quantity belonging to NCC Issued (Kgs)	Number of consignments Cleared	Quantity cleared (Kgs)
Chennai (Seaport & Airport)	14889	1845812	31	828 (0.04%)	12514	1844984 (99.96%)
Mumbai (JNPT, Seaport & Airport)	31818	3484709	228	11055 (0.32%)	43031	3473654 (99.68%)
Kolkata (Seaport, Airport & Haldia)	4398	1886278	11	1423 (0.08%)	3136	1884855 (99.92%)
New Delhi (ICDs & Airport)	2032	12065	66	1170 (9.70%)	4815	10895 (90.30%)
Cochin (Seaport & Airport)	555	17473	35	385 (20.20%)	639	17088 (97.80%)
Total	53692	7246337	371	14861 (0.21%)	64135	7231476 (99.79%)

- तालिका-1 में दिए गए हैं। 7.24 मिलियन किलोग्राम आयातित खाद्य पदार्थों के कुल 53,692 प्रेषणों को रिपोर्ट की अवधि के दौरान खाद्य प्राधिकरण द्वारा निपटाया गया है। इस प्रक्रिया में, 14681 किग्रा खाद्य वस्तुओं के 371 प्रेषणों (0.21%) को गैर अनुकूलिता प्रमाणपत्र जारी/खारिज किया गया है।
- 11.4 आयातित खाद्य वस्तुओं में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य प्राधिकरण के सामने एक प्रमुख चुनौती 16 स्थानों पर इसकी सीमित उपस्थिति है, जबकि देश में प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या 673 है। दूसरे, खाद्य प्राधिकरण के पास खाद्य नमूनों की जांच के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं की सीमित संख्या है जबकि आयात निकासी की वर्तमान प्रक्रिया में आयातित खाद्य वस्तुओं के 100% नमूनों की आवश्यकता होती है।
- 11.5 खाद्य प्राधिकरण का प्रस्ताव 2015 के दौरान 5 और समुद्री पत्तनों यथा तूतीकोरिन, कांडला, मुंदरा, काकिनाडा और विजाग पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का है। आयातकों को एकल खिड़की निकासी सुविधा प्रदान करने के लिए एफआईसीएस को आइसगेट (कस्टम निकासी प्रणाली) के साथ एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य प्राधिकरण ने पत्तनों पर आयात निकासी में लगने वाले समय को कम करने के लिए निकट भविष्य में खाद्य आयात प्राथमिकताकरण प्रणाली (FIPS) आरंभ करने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की भी योजना है जिससे कस्टम निकासी को तेज करने में मदद मिलने की आशा है।
- 11.4 One of the major challenges before the FSSAI in ensuring the food safety in imported food is its limited presence at 16 places, whereas the total number of entry points in the country are 673. Secondly, the FSSAI has limited number of notified laboratories for testing of food samples as the present process of import clearance requires 100% sampling of imported food products.
- 11.5 The FSSAI is proposing to expand its presence at 5 more sea-ports i.e. Tuticorin, Kandla, Mundra,
- Kakinada and Vizag during 2015. It is proposed to integrate FICS with Icegate (Custom Clearance System) to provide single window clearance facility to the importers. FSSAI also proposes to introduce Food Import Prioritization System (FIPS) in near future to cut short the time taken in import clearances at ports. Strengthening of lab infrastructure has also been planned which is expected to further help in expediting the custom clearances.

12.1 प्रशिक्षण डिवीजन हेतु कार्य योजना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16 (3) (ज) के अनुसार, प्राधिकरण से, चाहे अपने क्षेत्र में या उससे बाहर, उन व्यक्तियों जो कोई खाद्य व्यवसाय आरंभ करने, चाहे खाद्य व्यवसाय संचालक या कर्मचारी के रूप में या अन्यथा, के इच्छुक हों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

12.2 खाद्य सुरक्षा विनियामकों को लिए प्रशिक्षण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके अधिकारियों से स्थान, श्रमशक्ति और संकाय सदस्यों की सहायता से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये :

- पदनामित अधिकारियों के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 दिवसीय)
- निर्णायक अधिकारियों (1 दिवसीय) के लिये।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (5 दिवसीय) के लिये।

12.3 2013-14 के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

- निर्णायक अधिकारियों के लिए—

दिनांक	स्थान	राज्य
27.9.2013	तिरुवनन्तपुरम	केरल
11.1.2014	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा
24.1.2014	पणजी	गोवा, दमन एवं दीव, पुदुच्चेरी, दादरा व नगर हवेली
19.2.2014	मुबनेश्वर	उड़ीसा
25.2.2014	दिल्ली	दिल्ली

- पदनामित अधिकारियों के लिए—

दिनांक	स्थान	राज्य
8 से 11 जनवरी 2014	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम
23 से 25 जनवरी 2014	पणजी	गोवा, दमन एवं दीव, दादरा व नगर हवेली, पुदुच्चेरी
26 से 28 फरवरी 2014	दिल्ली	दिल्ली, रेलवे
19 से 21 मार्च 2014	दिल्ली	एयरपोर्ट/समुद्री पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी

- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए—

दिनांक	स्थान	राज्य
3-7 अगस्त 2013	रायपुर	छत्तीसगढ़
26-30 अगस्त एवं	भोपाल	मध्य प्रदेश
9-13 अगस्त 2013		
22-26 जुलाई 2013	लखनऊ एवं	उत्तर प्रदेश
2-6 सितंबर 2013	आगरा	
7-11 अक्टूबर 2013		
11-15 नवंबर 2013		
19-23 सितंबर 2013	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम
23-27 सितंबर 2013	रांची	बिहार, झारखण्ड

12.1 Action Plan for Training Division

In terms of section 16(3) (h) of the FSS Act, the Authority is expected to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are interested in starting any food business, whether as a food business operator or employee or otherwise.

12.2 Training for Food Safety Regulators:

The FSSAI conducted the following training programmes in various States/UTs with the support of state authorities in terms of space, manpower and faculties:

- Orientation Training Programme for Designated officers (3 days duration),
- Adjudicating officers (1 day duration) and
- Food Safety officers (5 days duration)

12.3 Details of Training Programmes conducted during 2013-14:

- For the Adjudicating Officers-

Date	Place	State
27.9.2013	Thiruvananthapuram	Kerala
11.1.2014	Guwahati	Arunachal Pradesh
		Assam
		Manipur
		Meghalaya
		Mizoram
		Sikkim
24.1.2014	Panaji	Tripura
		Goa
		Daman and Diu
		Puducherry
		Dadar and Nager Haveli
19.2.2014	Bhubaneswar	Orissa
25.2.2014	Delhi	Delhi

- For the Designated Officers-

Date	Place	State
8-11 January 2014	Guwahati	Arunachal Pradesh
		Assam
		Manipur
		Meghalaya
		Mizoram
23-25 January 2014	Panaji	Sikkim
		Goa
		Daman and Diu
		Dadar and Nagar Haveli
26-28 Feb. 2014	Delhi	Pudicherry
		Delhi
19-21 March 2014	Delhi	Railways
		Airport/Sea Port Health Officers

- For the Food Safety Officers-

Date	Place	State
3-7 August 2013	Raipur	Chhattisgarh
26-30 August and 9-13 August 2013	Bhopal	Madhya Pradesh
22-26 July 2013	Lucknow and Agra	Uttar Pradesh
2-6 September 2013		
7-11 October 2013		
11-15 November 2013		
19-23 September 2013	Guwahati	Arunachal Pradesh
		Assam
		Manipur
		Meghalaya
		Mizoram
23-27 September 2013	Ranchi	Sikkim
		Bihar
		Jharkhand
21-25 October 2013	Port Blair	Andaman and Nicobar

21-25 अक्टूबर 2013	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार
25-29 नवंबर 2013	मुबनेश्वर	उड़ीसा
25-29 नवंबर 2013	मोहाली	पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा
25-29 नवंबर 2013	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
1-5 दिसंबर एवं 16-20 दिसंबर 2013	तिरुवनन्तपुरम	केरल, पुदुच्चेरी
10-14 दिसंबर 2013	बंगलौर	कर्नाटक
26-28 फरवरी 2014	दिल्ली	दिल्ली, रेलवे

12.4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रवेश प्रशिक्षण को अंतिम रूप दिए जाने तक नव अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए क्रैश पाठ्यक्रम—

- (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 (1) (iii) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी हो और उसने उस तिथि को जब वह इस पद पर नियुक्त होता है, खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण इस उद्देश्य हेतु अनुमोदित संस्थानों में से एक मान्यताप्राप्त संस्थान में सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो।
- (ii) कुछ राज्यों ने नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया था किंतु वे नियम 2.1.3 (1) (iii) के अनुपालन के अभाव में अपने दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ थे। अतएव, प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने तक विभिन्न राज्यों में अधिसूचित नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उन्मुख कार्यक्रम की तरह एक क्रैश कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि भी उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम की ही तरह पांच दिन की है।

क्रैश पाठ्यक्रम अभी जारी है।

12.5 खाद्य प्राधिकरण में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम

- (i) 27.09.2013 को संपन्न दसवीं सीएसी बैठक में एजेंडा मद सं. 12 के अनुसार प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के मामले में, अब खाद्य प्राधिकरण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रशिक्षकों को चिन्हित करने के लिए कह रहा है जो या तो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, एफडीए भवन, नई दिल्ली या किसी अन्य चिन्हित स्थान जैसे एपीएचओ, राज्य प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली इत्यादि में विभिन्न बैचों में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के माध्यम से टीओटी (प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण) कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न राज्यों से 40 से 50 अधिकारियों का यह प्रशिक्षण तीन दिन की अवधि के लिए चरणों में चलेगा। प्रशिक्षकों को संबंधित राज्यों में नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों के घनत्व के अनुसार चिन्हित किया जाएगा। लगभग 7-9 प्रशिक्षक/संकाय राज्यों द्वारा चिन्हित किए जायेंगे, जो टीओटी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

- (ii) अब तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा टीओटी के लिए भेजे गए नामांकन/सिफारिशें मुख्य तौर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए हैं। यह विनियामक प्रणाली के बेहतर हित में है कि टीओटी/संकाय में संलग्न प्रशिक्षक अधिकृत अधिकारियों (AOs) और नामित अधिकारियों (DOs) इत्यादि को प्रशिक्षण देने में सक्षम हों और निर्धारित अनुसूची का पालन भी करें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंड का अनुमोदन कर दिया गया है और राज्यों से पात्रता मानदंड के आधार पर, प्रशिक्षक/संकाय की संशोधित/नई सूची अति शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

12.6 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामांकित संस्थानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण —

- (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 (1) (iii) के अनुसार नए भर्ती/नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का आदेश दिया गया है। आदेश के पालन के लिए, एफएसओ के लिए 60 दिनों का प्रवेश प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। प्रवेश प्रशिक्षण खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा जो मान्यताप्राप्त संस्थान या इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित संस्थान हों।
- (ii) उपरोक्त राज्यों को यह अनुपालन कि नामांकित संस्थान/संस्थाएं इस मामले में अनुमोदन की अग्रिम कार्रवाई करने के लिए समतुल्य हैं, भेजने के लिए संदर्भित किया गया है। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने संस्थान/संस्था के लिए अपने नामांकन नहीं भेजे हैं उनसे कार्य क्षेत्र और कार्य योजना का सत्यापन करने के बाद, अनुमोदन हेतु नामांकन भेजने का अनुरोध किया गया है।

Date	Place	State
25-29 November 2013	Bhubaneswar	Orissa
25-29 November 2013	Mohali	Punjab
		Chandigarh
		Haryana
25-29 November 2013	Kolkata	West Bengal
1-5 December and 16-20 December 2013	Thiruvananthapuram	Kerala
		Puducherry
10-14 December 2013	Bangalore	Karnataka
26-28 February 2014	Delhi	Delhi
		Railways

12.4 Crash course for newly notified Food Safety Officers till induction training for FSO is finalized -

- (i) As per the rule 2.1.3(1)(iii) of Food Safety and Standards Rules, 2011, a Food Safety officer is to be a full time officer and must have, on the date on which he is so appointed, successfully completed the training specified by the Food Authority, in a recognized institute, out of the institutions approved by the Food Authority for the purpose.
- (ii) Certain States had notified new FSOs who were unable to perform their duty in the absence of compliance with rule 2.1.3(1)(iii). Thus, a crash course, same as the orientation programme of FSOs appointed under PFA, was initiated to train the new FSOs notified in different states till the induction training programme is finalised. The duration of the training programme is also five days like the Orientation Training Programme.

The Crash Course is currently in progress.

12.5 Training of Trainers (ToT) Programme through centralised training at FSSAI

- (i) In the matter of Training of Trainers as per agenda item 12 in the tenth CAC meeting held on 27.09.2013, FSSAI is now asking States/UTs to identify trainers, who will undergo a

ToT (Training of Trainers) program through a centralized training either at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi or any other identified location such as APHO, State Training Institute, Delhi etc. in different batches. Comprising of 40 to 50 officers from different states, the training will run for a period of three days in phases. Trainers should be identified, in accordance with the density of DOs, FSOs and FBOs in respective states. Around 7-9 trainers/faculties should be identified by the states, who will be attending the ToT programme.

- (ii) So far, the nominations/ recommendations sent by the State/UTs for ToT, these are largely for Food Safety officers. It is in the best interest for the regulatory system that the trainers involved in ToT/ faculty are able to further impart training to the Authorised Officers (AOs) and the Designated Officers (DOs) etc. and also follow prescribed schedule. Eligibility criteria for training has been approved by the competent authority and states have been requested to send revised/ fresh lists of trainer/faculty, based on the eligibility criteria, at an early date.

12.6 Induction Training of Food Safety Officers through institutes nominated by States/UTs -

- (i) The Food Safety and Standard Rules, 2011 mandates the training of newly recruited/appointed Food Safety Officers (FSOs) vide rule 2.1.3(1) (iii). To fulfil the mandate, an induction training of FSOs for 60 days is envisaged. The induction training shall be taken care of through institutes specified by the Food Authority which must be a recognized institute or institution approved for the purpose.
- (ii) Reference to the aforesaid State has been made to send the compliances whether the institutes/institutions nominated are at par for taking further action of approval in the matter. State/UTs who have not sent their nominations for institute/institutions, have been requested to send the same, after verifying the scope of work and work plan, for approval.

- 13.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) योजनाओं और प्रस्तावों का संयोजन है जो संगठनों, समुदायों और हितधारकों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और कायम रखने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाता है। आईईसी संवर्धनात्मक गतिविधियों को चैनलबद्ध करने के लिए किसी संगठन का मुख्य आधार है। यह वह सबसे निर्णायक घटक है जिसके लिए विभिन्न हितधारकों को लक्ष्य में रखते हुए निरंतर और सतत प्रयास जरूरी है। यह लोगों को निर्णय लेने और व्यवहार को सुधारने के लिए सशक्त बनाता है।
- 13.2 आईईसी गतिविधियां जरूरतों के निर्धारण के आधार पर, दृश्यता को बढ़ाने, अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित की जाती हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न लक्ष्य समूहों को संबोधित करने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रसारित की जाती है।
- 13.3 अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के आवश्यक तत्वों के बारे में हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। लाइसेंसिंग/पंजीकरण पर देश भर में बहुत सी भाषाओं में विज्ञापन जारी किया गया। लाइसेंसिंग, पंजीकरण, लेबलिंग की प्रक्रिया, आयातित खाद्य पदार्थों और खाद्य सुरक्षा पर पैम्फलेट, पुस्तिकाएं प्रकाशित और वितरित की गईं। (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक—लाइसेंसिंग और खाद्य व्यवसाय पंजीकरण विनियम 2011 और आम प्रश्नावली (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य यौगिक विनियम 2011 और आम प्रश्नावली (iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक — दूषणकारक टॉक्सिन्स एवं अवशिष्ट विनियम 2011 और आम प्रश्नावली (iv) खाद्य सुरक्षा एवं मानक—बिक्री पर निषेध एवं प्रतिबंध विनियम 2011 और आम प्रश्नावली (v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक —प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण विनियम 2011 और आम प्रश्नावली (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रवर्तन गतिविधियों एवं

- संबंधित आम प्रश्नावली पर पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।
- 13.4 लाइसेंसिंग/पंजीकरण पर रेडियो जिंगल्स भी बनाए गए और सरकारी और निजी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए गए। दूध से निर्मित मिठाइयों में मिलावट की संभावनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए 2014 में होली के मौके पर रेडियो जिंगल जारी किया गया।
- 13.5 प्रदर्शनियों/समारोहों जैसे INDPACK, IITF, AAHAR इत्यादि में स्टॉल लगाकर, आईईसी सामग्री के प्रदर्शन और वितरण तथा खाद्य व्यवसाय संचालकों और हितधारकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करने के लिए खाद्य प्राधिकरण के विशेषज्ञों को शामिल करके शंकाओं का समाधान किया गया। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर एक पुस्तिका तैयार की गई और 10 से 14 मार्च, 2014 के दौरान आयोजित खाद्य प्रदर्शनी आहार के दौरान आगंतुकों को दिखाई और वितरित की गई। यह लेख खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया।
- 13.6 हितधारकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियमावली/विनियमों, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, इत्यादि पर जागरूक बनाने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में तमिल नाडु के 05 जिलों में जन संपर्क जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। खाद्य प्राधिकरण अन्य राज्यों में भी जन संपर्क जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियमावली/विनियमों, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, खाद्य अपमिश्रण पर 2013 में सफल (मदर डेयरी) के 63 फुट फॉल बिक्री केन्द्रों पर ऑडियो वीडियो दृश्य प्रदर्शित किए गए।
- 13.7 एक समर्पित वेबसाइट www.fssai.gov.in और सामाजिक नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक खाद्य प्राधिकरण में ताजा घटनाओं से अवगत कराने के लिए अद्यतन सूचनाओं सहित उपलब्ध हैं।

- 13.1 Information, Education and Communication (IEC) combines strategies and approaches that enable organizations, communities and stakeholders to play key roles in achieving and sustaining their defined goals. IEC is the back-bone of any organization to channelize the promotional activities. It is the most crucial component, requires continuous and constant efforts targeted at various stakeholders. It empowers people to make decisions and modify behaviours.
- 13.2 IEC activities are developed based upon needs assessments, to enhance the visibility, educate about the Act, Rules & Regulations and to generate awareness. Using various channels of communication, valuable information is being disseminated to address different target groups.
- 13.3 A lot of activities have been organized to make stakeholders aware about the essential elements of the Act, Rules & Regulations, including through the print and electronic media. Advertisement on licensing/registration was released in multilingual mode across the county. Pamphlets, Brochures on the procedure of licensing, registration, labelling, imported foods and on food safety were developed and distributed. Booklets on (i) Food Safety And Standards Licensing & Registration of Food Business Regulation 2011 and FAQs (ii) Food Safety and Standards Food Product Standards and Food Additives Regulation-2011 and FAQ (iii) Food Safety and Standards Contaminants Toxins and Residues Regulation-2011 and FAQ (iv) Food Safety and Standards Prohibition and Restriction on Sales Regulation-2011 and FAQ (v) Food Safety and Standards Laboratory and Sample Analysis Regulation-2011 and FAQ (vi) A Booklet

- on Enforcement Activities and related FAQ under food safety and standards Act 2006 have also been published.
- 13.4 Radio Jingles on licensing/ registration were also created and aired through government and private channels. Radio jingle was released on the eve of Holi in 2014 in order to make the consumers aware of the possibilities of adulteration in sweets manufactured from milk.
- 13.5 Participated in exhibition/ events like INDPACK, IITF, AAHAR etc. by putting up a stall, display and distribution of IEC materials and involving experts from FSSAI to clarify the queries raised by the Food Business Operators and other stakeholders. A booklet on Adulteration of Milk and Milk Products was developed and the same was displayed and distributed to visitors during the food exhibition AAHAR 2014 held during 10th to 14th March, 2014. The same article was also posted on the FSSAI website.
- 13.6 Mass Contact Awareness Programme for various stakeholders was taken up in 05 districts of Tamil Nadu as a pilot project to make the stakeholders aware about the FSS Act/ Rules/ Regulations, practices on food safety and hygiene, etc. FSSAI is planning to take up Mass Contact Awareness Programmes in other states also. Audio video spots on FSS Act/ Rules/ Regulations, food safety and hygiene, food adulteration for consumer awareness were displayed at 63 high foot-fall outlets of Safal (Mother Dairy) in 2013.
- 13.7 A dedicated website www.fssai.gov.in and Social networking site viz. Facebook are in place with updates on the current happenings in the Authority.

मानकों का निर्धारण और उत्पाद की स्वीकृति


Standards setting and Product Approval

14.1 खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 14 (1) और 13 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार एक वैज्ञानिक समिति और नौ वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया है। वैज्ञानिक समिति और पैनल में विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक राय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं और मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान जोखिम निर्धारण निवेश भी प्रदान करते हैं। खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति और सभी वैज्ञानिक पैनलों की अनेक बैठकें आयोजित की जिनमें विभिन्न वैज्ञानिक रायें और अनेक खाद्य मानक विकसित किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट-vi में दिया गया है।

14.2 **उत्पाद की स्वीकृति:** खाद्य प्राधिकरण का उद्देश्य मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करना है। वर्तमान में एफएसएसआर में 377 मौजूदा मानक हैं (उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में 90 प्रतिशत से अधिक इन 377 मानकों में पहले ही शामिल हैं)। वर्तमान में कोडेक्स में भी केवल करीब 2500 वर्टिकल मानक हैं।

14.3 परंपरागत और घर में पके/एथनिक भोजन के लिए केवल समस्तरीय मानक निर्धारित किए जायेंगे। सभी उपयुक्त खाद्य वस्तुओं जो मानकीकृत नहीं हैं की सुरक्षा का निर्धारण किया जाना होता है और उनमें से कुछ के लिए मानक विकसित करने की जरूरत होती है। मानक तैयार करने, मानकीकरण की प्रक्रिया और उसकी अधिसूचना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें 2-3 साल लग सकते हैं। उपभोक्ता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसा करके देश में उद्योग जगत और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई कि सभी गैर-मानकीकृत खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा की जांच की जाए। खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा उन सभी उत्पादों के लिए उत्पाद स्वीकृति (PA) मांगी जाती है जिनमें FSSR के अनुसार निर्धारित मानक नहीं होते। इस कोशिश के मद्देनजर खाद्य प्राधिकरण ने समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें हितधारकों के प्रयोग हेतु सरलीकरण के लिए तथा विधानों के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे से सभी संबंधितों के सक्रिय सहयोग के साथ संशोधित किया गया है।

14.4 वर्ष के दौरान 383 अनापत्ति प्रमाणपत्र/उत्पाद स्वीकृतियां मंजूर की गईं। वर्तमान में उत्पाद स्वीकृति प्रक्रिया के लिए परामर्श सं. P 15025/01/2013-PA/FSSAI दिनांक 11 मई 2013 के अनुसार विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। उत्पाद स्वीकृति का प्रक्रिया प्रवाह निम्न प्रकार है:




14.1 FSSAI has constituted a Scientific Committee and Nine Scientific Panels in terms of provisions contained in Sections 14(1) and 13(1) of the FSS Act. The Scientific Committee and the Panels comprise of independent scientific experts for providing scientific opinion on various issues and also provide risk assessment inputs during the process of standard setting. The FSSAI has successfully organized several meetings of the Scientific Committee and all the Scientific Panels in which various scientific opinions and several food standards have been developed, with the details given in **Annexure - VI**.

14.2 **Product Approval:** The mandate of FSSAI is to ensure safe and wholesome food for human consumption. At present there are 377 existing standards in FSSR (Over 90 % of the food consumed is already covered in these 377 standards). At present even in Codex there are only about 2500 vertical standards.

14.3 For the traditional and home cooked/ethnic food only horizontal standards would be prescribed. All proprietary food items which are not standardised have to be assessed for their safety and for some of them standards need to be developed. The process of drawing up of standards, standardisation and further notification of the same is a long process and may take 2-3 years. In order to ensure safety of food for consumer and by doing so facilitating industry and food processing units in the country, a system was put in place to ensure that all non-standardised food is screened for safety. Product Approval (PA) is sought by FBOs for all products which do not have prescribed standards as per the FSSR. Towards this endeavor FSSAI has issued guidelines from time to time which have been modified for simplification for use by stake holders and with active participation of all concerned with an intention to achieve the objective and scope of the statutes.

14.4 383 No Objection Certificates/Product Approvals have been granted during the year. At present the detailed guidelines for Product Approval procedure as per advisory No. P 15025/01/2013-PA/FSSAI dated 11th May 2013 are being followed. The process flow of PA is as given under:



निम्न विवरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में प्राप्त सूचना का अधिकार अनुरोधों के संबंध में तथ्यों को दर्शाता है:

	01.04.2013 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य पीए को अंतरित मामलों सहित)	अन्य पीए को अंतरित मामलों की संख्या	अनुरोध/अपील खारिज किए गए निर्णय	अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए निर्णय
अनुरोध		256	33	0	223
पहली अपील	-	22	-	22	-

पदनामित सीपीआईओ की संख्या	पदनामित अपीलीय प्राधिकरणों की संख्या
14	06

अनुरोध अस्वीकार करते समय विभिन्न प्रावधानों के प्रयोग की संख्या													
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराएं													
धारा 8 (1)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	Other
शून्य													

वसूल किए गए प्रभारों की राशि (रु. में)		
पंजीकरण शुल्क राशि	अतिरिक्त शुल्क व अन्य कोई प्रभार	जुर्माना की राशि
1220	590	

वेबसाइट पर कार्रवाई प्रकटन अपलोड करने की अंतिम तिथि

Following statement depicts facts in respect of RTI requests received in Food Safety and Standards Authority of India:

	Opening Balance as on 01.04.13	Received during the year (including cases transferred to other PAs)	No. of cases transferred to other PAs	Decisions where requests/ appeals rejected	Decision where requests/ appeals accepted
Request	0	256	33	0	223
First Appeals	-	22	-	22	-

No. of CPIOs designated	No. of Appellate Authority designated
14	06

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act 2005													
Section 8 (1)										Sections			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	Other
NIL													

Amount of charges Collected (in Rs.)		
Registration Fee Amount	Additional Fee & Any other charges	Penalties Amount
1220	590	

Last date of uploading the pro-active disclosures on the website.

16.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारतीय खाद्य प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण के बजट अनुमान का अनुमोदित परिव्यय 85.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 65.00 करोड़ रुपए तथा अंतिम अनुमान में 56.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह उल्लेख किया जाता है कि राशियों का उपयोग वेतन, प्रोफेशनल सेवाओं, कार्यालय खर्चों, यात्रा खर्चों, किराया दरों एवं करों, आईईसी, मोटर वाहन एवं रखरखाव इत्यादि में किया गया। 60.00 करोड़ रुपए (56.93 करोड़ + पिछले वर्ष का 3.07 करोड़ का बिना व्यय किया हुआ शेष) की उपलब्ध राशि में से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 42.13 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जिससे 17.88 करोड़ रुपए का बिना व्यय किया शेष बच गया।

16.2 पुनश्च, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 9.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। यद्यपि, इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कैबिनेट नोट का अनुमोदन होना शेष है।

16.1 During the Financial Year 2013-14, the approved outlay of Budget Estimate of FSSAI under Central Sector Scheme for Strengthening of FSSAI was Rs. 85.00 Crore which was subsequently reduced to Rs. 65. 00 Crore at Revised Estimate and Rs. 56.93 Crore in Final Estimate stage. It is mentioned that the funds were utilized towards Salary, Professional Services, Office Expenses, Travelling Expenses, Rent Rates & Taxes, IEC, Motor Vehicle and Maintenance etc. Against the available funds of Rs. 60.00 Crore (56.93 Crore + 3.07 Crore Unspent Balance of previous year) Rs. 42.13 Crore has been utilized in the Financial Year 2013-14 thereby leaving an unspent balance of Rs. 17.88 Crore.

16.2 Further, an amount of Rs. 9.16 Crore was released by Ministry of Health & Family Welfare under Centrally Sponsored Scheme for strengthening of the State Food Regulatory System. However, funds could not be utilized as the Cabinet Note is yet to be approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

अध्याय

17

परिशिष्ट

CHAPTER

17

Financial Statements

वित्तीय विवरण



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष
2013-2014 हेतु

एसआरएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004597एन

FINANCIAL STATEMENTS



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

FOR THE
FINANCIAL YEAR 2013-2014

ASRN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:- 004597N

विषय वस्तु

तुलन पत्र

आय एवं व्यय लेखा

उपरोक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

प्राप्ति और भुगतानों का विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र

(राशि रु. में)

संचित/पूंजी कोष और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
संचित/पूंजी कोष	1	68,17,10,167	30,70,03,716
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/स्थायी कोष	3	2,34,01,497	2,34,01,497
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	34,94,31,445	7,35,61,921
योग		1,05,45,43,109	40,39,67,134
परिसम्पत्तियां			
स्थिर परिसम्पत्तियां	8	2,73,47,716	2,34,01,497
निवेश-चिन्हित/स्थायी कोष से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	1,02,71,95,393	38,05,65,637
विविध व्यय (बट्टे न डाले गए या समायोजित सीमा तक)		-	-
योग		1,05,45,43,109	40,39,67,134
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	27		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक (कोडेक्स एवं एफए)

उप निदेशक (वित्त)

सहायक लेखा अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20.08.2014

CONTENTS

BALANCE SHEET

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2014

(Amount Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	68,17,10,167	30,70,03,716
Reserves And Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	2,34,01,497	2,34,01,497
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities & Provisions	7	34,94,31,445	7,35,61,921
TOTAL		1,05,45,43,109	40,39,67,134
ASSETS			
Fixed Assets	8	2,73,47,716	2,34,01,497
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments-Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,02,71,95,393	38,05,65,637
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		1,05,45,43,109	40,39,67,134
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

DIRECTOR (CODEX & FA)

DY. DIRECTOR (FINANCE)

ASTT. ACCOUNTS OFFICER

PLACE : NEW DELHI

DATE : 20.08.2004

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सेवाओं से आय	12	26,62,29,155	24,88,80,249
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान/सबसिडी	13	42,13,37,718	40,47,06,328
शुल्क/सदस्यता शुल्क	14	-	-
निवेशों से आय (चिन्हित/स्थाई कोषों से कोषों में अंतरित निवेश से आय)	15	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशनों इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,70,08,038	58,74,901
अन्य आय	18	3,87,021	5,70,239
तैयार माल के स्टॉक और कार्य प्रगति में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
योग क		70,49,61,932	66,00,31,717
व्यय			
स्थापना व्यय	20	9,77,02,264	10,28,61,525
प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21	21,01,32,692	31,83,57,766
मरम्मत व रखरखाव व्यय	22	1,03,11,322	1,32,20,835
अनुदानों, सबसिडी इत्यादि पर व्यय	23	30,00,000	70,00,000
मूल्यहास	24	91,09,203	-
ब्याज	25	-	-
योग ख		33,02,55,481	44,14,40,126
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		37,47,06,451	21,85,91,591
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-	-
संचित/पूंजी कोष में ले जाया गया अधिशेष/(न्यून) कोष		37,47,06,451	21,85,91,591
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	27		

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2014

(Amount Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Services	12	26,62,29,155	24,88,80,249
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India	13	42,13,37,718	40,47,06,328
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	1,70,08,038	58,74,901
Other Income	18	3,87,021	5,70,239
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL(A)		70,49,61,932	66,00,31,717
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	9,77,02,264	10,28,61,525
Administrative Expenses etc.	21	21,01,32,692	31,83,57,766
Repair & Maintenance Expenses	22	1,03,11,322	1,32,20,835
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	30,00,000	70,00,000
Depreciation	24	91,09,203	-
Interest	25	-	-
TOTAL(B)		33,02,55,481	44,14,40,126
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		37,47,06,451	21,85,91,591
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		37,47,06,451	21,85,91,591
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक (कोडेक्स एवं एफए) उप निदेशक (वित्त) सहायक लेखा अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2014

CHIEF EXECUTIVE OFFICER DIRECTOR (CODEX & FA) DY. DIRECTOR (FINANCE) ASTT. ACCOUNTS OFFICER

PLACE : NEW DELHI
DATE : 20.08.2014

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 1 – संचित/पूंजी कोष:	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	30,70,03,716	8,71,11,775
जोड़ें: संचित/पूंजी कोष में योगदान		
जोड़ें/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखा से		
अंतरित निवल आय/(व्यय)	37,47,06,451	21,98,91,941
घटाएं: स्थिर परिसंपत्ति कोष में अंतरित राशि		
वर्ष के अंत में शेष	68,17,10,167	30,70,03,716

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूंजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
योग	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	30,70,03,716	8,71,11,775
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the		
Income and Expenditure Account	37,47,06,451	21,98,91,941
Less: amount transferred to Fixed Asset Fund		
BALANCE AS AT THE YEAR - END	68,17,10,167	30,70,03,716

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 3 – विन्हित/स्थाई कोष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	अचल संपत्ति निधि	अचल संपत्ति निधि
क) कोष का आरंभिक शेष	2,34,01,497	2,47,50,497
ख) कोष में वृद्धि:		
i- अनुदान/मंजूरियां	-	-
ii- कोषों में किए गए निवेश से आय	-	-
iii- अन्य वृद्धियां (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
अ) पूंजीगत व्यय – योजना	-	33,56,702
ब) पूंजीगत व्यय – गैर योजना	-	-
स) उपहार पूंजी	-	-
द) जीपीएफ में कर्मचारी अंशदान	-	-
फ) जीपीएफ लेखा में जमा ब्याज	-	-
ज) अग्रिमों की वापसी	-	-
iv- जमा आरक्षित	-	-
v- संचित कोष से अंतरण	-	-
योग (ख)	-	33,56,702
योग (क+ख)	2,34,01,497	2,81,07,199
ग) कोष के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय		
1. पूंजीगत व्यय	-	-
–स्थिर परिसंपत्तियां	-	-
–अन्य	-	-
–निष्प्रयोज्य सामग्री का निपटान	-	-
–वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	47,05,702
योग	-	47,05,702
2. राजस्व व्यय		
–वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि	-	-
–किराया	-	-
–अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
–स्टाफ को अग्रिम	-	-
–स्टाफ और कलाकारों को अंतिम भुगतान	-	-
–दावा रहित शेष को अंतरित	-	-
–स्टाफ द्वारा अंतिम आहरण	-	-
योग	-	-
योग (ग)	-	47,05,702
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	2,34,01,497	2,34,01,497

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
a) Opening balance of the funds	2,34,01,497	2,47,50,497
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure - Plan	-	33,56,702
b) Capital Expenditure - Non Plan	-	-
c) Gifted Capital	-	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer from Corpus Fund	-	-
Total (b)	-	33,56,702
TOTAL (a+b)	2,34,01,497	2,81,07,199
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
-Fixed Assets	-	-
-Others	-	-
-Disposal of unserviceable material	-	-
-Depreciation during the year	-	47,05,702
Total	-	47,05,702
ii. Revenue Expenditure		
-Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
-Rent	-	-
-Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
- Transferred to Unclaimed Balances	-	-
- Final Withdrawls by staff	-	-
Total	-	-
TOTAL (c)	-	47,05,702
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	2,34,01,497	2,34,01,497

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		
ए) मियादी ऋण	-	-
बी) उद्भूत और देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
ए) मियादी ऋण	-	-
– उद्भूत और देय ब्याज	-	-
बी) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– उद्भूत और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-
2. State Government(Specify)	-	-
3. Fiancial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
-Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
7. स्थिर जमाएं	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसंपत्तियों के बंधक से प्रतिभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans(specify)	-	-
5. OtherInstitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार		
क) वस्तुओं/सेवाओं हेतु (अनुसूची 7.1 के अनुसार)	4,82,70,634	1,57,59,973
ख) अन्य (अनुसूची 7.2 के अनुसार)	20,569	1,44,07,947
3. धरोहर राशि जमाएं	7,11,000	7,20,000
4. उद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं:		
क) प्रतिभूत ऋणों/उधारों पर	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋणों/उधारों पर	-	-
5. वैधानिक देयताएं:		
क) अति देय	-	-
ख) अन्य	92,828	14,06,641
6. अन्य चालू देयताएं:		
क) वेतन से कटौतियां	5,62,938	5,91,217
ख) पुराने चेक	11,36,342	8,17,524
ग) प्राप्त प्रतिभूत राशियां	77,76,697	91,56,460
7. व्यय न किए गए अनुदानों का वर्ष के अंत में शेष		
क) व्यय रहित अनुदान वर्ष के अंत में	27,02,64,441	3,07,02,159
योग (क)	32,88,35,449	7,35,61,921

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	4,82,70,634	1,57,59,973
b) Others (as per Schedule-7.2)	20,569	1,44,07,947
3. Earnest Money Deposits	7,11,000	7,20,000
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	92,828	14,06,641
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	5,62,938	5,91,217
b) Stale Cheques	11,36,342	8,17,524
c) Security Deposits received	77,76,697	91,56,460
7. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	27,02,64,441	3,07,02,159
TOTAL (A)	32,88,35,449	7,35,61,921

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	-	-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. सेवानिवृत्ति/पेशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
विधिक एवं प्रोफेशनल व्यय	70,11,205	-
वेतन व्यय	30,00,000	-
देय कार्यालय रखरखाव व्यय	14,48,175	-
देय सम्मेलन व्यय	50,000	-
देय किराया दर एवं कर	2,25,000	-
देय प्रशिक्षण व्यय	5,00,000	-
मोटर वाहन	5,00,000	-
कार्यालय व्यय	9,73,200	-
आपूर्ति एवं सामग्री	2,00,000	-
यात्रा	10,00,000	-
अवकाश वेतन एवं पेशन	55,71,000	-
लेखा परीक्षा शुल्क	67,416	-
चिकित्सा व्यय	50,000	-
योग (ख)	2,05,95,996	-
योग (क+ख)	34,94,31,445	7,35,61,921

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
Legal & Professional Expenses	70,11,205	-
Salary Expenses	30,00,000	-
Office Maintenance Expenses Payable	14,48,175	-
Conference Expenses Payable	50,000	-
Rent Rate & Taxes Payable	2,25,000	-
Training Exp Payable	5,00,000	-
Motor Vehicle	5,00,000	-
Office Expenses	9,73,200	-
Supply & Material	2,00,000	-
Travelling	10,00,000	-
leave salary & Pension	55,71,000	-
Audit Fees	67,416	-
Medical Expenses	50,000	-
TOTAL (B)	2,05,95,996	-
TOTAL (A+B)	34,94,31,445	7,35,61,921

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7.1 – वस्तुओं/सेवाओं हेतु विविध लेनदार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट	-	79,05,134
निदेशक, सीसीडीयू, पीएचईडी, पश्चिम बंगाल सरकार	-	43,89,000
सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	-	15,48,044
इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी	-	6,64,000
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियरिंग डिपार्ट. चेन्नई	-	3,92,845
सत गुरु मैनेजमेंट कन्सल्टेंट प्रा. लि.	-	3,59,010
फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी सपोर्ट एंड डेवलपमेंट	-	2,85,000
विविध लैंडस्केप एंड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	-	1,16,350
ट्रैक इन्फोविजन प्रा. लि.	-	58,000
स्वास्तिक कम्पनी	-	23,435
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स	-	17,500
विद्युत इंजीनियरिंग	-	1,655
कंट्रोलर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन	500	-
आर.के. सक्सेना, उप निदेशक	60	-
प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के दावे	4,82,70,074	-
योग	4,82,70,634	1,57,59,973

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES	Current Year	Previous Year
National Institute of Smart Govt.	-	79,05,134
Director,CCDU,PHED,Govt of West Bengal	-	43,89,000
CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	-	15,48,044
INDIRA GANDHI OPEN UNIVERSITY.	-	6,64,000
Chennai Port Trust Engineering Deptt, Chennai	-	3,92,845
Sat Guru Management Consultants Pvt Ltd	-	3,59,010
FOUNDATION FOR COMMUNITY SUPPORT AND DEVELOPMENT,	-	2,85,000
Vividh Landscape & Consultants Pvt Ltd.	-	1,16,350
Track Infovision Pvt Ltd	-	58,000
Swastik Company	-	23,435
NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGICALS	-	17,500
Vidutt Engineering.	-	1,655
Controller Food & Drug Administration	500	-
R.K SAXENA, DIRECTOR	60	-
ACCREDITED LABORATORIES CLAIMS	4,82,70,074	-
TOTAL	4,82,70,634	1,57,59,973

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7.2 – अन्य हेतु विविध लेनदार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
देय प्रोफेशनल व्यय	-	-
अनुबंधित स्टाफ को देय वेतन	-	82,80,134
देय वेतन व्यय	-	-
देय कार्यालय रखरखाव व्यय	-	-
देय सम्मेलन व्यय	-	7,39,830
देय मोटर टैक्सी किराया व्यय	-	-
देय डाक एवं टेलीग्राम व्यय	-	2,00,000
देय लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
देय बिजली व्यय	-	-
देय टेलीफोन व्यय	-	-
लेखा शुल्क देय	20,569	20,569
देय जल व्यय	-	-
देय किराया दर एवं कर	-	-
देय प्रशिक्षण शुल्क	-	51,67,414
देय सुरक्षा व्यय	-	-
मोटर वाहन	-	-
कार्यालय व्यय	-	-
आपूर्ति एवं सामग्री	-	-
यात्रा	-	-
योग	20,569	1,44,07,947

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS	Current Year	Previous Year
Professional Expenses Payable	-	-
Salary to Contractual Staff Payable	-	82,80,134
Salary Expenses Payable	-	-
Office Maintenance Expenses Payable	-	-
Conference Expenses Payable	-	7,39,830
Motor Taxi Hire Charges Payable	-	-
Postage & Telegramme Expenses Payable	-	2,00,000
Audit Fees Payable	-	-
Electricity Expenses Payable	-	-
Telephone Expenses Payable	-	-
Interest Expenses Payable	20,569	20,569
Water Expenses Payable	-	-
Rent Rate & Taxes Payable	-	-
Training Exp Payable	-	51,67,414
Security Exp Payable	-	-
Motor Vehicle	-	-
Office Expenses	-	-
Supply & Material	-	-
Travelling	-	-
TOTAL	20,569	1,44,07,947

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 8 – स्थिर परिसंपत्तियां														
क्र. सं.	विवरण	विभागों का दर	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यंकन	कुल संपत्तियां			साल के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यंकन	साल के शुरू में जैसा है	साल के दौरान आंशिक शेष पर	साल के दौरान योग पर	साल के अंत तक कुल	शुद्ध संपत्ति	
				Additions during the year		साल के अंत तक योग							वर्तमान साल के अंत तक	पिछले साल के अंत तक
				02.10.2013 तक योग	02.10.2013 तक योग									
क.	भूमि													
	फ्रीहोल्ड	0%												
	लीजहोल्ड	0%												
ख.	भवन													
	क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख. लीजहोल्ड भूमि पर	10%	-	-	22,58,700		22,58,700	-	-	1,12,935	-	1,12,935	21,45,765	-
ग.	प्लांट, मशीनें एवं उपकरण													
	लैब उपकरण	15%	43,11,076	-	-	-	43,11,076	8,77,253	5,15,073	-	-	13,92,327	29,18,749	34,33,823
	पानी की पाइपलाइन	15%	12,35,000	-	-	-	12,35,000	4,09,634	1,23,805	-	-	5,33,439	7,01,561	8,25,366
	मशीनें व उपकरण	15%	-	6,90,273	20,32,564		27,22,837	-	-	2,55,983	-	2,55,983	24,66,854	-
घ.	वाहन – एम्बेसडर कार	15%	5,63,772	-	-	-	5,63,772	3,45,672	32,715	-	-	3,78,387	1,85,385	2,18,100
ङ.	फर्नीचर्स एवं फिक्स्चर्स	10%	37,05,977	3,44,428	6,51,323		47,01,728	9,27,892	2,77,809	67,009	-	12,72,709	34,29,014	27,78,085
च.	कार्यालय उपकरण								-	-	-	-	-	-
	इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी मशीन	15%	80,608	-	-	-	80,608	33,685	7,038	-	-	40,723	39,885	46,923
	फोटोकॉपी मशीन	15%	19,15,355	-	49,051	-	19,64,406	7,50,941	1,74,662	3,679	-	9,29,282	10,35,124	11,64,414
	रेफ्रिजरेटर	15%	2,12,585	-	-	-	2,12,585	63,880	22,306	-	-	86,186	1,26,399	1,48,705
	स्कैनिंग मशीन	15%	1,56,750				1,56,750	67,706	13,357	-	-	81,062	75,688	89,044
	वैक्यूम क्लीनर	15%	7,790	-	-	-	7,790	3,724	610	-	-	4,334	3,456	4,066
	वीजीए स्विचर एवं स्प्लटर	15%	50,840	-	-	-	50,840	19,312	4,729	-	-	24,041	26,799	31,528
	बीटेल ट्विन फोन्स	15%	10,931	-	-	-	10,931	4,925	901	-	-	5,826	5,105	6,006
	मोबाइल फोन्स	15%	1,84,662	-	-	-	1,84,662	69,166	17,324	-	-	86,491	98,171	1,15,496
	कॉर्डलेस फोन्स	15%	8,476	-	-	-	8,476	4,730	562	-	-	5,292	3,184	3,746
	फैक्स मशीनें	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	99,208	19,608	-	-	1,18,816	1,11,114	1,30,722
	मीजर प / सी	15%	16,042	-	-	-	16,042	8,952	1,064	-	-	10,015	6,027	7,090
	माइक्रोवेव	15%	13,350	-	-	-	13,350	7,093	939	-	-	8,032	5,318	6,257
	ऑयल फ्रील्ड रेडिएटर	15%	25,365	-	-	-	25,365	13,139	1,834	-	-	14,973	10,392	12,226
	वोल्टेज स्टेबिलाइजर	15%	25,950	-	-	-	25,950	13,172	1,917	-	-	15,089	10,861	12,778
	वाटर डिस्पेंसर	15%	20,500	-	-	-	20,500	8,650	1,778	-	-	10,427	10,073	11,850

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS														
Sl. No	Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK			
			Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions during the year upto 02.10.2013	Addition After 02.10.2013	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
A.	Land:-													
	a) Freehold	0%												
	b) Leasehold	0%												
B.	Building:-													
	a) On Freehold Land	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) On Leasehold Land	10%	-	-	22,58,700		22,58,700			1,12,935	-	21,45,765	-	-
C.	Plant, Machinery & Equipments													
	a) Lab Equipments	15%	43,11,076	-	-	-	43,11,076	8,77,253	5,15,073	-	-	13,92,327	29,18,749	34,33,823
	b) Water Pipeline	15%	12,35,000	-	-	-	12,35,000	4,09,634	1,23,805	-	-	5,33,439	7,01,561	8,25,366
	c) Machinery & Equipment	15%	-	6,90,273	20,32,564		27,22,837	-	-	2,55,983	-	24,66,854	-	-
D.	Vehicles- Ambassador Car	15%	5,63,772	-	-	-	5,63,772	3,45,672	32,715	-	-	3,78,387	1,85,385	2,18,100
E.	Furnitures & Fixtures	10%	37,05,977	3,44,428	6,51,323		47,01,728	9,27,892	2,77,809	67,009	-	12,72,709	34,29,014	27,78,085
F.	Office Equipments													
	1 Electronic Attendance Machine	15%	80,608	-	-	-	80,608	33,685	7,038	-	-	40,723	39,885	46,923
	2 Photocopy Machine	15%	19,15,355	-	49,051	-	19,64,406	7,50,941	1,74,662	3,679	-	9,29,282	10,35,124	11,64,414
	3 Refrigerator	15%	2,12,585	-	-	-	2,12,585	63,880	22,306	-	-	86,186	1,26,399	1,48,705
	4 Scanning Machine	15%	1,56,750				1,56,750	67,706	13,357	-	-	81,062	75,688	89,044
	5 Vacuum Cleaner	15%	7,790	-	-	-	7,790	3,724	610	-	-	4,334	3,456	4,066
	6 VGA Switcher & Splitter	15%	50,840	-	-	-	50,840	19,312	4,729	-	-	24,041	26,799	31,528
	7 Beetal Twin Phones	15%	10,931	-	-	-	10,931	4,925	901	-	-	5,826	5,105	6,006
	8 Mobile Phones	15%	1,84,662	-	-	-	1,84,662	69,166	17,324	-	-	86,491	98,171	1,15,496
	9 Cordless Phones	15%	8,476	-	-	-	8,476	4,730	562	-	-	5,292	3,184	3,746
	10 Fax Machines	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	99,208	19,608	-	-	1,18,816	1,11,114	1,30,722
	11 Gyser A/c	15%	16,042	-	-	-	16,042	8,952	1,064	-	-	10,015	6,027	7,090
	12 Micro Wave	15%	13,350	-	-	-	13,350	7,093	939	-	-	8,032	5,318	6,257
	13 Oil Field Radiator	15%	25,365	-	-	-	25,365	13,139	1,834	-	-	14,973	10,392	12,226
	14 Voltage Stabilizer	15%	25,950	-	-	-	25,950	13,172	1,917	-	-	15,089	10,861	12,778
	15 Water Dispenser	15%	20,500	-	-	-	20,500	8,650	1,778	-	-	10,427	10,073	11,850
	16 Audio Conference System	15%	10,51,812	-	-	-	10,51,812	5,44,844	76,045	-	-	6,20,889	4,30,923	5,06,968
	17 LCD TV	15%	17,15,109	-	-	-	16,57,109	7,97,714	1,37,609	-	8,700	9,26,623	7,30,486	9,17,395

	ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	15%	10,51,812	-	-	10,51,812	5,44,844	76,045	-	-	6,20,889	4,30,923	5,06,968
	एलसीडी टीवी	15%	17,15,109	-	58,000	16,57,109	7,97,714	1,37,609	-	8,700	9,26,623	7,30,486	9,17,395
	प्लान्मा टीवी	15%	25,68,875	-	-	25,68,875	13,52,097	1,82,517	-	-	15,34,614	10,34,261	12,16,778
	टाटा स्काई एवं ईपीआरएस सिस्टम	15%	29,495	-	-	29,495	14,214	2,292	-	-	16,506	12,989	15,281
	सीमेंट हाई पाथ 1150 डिजिटल एंड ऑटोप्लाईट	15%	8,61,793	-	-	8,61,793	2,10,554	97,686	-	-	3,08,240	5,53,553	6,51,239
	स्पीकर	15%	14,350	-	-	14,350	6,859	1,124	-	-	7,983	6,367	7,491
	डिजिटल कैमरा	15%	83,050	-	-	83,050	33,844	7,381	-	-	41,225	41,825	49,206
	ऑफिस उपकरण	15%	77,190	3,497	2,993	83,680	23,595	8,039	749	-	32,383	51,297	53,595
	ब्यू रे डिस्क लेयर	15%	99,000	-	-	99,000	38,202	9,120	-	-	47,321	51,679	60,798
	एलसीडी प्रोजेक्टर	15%	1,62,000	-	-	1,62,000	62,512	14,923	-	-	77,435	84,565	99,488
	कूलर	15%	77,722	-	-	77,722	25,469	7,838	-	-	33,307	44,415	52,253
	फ्रेकिंग मशीन	15%	3,44,940	-	-	3,44,940	1,14,412	34,579	-	-	1,48,991	1,95,949	2,30,528
	श्रद्धर्स	15%	8,677	-	-	8,677	2,878	-	-	-	-	-	5,799
	विजिकूलर एंड डीप फ्रीजर	15%	1,07,437	-	-	1,07,437	29,814	11,643	-	-	41,457	65,980	77,623
	फोन	15%	12,673	-	-	12,673	5,088	1,138	-	-	6,226	6,447	7,585
	टाटा स्काई	15%	7,622	-	-	7,622	4,354	490	-	-	4,844	2,778	3,268
	एयर कंडीशनर	15%	1,95,488	-	-	1,95,488	14,662	27,124	-	-	41,786	1,53,702	1,80,826
छ.	कम्प्यूटर उपकरण												
	कम्प्यूटर	60%	78,82,067	19,06,879	886,164	1,06,75,110	63,01,950	9,48,070	1,409,977	-	86,59,997	20,15,113	15,80,117
	यूपीएस	15%	7,44,801	20,039	77,261	8,42,101	3,31,036	62,065	8,800	-	4,01,901	440,200	4,13,765
	प्रिंटर व स्कैनर	15%	20,31,807	23,148	46,568	21,01,523	12,13,468	1,22,751	6,965	-	13,43,184	7,58,339	8,18,339
	सिस्को 2821 सिल्योरिटी बंडल	15%	1,71,306	-	-	1,71,306	73,993	14,597	-	-	88,590	82,716	97,313
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	10,36,414	-	42,800	10,79,214	9,41,585	56,898	12,840	-	10,11,322	67,892	94,829
	लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम	60%	2,28,800	-	-	2,28,800	2,18,550	6,150	-	-	2,24,700	4,100	10,250
	नेटवर्किंग उपकरण	15%	4,35,520	5,954	22,820	4,64,294	1,46,850	43,300	2,605	-	1,92,756	2,71,538	2,88,670
	वैब कैम	15%	18,900	-	-	18,900	8,744	1,523	-	-	10,267	8,633	10,156
	सर्वर	60%	-	65,28,777	-	-	65,28,777	-	39,17,266	-	39,17,266	26,11,511	-
ज.	लाइब्रेरी पुस्तकें	60%	22,97,188	-	-	22,97,188	19,20,249	2,26,164	-	-	21,46,412	150,776	3,76,940
	योग (क)		3,50,38,995	95,22,995	60,70,244	66,677	5,05,65,557	33,19,096	8,700	57,98,808	2,72,72,596	2,32,92,957	1,68,72,725
झ.	कार्यशील पूंजी		65,28,777	-	40,54,759	6,528,777	40,54,759	-	-	-	-	4,054,759	65,28,777
	योग (ख)		65,28,777		40,54,759	6,528,777	40,54,759	-	-	-	-	40,54,759	65,28,777
	कुल योग		4,15,67,772	95,22,995	1,01,25,003	6,595,454	5,46,20,316	33,19,096	8,700	57,98,808	2,72,72,596	2,73,47,716	2,34,01,501
	पिछले वर्ष		3,82,11,069	28,19,436	33,61,382	2,824,116	4,15,67,771	29,36,078	445,561	22,15,185	1,81,66,270	2,33,86,835	2,47,50,497

	18 Plasma TV	15%	25,68,875	-	-	25,68,875	13,52,097	1,82,517	-	-	15,34,614	10,34,261	12,16,778
	19 Tata Sky & EPRS System	15%	29,495	-	-	29,495	14,214	2,292	-	-	16,506	12,989	15,281
	20. Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint	15%	8,61,793	-	-	8,61,793	2,10,554	97,686	-	-	3,08,240	5,53,553	6,51,239
	21 Speaker	15%	14,350	-	-	14,350	6,859	1,124	-	-	7,983	6,367	7,491
	22 Digital Camera	15%	83,050	-	-	83,050	33,844	7,381	-	-	41,225	41,825	49,206
	23. Office Appliances	15%	77,190	3,497	2,993	83,680	23,595	8,039	749	-	32,383	51,297	53,595
	24 Blue Ray Disc Player	15%	99,000	-	-	99,000	38,202	9,120	-	-	47,321	51,679	60,798
	25 LCD Projector	15%	1,62,000	-	-	1,62,000	62,512	14,923	-	-	77,435	84,565	99,488
	26 Cooler	15%	77,722	-	-	77,722	25,469	7,838	-	-	33,307	44,415	52,253
	27 Franking Machine	15%	3,44,940	-	-	3,44,940	1,14,412	34,579	-	-	1,48,991	1,95,949	2,30,528
	28 Shredders	15%	8,677	-	-	8,677	2,878	-	-	-	-	-	5,799
	29 Viscocooler & Deep Freezer	15%	1,07,437	-	-	1,07,437	29,814	11,643	-	-	41,457	65,980	77,623
	30 Phone	15%	12,673	-	-	12,673	5,088	1,138	-	-	6,226	6,447	7,585
	31 TATA Sky	15%	7,622	-	-	7,622	4,354	490	-	-	4,844	2,778	3,268
	32 Air Conditioner	15%	1,95,488	-	-	1,95,488	14,662	27,124	-	-	41,786	1,53,702	1,80,826
G.	Computer Peripherals												
	1 Computer	60%	78,82,067	19,06,879	886,164	1,06,75,110	63,01,950	9,48,070	1,409,977	-	86,59,997	20,15,113	15,80,117
	2 UPS	15%	7,44,801	20,039	77,261	8,42,101	3,31,036	62,065	8,800	-	4,01,901	440,200	4,13,765
	3 Printer & Scanner	15%	20,31,807	23,148	46,568	21,01,523	12,13,468	1,22,751	6,965	-	13,43,184	7,58,339	8,18,339
	4 Cisco 2821 Security Bundle	15%	1,71,306	-	-	1,71,306	73,993	14,597	-	-	88,590	82,716	97,313
	5 Computer Software	60%	10,36,414	-	42,800	10,79,214	9,41,585	56,898	12,840	-	10,11,322	67,892	94,829
	6 Library Software Sysyem	60%	2,28,800	-	-	2,28,800	2,18,550	6,150	-	-	2,24,700	4,100	10,250
	7 Networking Equipment	15%	4,35,520	5,954	22,820	4,64,294	1,46,850	43,300	2,605	-	1,92,756	2,71,538	2,88,670
	8 Web Cam	15%	18,900	-	-	18,900	8,744	1,523	-	-	10,267	8,633	10,156
	9 Server	60%	-	65,28,777	-	-	65,28,777	-	39,17,266	-	39,17,266	26,11,511	-
H.	Library books	60%	22,97,188	-	-	22,97,188	19,20,249	2,26,164	-	-	21,46,412	150,776	3,76,940
	TOTAL (A)		3,50,38,995	95,22,995	60,70,244	66,677	5,05,65,557	33,19,096	8,700	57,98,808	2,72,72,596	2,32,92,957	1,68,72,725
I.	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS		65,28,777	-	40,54,759	6,528,777	40,54,759	-	-	-	-	4,054,759	65,28,777
	TOTAL (B)		65,28,777		40,54,759	6,528,777	40,54,759	-	-	-	-	40,54,759	65,28,777
	GRAND TOTAL		4,15,67,772	95,22,995	1,01,25,003	6,595,454	5,46,20,316	33,19,096	8,700	57,98,808	2,72,72,596	2,73,47,716	2,34,01,501
	PREVIOUS YEAR		3,82,11,069	28,19,436	33,61,382	2,824,116	4,15,67,771	29,36,078	445,561	22,15,185	1,81,66,270	2,33,86,835	2,47,50,497

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 – चिन्हित/स्थाई कोष से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर्स	-	-
4. ऋण/बंध पत्र	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
योग	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर्स	-	-
4. ऋण/बंध पत्र	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
योग	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. सामान की सूची		
स्टोर्स व स्पेयर्स	-	-
खुले औजार	-	-
व्यापार हेतु स्टॉक		
तैयार माल	-	-
कार्यरत	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध लेनदार		
क. छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	-	-
ख. अन्य	-	-
3. नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट/इम्प्रेस्ट सहित)	25,000	-
4. बैंक शेष		
क. अनुसूचित बैंकों में:		
— चालू खातों में	6,44,95,923	-
— जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	-	-
— क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में	2,18,10,106	1,09,19,263
— बचत खातों में	81,59,35,345	31,99,05,920
ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
— चालू खातों में	-	-
— जमा खातों में	-	-
— बचत खातों में	-	-
5. डाकघर बचत खातों में	-	-
योग (क)	90,22,66,374	33,08,25,182

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	25,000	-
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
-On Current Accounts	6,44,95,923	-
-On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
-On Regional Offices Saving Accounts	2,18,10,106	1,09,19,263
-On Saving Accounts	81,59,35,345	31,99,05,920
b) With non-scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Saving Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
TOTAL(A)	90,22,66,374	33,08,25,182

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क. स्टाफ	-	-
ख. समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य कंपनियां	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या वस्तु या प्राप्त की जाने वाली राशि के रूप में वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां	-	-
क. पूंजीगत राशि पर		
ख. पूर्व भुगतान	-	-
ग. अन्य	-	-
– स्टाफ को अग्रिम	3,21,375	11,76,953
– ठेकेदारों एवं अन्य को अग्रिम (अनुसूची 11(बी)(1) के अनुसार)	5,34,40,904	3,65,92,817
– प्रतिभूति जमाएं	1,15,00,840	1,19,70,685
– आईईसी 2013–2014 के लिए अग्रिम	5,50,55,664	-
– प्रशिक्षण 2013–14 के लिए अग्रिम	9,65,698	-
– लाइब्रेरी 2013–14 के लिए अग्रिम	64,660	-
– विदेश यात्रा अग्रिम 2013–14	6,77,721	-
– अन्य हेतु अग्रिम 2013–2014	29,02,157	-
3. प्रोद्भूत आय		
क. चिन्हित/स्थाई कोष से निवेशों पर	-	-
ख. निवेश – अन्य पर	-	-
ग. ऋणों एवं अग्रिमों पर	-	-
घ. अन्य		
– बचत खातों पर	-	-
4. प्राप्ति योग्य दावे	-	-
योग (ख)	12,49,29,019	4,97,40,455
योग (क+ख)	1,02,71,95,393	38,05,65,637

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
– Advance to Staff	3,21,375	11,76,953
– Advance to Contractors and others (as per Schedule-11(B)(1))	5,34,40,904	3,65,92,817
– Security Deposits	1,15,00,840	1,19,70,685
– Advance For IEC 2013-2014	5,50,55,664	-
– Advance for Training 2013-14	9,65,698	-
– Advance for Library 2013-14	64,660	-
– Foreign Tour Advance 2013-14	6,77,721	-
– Advance for Others 2013-2014	29,02,157	-
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-	-
b) On Investments - Others	-	-
c) On Loans & Advances	-	-
d) Others		
– On Saving Accounts	-	-
5. Claims Receivable	-	-
TOTAL(B)	12,49,29,019	4,97,40,455
TOTAL(A+B)	1,02,71,95,393	38,05,65,637

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को तुलन-पत्र के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 11(बी)(1) – ठेकेदारों एवं अन्य को अधिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
एबीपी प्रा. लि.	14,134	14,134
प्रशासनिक अधिकारी, एफडीए, नागपुर	-	97,600
ऑल इंडिया फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन	2,167	5,000
एल्पकॉर्ड नेटवर्क ट्रेवल एंड कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट लि.	-	10,099
एसोचैम	-	16,50,000
अधिकृत अधिकारी, चेन्नई	10,000	10,000
अधिकृत अधिकारी जेएनपीटी न्हावा शेवा	10,000	10,000
अधिकृत अधिकारी सी पोर्ट चेन्नई	10,000	10,000
बैग फुल	1,200	1,200
खाद्य सुरक्षा आयोग इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई	17,13,500	17,76,800
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू व कश्मीर	2,45,073	3,58,400
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट	18,50,000	18,50,000
कन्ज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया चेन्नई	58,148	58,148
केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	3,73,32,359	1,59,68,527
डी.जी. प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	90,000	90,000
दक्ष एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी	4,14,900	4,14,900
दीन दयाल उपाध्याय	2,34,008	2,34,008
उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त	2,49,000	2,49,000
निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, हि.प्र.	-	1,04,000
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	44,56,977	44,56,977
उप निदेशक एसपीआईपीए, अहमदाबाद	1,002	1,002
एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट	-	1,25,000
फिक्की	79,750	9,43,250
फाउंडेशन कमेटी सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, कोलकाता	-	5,17,500
जनरल सेक्रेटरी दिल्ली टेलीग्राफ एकेडमी	50,000	50,000
गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	-	1,08,800
एच.एस.सी.सी. इंडिया लिमिटेड	16,414	16,414
होटल पैसिफिक सुभाष रोड	-	86,400
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	2,00,000	2,00,000
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर	4,37,698	4,37,698
इंस्टीट्यूट ऑफ आंध्र प्रदेश	-	96,800
इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी ऑफ एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट	-	50,000
नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रीशन	47,43,444	47,43,444
पी. मूर्ती	-	2,92,187
प्रिंसिपल किरोड़ी मल कालेज	-	2,00,000
एस.एस. बिल्डकॉन प्रा. लि. गाजियाबाद	2,00,000	2,00,000
स्टेट हैल्थ सोसायटी (आईएसडीएल) जयपुर	4,56,400	4,56,400
यू.पी. एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट	-	119,400
यूएचएफएफडब्ल्यूएस खाद्य सुरक्षा एवं मानक देहरादून	1,61,600	161,600
विकास बैटरीज	-	14,999
वेस्ट बंगाल स्टेट हैल्थ एंड फैमिली	86,400	86,400
डिप्टी डायरेक्टर चेन्नई	1,10,000	1,10,000
डिप्टी डायरेक्टर (एफएंडवीपी) एनबीसीसी	44,394	44,394
डिप्टी डायरेक्टर, गुवाहाटी	10,000	10,000
डिप्टी डायरेक्टर, कोलकाता	62,336	62,336
डिप्टी डायरेक्टर, मुम्बई	90,000	90,000
सीनियर ए.ओ.डी.ओ. एफएसएसएआई	-	
योग	5,34,40,904	3,65,92,817

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11(B)(1) Advance to Contractors and others	Current Year	Previous Year
ABP Pvt Ltd.	14,134	14,134
ADMINISTRATIVE OFFICER, FDA NAGPUR	-	97,600
All India Food Processing Association	2,167	5,000
ALPCORD NETWORK TRAVEL AND CONFERENCE MANAGEMENT CO	-	10,099
ASSOCHEM	-	16,50,000
AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000	10,000
Authorised Officer JNPT Nhava Sheva.	10,000	10,000
Authorised Officer Sea Port Chennai.	10,000	10,000
Bag Full	1,200	1,200
COMMISSION OF FOOD SAFETY INDIAN OVERSEAS BANK, CHE	17,13,500	17,76,800
COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	2,45,073	3,58,400
CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	18,50,000	18,50,000
CONSUMER ASSOCIATION OF INDIA CHENNAI	58,148	58,148
Central Drug Standard Control Organisation	3,73,32,359	1,59,68,527
D.G.ACADEMY OF ADMINISTRATION BHOPAL	90,000	90,000
DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	4,14,900	4,14,900
DEEN DYAL UPADHYAY	2,34,008	2,34,008
DEPUTY FOOD SAFETY COMMISSIONER	2,49,000	2,49,000
DIRECTOR HEALTH SAFETY & REGULATION, H.P.	-	1,04,000
Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP)	44,56,977	44,56,977
DY DIRECTOR SPIPA, AHMEDABAD	1,002	1,002
ENERGU & RESOURCE INSTITUTE	-	1,25,000
FICCI	79,750	9,43,250
FOUNDATION COMMITTEE SUPPORT AND DEVELOPMENT, KOL	-	5,17,500
GENERAL SECRETARY DELHI TELEGRAPH ACADEMY	50,000	50,000
GOA STATE AIDS CONTROL SOCIETY.	-	1,08,800
H.S.C.C. India Ltd	16,414	16,414
Hotel Pachific Subhash Road	-	86,400
India Trade Promotion Organisation	2,00,000	2,00,000
Indian Institute of Management Bangalore.	4,37,698	4,37,698
INSTITUTE OF ANDHRA PRADESH	-	96,800
INSTITUTE OF QUALITY OF ENVIORNMENT MANAGEMENT	-	50,000
National Institute Nutrition	47,43,444	47,43,444
P.MURTHI	-	2,92,187
Principle Kirori Mal College.	-	2,00,000
S.S. BUILDCON PVT LTD GHAZIABAD	2,00,000	2,00,000
STATE HEALTH SOCIETY (IDSL) JAIPUR	4,56,400	4,56,400
U.P.ACADEMY OF MANAGEMENT.	-	119,400
UAHFWS FOOD SAFETY& STANDARDS DEHRADUN	1,61,600	161,600
Vikas Batteries	-	14,999
WEST BENGAL STATE HEALTH & FAMILY	86,400	86,400
DEPUTY DIRECTOR CHENNAI	1,10,000	1,10,000
DEPUTY DIRECTOR (F&VP) NBCC	44,394	44,394
DEPUTY DIRECTOR. GUWAHATI	10,000	10,000
DEPUTY DIRECTOR KOLKATTA	62,336	62,336
DEPUTY DIRECTOR MUMBAI	90,000	90,000
SENIOR A.O. D.O. FSSAI	-	
TOTAL	5,34,40,904	3,65,92,817

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क. तैयार माल की बिक्री		
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग. स्क्रेप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क. लाइसेंस शुल्क	17,62,59,167	20,20,29,374
ख. नमूना परीक्षण शुल्क	61,43,928	52,25,875
ग. उत्पाद स्वीकृति	8,38,26,060	4,16,25,000
योग	26,62,29,155	24,88,80,249

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान/सबसिडी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	66,09,00,000	42,45,50,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण संस्थाएं	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य:		
जोड़ें: वर्ष के आरंभ में व्यय न किया गया शेष	3,07,02,159	1,42,15,189
घटाएं: वर्ष के अंत में व्यय न किया गया अनुदान शेष	(27,02,64,441)	(3,07,02,159)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	(33,56,702)
योग	42,13,37,718	40,47,06,328

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Licence Fee	17,62,59,167	20,20,29,374
b) Sample Testing Fee	61,43,928	52,25,875
c) Product Approval	8,38,26,060	4,16,25,000
TOTAL	26,62,29,155	24,88,80,249

(Amount Rs.)

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	66,09,00,000	42,45,50,000
2) State Government	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others :		
Add: Unspent balance at the beginging of the year	3,07,02,159	1,42,15,189
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(27,02,64,441)	(3,07,02,159)
Less: Grants Capitalised during the year	-	(33,56,702)
TOTAL	42,13,37,718	40,47,06,328

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क/सदस्यता शुल्क	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. कन्सल्टेंसी शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
योग	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज		
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख. अन्य बॉण्डों/डिबेंचर्स पर	-	-
2. अन्य		
– निवेशों से ब्याज	-	-
योग	-	-
चिन्हित/स्थायी कोष को अंतरित	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014
 (Amount Rs.)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1) Entrance Fees	-	-
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	-	-
TOTAL	-	-
(Amount Rs.)		
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year	Previous Year
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
Interest from investments	-	-
TOTAL	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. मियादी जमाओं पर		
क. अनुसूचित बैंकों में	-	-
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग. संस्थानों में	-	-
घ. अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों में	1,70,08,038	58,74,901
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग. डाकघर बचत खाते	-	-
घ. अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क. कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	1,70,08,038	58,74,901

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014
 (Amount Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Income from Royalty	-	-
2 Income from Publication	-	-
3 Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 On Term Deposits		
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2 On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	1,70,08,038	58,74,901
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) Post Office Saving Accounts	-	-
d) Others:	-	-
3 On Loans:		
a) Employees/Staff	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	1,70,08,038	58,74,901

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क. मालिकाना परिसंपत्तियां	2,878	-
ख. अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. विविध आय		
– अतिथि गृह से आय	1,57,565	-
– पुराने अखबारों की बिक्री	35,671	-
– निविदा फार्मों की बिक्री	40,500	1,00,750
– आरटीआई शुल्क	5,387	4,199
– अन्य		4,65,290
दण्डात्मक ब्याज और वसूलियां	1,36,520	-
– परीक्षा शुल्क	8,500	-
योग	3,87,021	5,70,239

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक और कार्यशील में वृद्धि/(कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति	-	-
ख. घटाएं: आरंभिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्यशील	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned Assets	2,878	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2 Miscellaneous Income		
-Guest House Earnings	1,57,565	-
-Sale of old Newspapers	35,671	-
-Sale of Tender Form	40,500	1,00,750
-RTI Fees	5,387	4,199
-Others:		4,65,290
Penal Interest & Recoveries	1,36,520	-
-Examination Fees	8,500	-
TOTAL	3,87,021	5,70,239

(Amount Rs.)

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Closing Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं मजदूरी	9,52,93,483	9,85,81,887
ख. भत्ते एवं बोनस	31,086	15,47,304
ग. कर्मचारी कल्याण व्यय	-	1,000
घ. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों पर व्यय		
ङ. अन्य		
— चिकित्सा दावों का पुनर्भुगतान	23,77,695	27,31,334
योग	9,77,02,264	10,28,61,525

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014
 (Amount Rs.)

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	9,52,93,483	9,85,81,887
b) Allowances and Bonus	31,086	15,47,304
c) Staff Welfare Expenses	-	1,000
d) Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits		
e) Others:		
-Reimbursement of Medical Claims	23,77,695	27,31,334
TOTAL	9,77,02,264	10,28,61,525

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 21 – प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	-	-
ख. विद्युत एवं ऊर्जा	49,58,263	1,04,40,629
ग. जल प्रभार	3,51,188	2,82,992
घ. किराया, दरें और कर	2,73,55,785	5,34,76,193
ङ. डाक और संचार व्यय	6,60,777	(40,509)
च. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2,80,416	42,57,190
छ. यात्रा और वाहन व्यय	2,50,23,804	2,54,86,916
ज. सेमिनारों/कार्यशालाओं पर व्यय	24,085	20,00,236
झ. सदस्यता शुल्क व्यय	-	30,074
ञ. लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	-	95,040
ट. कानूनी और प्रोफेशनल व्यय	9,73,31,352	8,98,83,934
ठ. खाद्य आयात क्लीयरेंस प्रक्रिया के संचालन पर व्यय	-	-
ड. आईईसी और प्रचार व्यय	1,61,49,497	8,69,92,838
ढ. कार्यालय व्यय	48,53,246	2,49,29,766
ण. प्रशिक्षण प्रभार	18,55,483	79,45,635
त. प्रकाशन व्यय	-	4,54,680
थ. टेलीफोन और मोबाइल व्यय	8,75,233	11,35,589
द. मनोरंजन व्यय	21,274	50,112
ध. अतिथि गृह	-	(34,374)
न. नमूना प्रभार	-	3,500
प. सुरक्षा प्रभार	-	13,17,778
फ. अन्य प्रशासनिक व्यय		
— बैंक प्रभार	76,815	51,156
— इंटरनेट प्रभार	69,635	37,556
— कम्प्यूटर व्यय	-	2,01,700
— सदस्यता शुल्क	-	-
— डिजिटलीकरण प्रभार	-	-
— जनरेटर प्रभार	-	33,695
— अन्य	1,68,90,690	56,98,298
ब. अवधि पूर्व व्यय	1,33,55,149	36,27,142
योग	21,01,32,692	31,83,57,766

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Labour and processing expenses	-	-
b) Electricity and Power	49,58,263	1,04,40,629
c) Water charges	3,51,188	2,82,992
d) Rent, Rates and Taxes	2,73,55,785	5,34,76,193
e) Postage and Communication Charges	6,60,777	(40,509)
f) Printing & Stationery	2,80,416	42,57,190
g) Travelling and Conveyance Expenses	2,50,23,804	2,54,86,916
h) Expenses on Seminar/Workshops	24,085	20,00,236
i) Subscription Expenses	-	30,074
j) Auditors Remuneration	-	95,040
k) Legal & Professional Charges	9,73,31,352	8,98,83,934
l) Expenses on operationalisation of food Import Clearance Process	-	-
m) IEC & Publicity Expenses	1,61,49,497	8,69,92,838
n) Office Expenses	48,53,246	2,49,29,766
o) Training Charges	18,55,483	79,45,635
p) Publication expenses	-	4,54,680
q) Telephone & Mobile Expenses	8,75,233	11,35,589
r) Entertainment Exp	21,274	50,112
s) Guest House.	-	(34,374)
t) Sample Charges	-	3,500
u) Security Charges	-	13,17,778
v) Other Administrative Expenses		
-Bank Charges	76,815	51,156
-Internet Charges	69,635	37,556
-Computer Expenses	-	2,01,700
-Membership Fees	-	-
-Digitisation charges	-	-
-Generator Expenses	-	33,695
-Others	1,68,90,690	56,98,298
w) Prior Period Expenditure	1,33,55,149	36,27,142
TOTAL	21,01,32,692	31,83,57,766

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां
 (राशि रु. में)

अनुसूची 22 – मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
मरम्मत एवं रखरखाव		
कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	1,00,61,930	1,29,81,853
एसी प्लांट, कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	2,49,392	13,726
वाहनों की मरम्मत, प्रचालन एवं रखरखाव	-	2,25,256
अन्य	-	-
योग	1,03,11,322	1,32,20,835

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014
 (Amount Rs.)

SCHEDULE 22 -Repair & Maintenance Expenses	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Repair & Maintenance		
i) Repair and Maintenance of Office	1,00,61,930	1,29,81,853
ii) Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	2,49,392	13,726
iii) Repair, Running and Maintenance of Vehicles	-	2,25,256
iv) Others	-	-
TOTAL	1,03,11,322	1,32,20,835

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – अनुदानों, सबसिडी इत्यादि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	30,00,000	70,00,000
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सबसिडी	-	-
योग	30,00,000	70,00,000

(राशि रु. में)

अनुसूची 24 – मूल्यहास	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थिर परिसंपत्तियों पर	91,09,203	47,05,702
योग	91,09,203	47,05,702
घटाएं: स्थिर परिसंपत्ति कोष में अंतरित	-	47,05,702
TOTAL	91,09,203	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 25 – चुकाए गए ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. स्थिर परिसंपत्तियों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर	-	-
ग. अन्य – सीपीएफ पर ब्याज	-	-
योग	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(Amount Rs.)

SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Grants Given to Institutions/Organisation	30,00,000	70,00,000
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	30,00,000	70,00,000

(Amount Rs.)

SCHEDULE 24 - DEPRECIATION	Current Year	Previous Year
On Fixed Assets	91,09,203	47,05,702
TOTAL	91,09,203	47,05,702
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	-	47,05,702
TOTAL	91,09,203	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 25 - INTEREST PAID	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans	-	-
c) Others- Interest on CPF	-	-
TOTAL	-	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि हेतु प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु. में)

क्र.सं.	प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.सं.	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	आर्थिक शेष			1	व्यय		
	क. नकदी शेष		10,000		क. स्थापना व्यय	8,90,81,264	10,00,09,036
	ख. बैंक में शेष				(अनुसूची 20 के अनुसार)		
	– बचत बैंक खाते	33,08,25,182	5,90,12,823		ख. प्रशासनिक व्यय	21,53,50,930	32,33,22,393
	– चालू जमा		-		(अनुसूची 21 के अनुसार)		
	– जमा खाते		-		ग. मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	88,63,147	1,44,85,696
					(अनुसूची 22 के अनुसार)		
2	प्राप्त अनुदान			2	दिए गए अनुदान		
	क. भारत सरकार से				अनुदान	30,00,000	70,00,000
	–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	66,09,00,000	42,45,50,000				
	–स्वास्थ्य विभाग (पूँजीगत अनुदान)	-	-				
				3	किए गए निवेश एवं जमाएं		
3	निवेशों से आय				क. चिन्हित / स्थाई कोष से		-
	क. चिन्हित / स्थाई कोष	-	-		ख. अपने कोष से (निवेश – अन्य)		-
	ख. निजी कोष (अन्य निवेश)	-	-				
				4	स्थिर परिसंपत्तियों और कार्यशील पूँजी पर व्यय		
4	प्राप्त व्याज						
	बैंक जमाओं पर (बचत)	1,70,08,038	58,74,901		क. स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	89,97,785	33,56,702
	बैंक जमाओं पर (एफडीआर)	-	-		ख. कार्यशील पूँजी पर व्यय	40,54,759	-
	ऋणों, अग्रिमों इत्यादि पर	-	-				
				5	कर्मचारियों को अग्रिम	25,89,283	-
5	लाइसेंसियों से प्राप्त आय						
	– लाइसेंस शुल्क	17,62,59,167	20,20,29,374	6	सप्लायर्स /अन्य को अग्रिम	9,09,50,370	-
	– नमूना परीक्षण शुल्क	5,44,14,002	52,25,875				
	– उत्पाद स्वीकृति	8,38,26,060	4,16,25,000				
6	निवेश का नकदीकरण	-	-	7	टीडीएस जमा:		
					– टेकेदारों पर	4,04,665	9,23,845
7	प्राप्त टीडीएस				– किराए पर	13,76,616	25,49,536

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2013 TO 31.03.2014

S.No.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	S.No.	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I	Opening Balance			I	Expenses		
	a) Cash in hand		10,000	a) Establishment Expenses		8,90,81,264	10,00,09,036
	b) Bank Balances			(Corresponding to Schedule 20)			
	i) Saving Bank Accounts	33,08,25,182	5,90,12,823	b) Administrative Expenses		21,53,50,930	32,33,22,393
	ii) Current Deposits		-	(Corresponding to Schedule 21)			
	iii) Deposit Account		-	c) Repair & Maintenance Expenses		88,63,147	1,44,85,696
				(Corresponding to Schedule 22)			
II	Grants Received						
	a) From Government of India			II	Grants Given		
	- Ministry of Health & Family Welfare	66,09,00,000	42,45,50,000	Grant in Aid		30,00,000	70,00,000
	- Department of Health (Capital Grant)	-	-				
III	Income on Investments from			III	Investments and deposits made		
	a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	a) Out of Earmarked/Endowment funds			-
	b) Own funds (Oth. Investments)	-	-	b) Out of Own Funds (Investments - Others)			-
				IV	Expenditure on Fixed Assets & Capital Work in Progress		
IV	Interest Received						
	On Bank Deposits (Saving)	1,70,08,038	58,74,901	a) Purchase of Fixed Assets		89,97,785	33,56,702
	On Bank Deposits (FDR)	-	-	b) Expenditure on Capital Work in Progress		40,54,759	-
	Loans, Advances etc.	-	-				
				V	Advance to Employees	25,89,283	-
V	Income received from Licentee's						
	- Licence Fees	17,62,59,167	20,20,29,374	VI	Advances to Suppliers/Others	9,09,50,370	-
	- Sample Testing Fees	5,44,14,002	52,25,875				
	-Product Approval	8,38,26,060	4,16,25,000				
VI	Encashment of Investment	-	-	VII	TDS Deposit:		
				-on Contractors		4,04,665	9,23,845
VII	TDS Received:			-on Rent		13,76,616	25,49,536
	-on Contractors		8,92,993	-on Professional		49,47,684	30,57,339
	-on Rent		36,63,630	-on Salary		45,89,056	27,78,321
	-on Professional		19,72,151				
	-on Salary	5,56,081	27,77,847				-

	— अनुबंधों पर		8,92,993				— प्रोफेशनल्स पर	49,47,684	30,57,339
	— किराये पर		36,63,630				— वेतन पर	45,89,056	27,78,321
	— प्रोफेशनल पर		19,72,151						
	— वेतन पर	5,56,081	27,77,847						-
						8	ठेकेदार की ईएमडी / प्रतिभूति जमा	30,09,000.00	-
8	समायोजित अग्रिम								-
	— कर्मचारी	27,67,140	13,51,469			9	वेतन से कटौती	55,37,057.00	
	— सप्लायर्स / अन्य	1,51,32,001	3,23,59,082						
9	अन्य कोई प्राप्ति					10	पुराने चेक	-	5,29,975
	आरटीआई शुल्क	5,387	4,199						
	समाचारपत्रों की बिक्री	35,671	-						
	निविदा फार्म की बिक्री	28,000	1,00,750			XI	अंतिम शेष		
	विविध आय	3,02,585	4,65,290				क. नकदी शेष	25,000	-
	अवधि पूर्व आय	6,59,259	-				ख बैंक में शेष		
	टीडीएस रिफंड		-				— बचत बैंक खाते	90,22,41,374	33,08,25,182
							— चालू जमा		-
10	ठेकेदार की ईएमडी / प्रतिभूति जमा	17,12,737	67,58,100				— जमा खाते		-
11	वेतन से कटौती	3,51,713	1,64,541						
12	पुराने चेक	3,18,818	-						
	योग	1,34,51,01,841	78,88,38,025				योग	1,34,51,01,841	78,88,38,025

						VIII	Contractor's EMD / Security Deposits	30,09,000.00	-
VIII	Advances Adjusted								-
	-Employees	27,67,140	13,51,469			IX	Deductions from salary	55,37,057.00	
	-Suppliers/Others	1,51,32,001	3,23,59,082						
IX	Any other receipts :					X	Stale Cheques	-	5,29,975
	RTI fees	5,387	4,199						
	Sale of Newspaper	35,671	-						
	Sale of Tender Form	28,000	1,00,750			XI	Closing Balances		
	Misc. Income	3,02,585	4,65,290				a) Cash in hand	25,000	-
	Prior Period Income	6,59,259	-				b) Bank Balances		
	TDS Refund		-				i) Saving Bank Accounts	90,22,41,374	33,08,25,182
							ii) Current Deposits		-
X	Contractor's EMD / Security Deposits	17,12,737	67,58,100				iii) Deposit Account		-
XI	Deduction from salary	3,51,713	1,64,541						
XII	Stale Cheques	3,18,818	-						
	TOTAL	1,34,51,01,841	78,88,38,025					1,34,51,01,841	78,88,38,025

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय लेखाओं के भाग रूप में अनुसूचियां

(राशि रु. में)

व्यय न किए गए अनुदानों का नकद आधार पर प्रतिपादन	2013-2014	2012-2013
अंतिम दिन को नकदी और बैंक शेष	88,04,56,268.00	31,99,05,919.60
आर ओ को अग्रिम	2,18,10,106.00	1,09,19,262.53
घटाएं: वित्त वर्ष 2013-14 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	33,18,78,910.00	-
घटाएं: वित्त वर्ष 2012-13 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	25,53,25,389.00	25,53,25,389.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	3,12,84,900.00	3,12,84,900.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2010-11 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	71,96,249.00	71,96,249.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2009-10 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	49,83,589.00	49,83,589.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2008-09 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक आय	13,32,896.00	13,32,896.00
वर्ष हेतु खर्च न किए गए अनुदान (चालू देयता)	27,02,64,441.00	3,07,02,159.13
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	66,08,99,999.87	42,45,50,000.00
जोड़ें : वर्ष के आरंभ में व्यय न किया गया शेष	3,07,02,159.13	1,42,15,189.00
घटाएं : वर्ष के अंत में व्यय न किया गया अनुदान	(27,02,64,441.00)	(3,07,02,159.13)
कम : वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान		
आय के रूप में दिखाए जाने वाले अनुदान	421,337,718.00	408,063,029.87
वित्तीय वर्ष हेतु खाद्य प्राधिकरण की आंतरिक आय	2013-14	2012-13
लाइसेंस शुल्क	176259167	202,029,374.00
उत्पाद स्वीकृति	83826060	41,625,000.00
नमूना परीक्षण	54414002	5,225,875.00
बैंक ब्याज	17008038	5,874,901.00
अन्य ब्याज	136520	2,229.00
विविध	201736	463,061.00
आरटीआई शुल्क	5387	4,199.00
निविदा की बिक्री	28000	100,750.00
	331,878,910.00	255,325,389.00

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(Amount Rs.)

Treatment of Unspent Grants on CASH BASIS	2013-2014	2012-2013
Cash & Bank Balance as on last day	88,04,56,268.00	31,99,05,919.60
Advances to RO	2,18,10,106.00	1,09,19,262.53
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2013-14	33,18,78,910.00	-
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2012-2013	25,53,25,389.00	25,53,25,389.00
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2011-12	3,12,84,900.00	3,12,84,900.00
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2010-11	71,96,249.00	71,96,249.00
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2009-10	49,83,589.00	49,83,589.00
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2008-09	13,32,896.00	13,32,896.00
Unspent Grant for the year (Current Liability)	27,02,64,441.00	3,07,02,159.13
Grant received during the year	66,08,99,999.87	42,45,50,000.00
Add: Unspent balance at the beginging of the year	3,07,02,159.13	1,42,15,189.00
Less: Unpent balance of grant at the end of the year	(27,02,64,441.00)	(3,07,02,159.13)
Less: Grants Capitalised during the year		
Grants to be shown as Income	421,337,718.00	408,063,029.87
Internal Earnings of FSSAI for the Financial	2013-14	2012-13
License Fee	176259167	202,029,374.00
Product Approval	83826060	41,625,000.00
Sample Testing	54414002	5,225,875.00
Bank Interest	17008038	5,874,901.00
Other Interest	136520	2,229.00
Misc	201736	463,061.00
RTI Fees	5387	4,199.00
Sale of Tender	28000	100,750.00
	331,878,910.00	255,325,389.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय लेखाओं के भाग रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 26 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा, यदि अन्यथा वर्णित न किया हो, और लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क देय होने पर मान्यता दी जाती है। अन्य आय को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है। बचत बैंक खातों पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. निवेश

“दीर्घ कालीन निवेशों” के तौर पर वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किए जाते हैं। न्यूनता के लिए प्रावधान, अस्थाई के अतिरिक्त, ऐसे निवेशों की वहन लागत पर किए जाते हैं। “चालू” के तौर पर वर्गीकृत निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है न कि व्यापक आधार पर। लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

4. स्थिर परिसंपत्तियां

स्थिर परिसंपत्तियां अर्जन की लागत में संचित मूल्यह्रास घटाकर आवक भाड़ा, शुल्क और करों तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके दर्शाई जाती हैं। निर्माण निहित परियोजनाओं के संबंध में, परिसंपत्तियों के मूल्य के भाग रूप में, संबंधित पूर्व-प्रचालन खर्च (समापन से पूर्व विशिष्ट परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज सहित) को पूंजीबद्ध किया जाता है।

गैर मौद्रिक अनुदानों, संचित कोष के अतिरिक्त, के माध्यम से प्राप्त स्थिर परिसंपत्तियां पूंजी आरक्षित में जमा दर्शाते हुए उल्लिखित मूल्य पर पूंजीबद्ध की जाती हैं।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, मूल्यह्रास पर तदनुसार विचार किया जाता है।

प्राधिकरण की परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास को कोष आधारित लेखांकन के अनुसार स्थिर परिसंपत्ति कोष में प्रभारित किया जाता है।

6. सामान की सूची का मूल्यांकन

स्टेशनरी, प्रयोज्य वस्तुओं, प्रकाशन, और अन्य स्टोर सामान की खरीद पर खर्च का लेखांकन राजस्व व्यय में किया जाता है।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31-03-2014

SCHEDULE 26 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

License Fees and Sample Testing Fee are recognized as and when due. Other Income is recognized on accrual basis. Interest on saving bank accounts is accounted on receipt basis.

3. INVESTMENTS

Investment classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deduction s from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

Depreciation for the year on fixed assets of the authority has been debited to fixed assets fund in consistent with the fund based accounting.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व खर्च को इसकी तिथि से 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बट्टे खाते डाला जाता है।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है। हालांकि, जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी होने की स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो अनुदान का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है और समान राशि को वसूली योग्य के तौर पर दर्शाया जाता है।

8.2 पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर माना जाता है और कोष आधारित लेखांकन के अनुसार चिन्हित/स्थाई कोष के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।

8.3 राजस्व खर्च को पूरा करने हेतु सरकारी अनुदानों को, उपयोग किए जाने की सीमा तक, उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

8.4 नकद आधार पर संगणित अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

9.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ/हानि को, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्ति से संबंधित होने पर स्थिर परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व में माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 उधार के तौर पर न माने गए प्राधिकरण के विरुद्ध दावे – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

आयकर देयता, पेन प्राप्त न करने, स्थापन के समय से किसी वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न जमा करने और आयकर देयता से छूट जमा न करने पर जुर्माने के तौर पर देयता बन सकती है, राशि की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

1.2 निम्न के संबंध में:

– प्राधिकरण द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

– कम्पनी की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. GOVERNMENT GRANTS

8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.

8.2 Government Grants of capital nature are recognised on accrual basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.

8.3 Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

8.4 Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

Liability may arise towards income tax liability and penalty for not obtaining PAN, filing of Income Tax Return and Exemption From Income Tax Liability for any of the financial year since inception, amount not quantified.

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

— बैंकों द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल — रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगें:

— आयकर — रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

— बिक्री कर — रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

— निगम कर — रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु प्रतिस्पर्द्धा में प्रवेश हेतु पार्टियों द्वारा दावे रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न किए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है, अतएव इसकी लेखांकन नीतियां अधिकांशतः जीएफआर और आरएंडपी नियमों पर आधारित हैं। प्राधिकरण के लेखा सिद्धांत और नीतियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

1. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य व्यवहार में प्राप्तियों में, तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि से कमोबेश बराबर होता है। वर्ष के दौरान अग्रिमों में वृद्धि मुख्य तौर पर कर्मचारियों/बाहरी पार्टियों को दिए गए अग्रिमों के कारण है।

कराधान

प्राधिकरण की आय आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के मद्देनजर आयकर से मुक्त मानी गई है। अतएव लेखाओं में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि प्राधिकरण को आयकर से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना बाकी है।

2 विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 सी.आई.एफ. आधार पर आगणित आयातों का मूल्य

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और घटक (पारगमन सहित)	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य
स्टोर्स, स्पेयर्स एवं प्रयोज्य सामान	शून्य

-Bills discounted with banks— Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

-Income-tax — Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Sales-Tax — Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Municipal Tax — Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety Standards Authority of India is a registered authority under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

The income of the authority is considered to be exempt from income tax in view of section 11 to 13 of the Income Tax Act. No provision for income tax is therefore made in the account. However authority yet to obtain exemption certificate from income tax.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores, Spares and Consumables	NIL

2.2 विदेशी मुद्रा में खर्च

क. यात्रा	21,53,642/-
ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में भुगतान और ब्याज का भुगतान	शून्य
ग. अन्य खर्च:	
बिक्री पर कमीशन	शून्य
कानूनी और प्रोफेशनल खर्च	शून्य
विविध खर्च	शून्य

2.3 आय:

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
सेवाओं का मूल्य	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लिए लागू निर्धारित प्रारूप के आधार पर की गई है।

4. कोष का स्रोत

प्राधिकरण के बजट में कोष की प्राप्तियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निवल अनुदान
- विविध प्राप्तियां जैसे लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियां इत्यादि

5. स्थिर परिसंपत्ति कोष और भवन कोष

अनुदानों से अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण वर्ष हेतु प्राप्त अनुदान को घटाकर संचित कोष के अंतर्गत अनुदान के पूंजीकरण के माध्यम से स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत किया गया है और तदनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास को कोष आधारित लेखांकन और मिलान धारणा के अनुरूप संबंधित कोष में प्रभारित किया गया है।

6. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत एजीसीआर द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप आवश्यक होने पर, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

8. 1 से 27 तक अनुसूचियां संलग्न की गई हैं और ये 31-03-2014 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।

2.2 Expenditure in foreign Currency:

a) Travel	21,53,642/-
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency	NIL
c) Other expenditure:	
Commission on sales	NIL
Legal and Professional Expenses	NIL
Miscellaneous Expenses	NIL

2.3 Earnings:

Value of exports on FOB basis	NIL
Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to our Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under:-

- Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
- Misc. Receipts like Licence Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, and other miscellaneous receipts, etc.

5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year. and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2014 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

एसआरएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(पहले भाटिया एंड कं.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
3सरा एवं 4था तल, एफडीए भवन,
कोटला रोड, नई दिल्ली—110002

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं संकलित वित्तीय विवरण

प्रिय महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषय के संबंध एवं हमारी नियुक्ति के संदर्भ में, हमने वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने और अनुपालन की गई स्थापित प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए निष्पादित की है। समय-समय पर विचार-विमर्श में सामने लाए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है। हम एतद्वारा संलग्न रिपोर्ट में प्रबंधन के ध्यानार्थ विस्तृत टिप्पणियां संस्तुतियों सहित प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमने इसी वित्तीय वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों का भी संकलन किया है जो संलग्न किए गए हैं। इस अवसर पर हम प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा हमें प्रदान किए गए सौजन्य और सहयोग की सराहना करते हैं। हमें इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में प्रसन्नता होगी।

धन्यवाद एवं बेहतर सेवाओं के आश्वासन सहित

कृते एसआरएन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सीए विकास सिंह चौहान, भागीदार

दिनांक: 22 जुलाई, 2014 स्थान: नई दिल्ली

संलग्नक: 1. एफएसएसआई की वित्तीय वर्ष 2013-14 की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संकलित वित्तीय विवरण


प्रतिलिपि:

1. उप निदेशक (वित्त), एफएसएसआई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
2. सहायक लेखा अधिकारी (एएओ), एफएसएसआई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

उत्कृष्टता के 30 वर्ष (1984-2014)

प्रधान कार्यालय: 608, पद्मा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

ASRN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FORMERLY BHATIA & CO.)



The Chief Executive Officer
Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI)
Ministry of Health & Family Welfare
3rd & 4th Floor, FDA Bhawan
Kotla Road, New Delhi – 110002

Subject: Internal Audit Report and Compiled Financial Statements of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) for the Financial Year 2013-14

Dear Sir,

With regards to above stated subject and in terms of our appointment; we have carried out the Internal Audit of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) for the Financial Year 2013-14 for strengthening the internal controls and reviewing laid procedures followed. The report has been issued after taking into consideration the facts brought out in discussion/deliberation from time to time. We are detailing herewith in enclosed report our observation for attention of management along with recommendations.

We have also compiled financial statements of the authority for the same financial year on the basis of information made available to us, were also enclosed. We take this opportunity to place on record our appreciation for the courtesy and co-operation extended to us by the employees of the authority. We would please to submit any further clarification in this regard.

Thanking you and assuring you of our best services

For ASRN & Associates
Chartered Accountants

CA Vikas Singh Chauhan

Partner

Date: 22nd July, 2014

Place: New Delhi



Enclosures: 1. Internal Audit Report of FSSAI FY 2013-14
2. Compiled Financial Statements for the FY 2013-14

CC to:

1. The Deputy Director (Finance), FSSAI, Ministry of Health & Family Welfare
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002
2. Asst. Accounts Officer (AAO), FSSAI, Ministry of Health & Family Welfare
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002

30Years of Excellence (1984-2014)

Head Office : 608, Padma Tower-1, Rajindra Place, New Delhi-110008 | Tel.: 9810214722, 41536539, 41536939
Web : www.asrnin.com | E-mail : sunilbhatia_ca@rediffmail.com; info@asrnin.com

अनुलग्नक 1

ब्याज आय	क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रकार	प्रयोजन	31.03.2014 को शेष	अर्जित ब्याज	अर्जित हो सकता था	नुकसान
मुख्यालय	1	बैंक ऑफ बड़ौदा	26030100006313	बचत	अनुदान	20,30,09,296.00	1,53,49,600.00	3,26,17,900.00	1,72,68,300.00
	2	बैंक ऑफ बड़ौदा	26030100008653	बचत	अनुदान	53,73,68,753.00	7,04,485.00	14,97,030.63	7,92,545.63
	3	बैंक ऑफ बड़ौदा	26030100008654	बचत	अनुदान	9,17,70,652.00	1,70,652.00	3,62,635.50	1,91,983.50
	4	भारतीय स्टेट बैंक	32107255077	चालू	ऑनलाइन लाइसेंस	1,67,07,379.00	-	7,10,084.86	7,10,084.86
	5	भारतीय स्टेट बैंक	32107254244	चालू	नमूना परीक्षण	84,98,223.00	-	3,61,178.73	3,61,178.73
चेन्नई	6	इंडियन ओवरसीज बैंक	16870100006201	बचत	अनुदान	54,08,094.00	55,223.00	1,17,348.88	62,125.88
	7	भारतीय स्टेट बैंक	32438212886	चालू	नमूना परीक्षण	68,41,018.00	-	2,90,743.27	2,90,743.27
	8	इंडियन ओवरसीज बैंक	168702000000131	चालू	नमूना परीक्षण	9,329.00	-	396.48	396.48
कोचीन	9	बैंक ऑफ बड़ौदा	08020100003247	बचत	अनुदान	9,59,008.00	8,260.00	17,552.50	9,292.50
सीएफएल	10	बैंक ऑफ बड़ौदा	09020100004758	बचत	अनुदान	56,64,977.00	1,90,472.00	4,04,753.00	2,14,281.00
मुम्बई	11	केनरा बैंक	1517101058798	बचत	अनुदान	52,09,964.00	2,23,430.00	4,79,038.75	2,53,608.75
	12	भारतीय स्टेट बैंक	32589757745	चालू	नमूना परीक्षण	2,13,38,853.00	-	9,06,901.25	9,06,901.25
कोलकाता	13	बैंक ऑफ बड़ौदा	197001000011468	बचत	अनुदान	54,21,919.00	-	2,30,431.56	2,30,431.56
	14	भारतीय स्टेट बैंक	32278327137	चालू	नमूना परीक्षण	67,60,039.00	-	2,87,301.66	2,87,301.66
गुवाहाटी	15	बैंक ऑफ बड़ौदा	27670100007292	बचत	अनुदान	1,96,224.00	19,890.00	42,266.25	22,376.25
एनआर	16	बैंक ऑफ बड़ौदा	26030100007979	बचत	अनुदान	-	1,24,080.00	2,63,670.00	1,39,590.00
	17	भारतीय स्टेट बैंक	32431522645	चालू	नमूना परीक्षण	43,40,482.00	-	1,84,470.49	1,84,470.49
एफआरएसएल	18	बैंक ऑफ बड़ौदा	30750100002259	बचत	अनुदान	23,93,753.00	1,59,946.00	3,39,885.25	1,79,939.25
					योग	92,18,98,563.00	1,70,08,038.00	3,91,13,589.04	2,21,05,551.04

Annexure I

Interest Income	BRANCH	SNO.	NAME OF BANK	ACCOUNT NUMBER	TYPE	PURPOSE	BALANCE 31.03.2014	INTEREST EARNED	COULD HAVE BEEN EARNED	LOSS OF INTEREST
	HEAD OFFICE	1	Bank of Baroda	26030100006313	Savings	Grant in Aid	20,30,09,296.00	1,53,49,600.00	3,26,17,900.00	1,72,68,300.00
		2	Bank of Baroda	26030100008653	Savings	Grant in Aid	53,73,68,753.00	7,04,485.00	14,97,030.63	7,92,545.63
		3	Bank of Baroda	26030100008654	Savings	Grant in Aid	9,17,70,652.00	1,70,652.00	3,62,635.50	1,91,983.50
		4	State Bank of India	32107255077	Current	Online License	1,67,07,379.00	-	7,10,084.86	7,10,084.86
		5	State Bank of India	32107254244	Current	Sample Testing	84,98,223.00	-	3,61,178.73	3,61,178.73
	CHENNAI	6	Indian Overseas Bank	16870100006201	Savings	Grant in Aid	54,08,094.00	55,223.00	1,17,348.88	62,125.88
		7	State Bank of India	32438212886	Current	Sample Testing	68,41,018.00	-	2,90,743.27	2,90,743.27
		8	Indian Overseas Bank	168702000000131	Current	Sample Testing	9,329.00	-	396.48	396.48
	COCHIN	9	Bank of Baroda	08020100003247	Savings	Grant in Aid	9,59,008.00	8,260.00	17,552.50	9,292.50
	CFL	10	Bank of Baroda	09020100004758	Savings	Grant in Aid	56,64,977.00	1,90,472.00	4,04,753.00	2,14,281.00
	MUMBAI	11	Canara Bank	1517101058798	Savings	Grant in Aid	52,09,964.00	2,23,430.00	4,79,038.75	2,53,608.75
		12	State Bank of India	32589757745	Current	Sample Testing	2,13,38,853.00	-	9,06,901.25	9,06,901.25
	KOLKATA	13	Bank of Baroda	197001000011468	Savings	Grant in Aid	54,21,919.00	-	2,30,431.56	2,30,431.56
		14	State Bank of India	32278327137	Current	Sample Testing	67,60,039.00	-	2,87,301.66	2,87,301.66
	GAWHATI	15	Bank of Baroda	27670100007292	Savings	Grant in Aid	1,96,224.00	19,890.00	42,266.25	22,376.25
	NR	16	Bank of Baroda	26030100007979	Savings	Grant in Aid	-	1,24,080.00	2,63,670.00	1,39,590.00
		17	State Bank of India	32431522645	Current	Sample Testing	43,40,482.00	-	1,84,470.49	1,84,470.49
	FSL	18	Bank of Baroda	30750100002259	Savings	Grant in Aid	23,93,753.00	1,59,946.00	3,39,885.25	1,79,939.25
						TOTAL	92,18,98,563.00	1,70,08,038.00	3,91,13,589.04	2,21,05,551.04

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट: 2013–2014
नई दिल्ली

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

Internal Audit Report: 2013 - 2014

New Delhi

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
भूमिका	
लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
I. प्रदत्त सेवाएं, आय और प्राप्त	
II. खरीद, अर्जन, व्यय एवं भुगतान योग्य लेखा	
III. मानव संसाधन एवं वेतनतालिका	
IV. स्थिर परिसंपत्तियां/पूँजीगत व्यय	
V. व्यय सहित नकद एवं बैंक शेष	
VI. सामान्य बही/शेष परीक्षण की संवीक्षा	
VII. सांविधिक अनुपालन	

Contents	Page No.
Introduction	1
<u>Audit Report</u>	
I. Services Rendered, Income and Receivables	2
II. Purchases, Acquisitions, Expenditures and Accounts payable	4
III. HR and Payroll	6
IV. Fixed Assets/Capital Expenditure	7
V. Cash & Bank Balance including expenses	8
VI. General Ledger/Trial Balance Scrutiny	9
VII. Statutory Compliance	11

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट: 2013–2014
नई दिल्ली

भूमिका

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रचालन के संबंध में प्रणालियों, नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की हमारी समीक्षा अनुमोदन, अभिलेखन और समन्वय सहित उनकी यथेष्टता और समीक्षा प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए की गई है।

अंतर्निहित लेनदेनों की समीक्षा नमूना आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि वे अधिकृत, उचित दस्तावेजों से समर्थित और उचित रूप से अभिलेखित किए गए हैं।

समीक्षा में व्यापक तौर पर, सहमत कार्यक्षेत्र के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र शामिल रहे:

- i) प्रदत्त सेवाएं, आय और प्राप्य
- ii) खरीद, अर्जन, व्यय एवं देय लेखे
- iii) मानव संसाधन एवं वेतनतालिका
- iv) स्थिर परिसंपत्तियां/पूंजीगत व्यय
- v) व्यय सहित नकद एवं बैंक शेष
- vi) सामान्य बही/शेष परीक्षण की संवीक्षा
- vii) सांविधिक अनुपालन

यह समीक्षा अप्रैल, मई और जून 2014 के महीने में की गई और इसमें अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक के लेनदेन शामिल रहे।

समीक्षाधीन क्षेत्रों—लेनदेन औचित्य एवं स्वीकृति के संबंध में समग्र नियंत्रण वस्तुतः उचित पाया गया जो कि स्वीकार्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में था। तथापि, कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रक्रियाओं के औचित्य के संबंध में सुधार अपेक्षित है।

समीक्षित क्षेत्रों, जिनमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं पर संस्तुतियों सहित हमारी टिप्पणियां पृष्ठ 2 से आगे निर्दिष्ट की गई हैं।

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

Internal Audit Report: 2013 - 2014

New Delhi

Introduction

Our review of the systems, controls and procedures with regard to operations of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), New Delhi was carried out to assess their adequacy, including authorization, recording, and reconciliation and review procedures.

Review of the underlying transactions was carried out on a sample basis to ensure that they are authorized, supported by appropriate documents and correctly recorded.

The review covered the following areas broadly, in accordance with the scope of work agreed upon:

- I. Services Rendered, Income and Receivables
- II. Purchases, Acquisitions, Expenditures and Accounts payable
- III. Fixed Assets/Capital Expenditure
- IV. Cash & Bank including expenses
- V. HR and Payroll
- VI. General Ledger/Trial Balance Scrutiny
- VII. Statutory Compliance

The review was carried out in the month of April, May and June, 2014 and covered transactions for the period April, 2013 to March 2014.

The overall controls with regard to the areas reviewed – transactions propriety and approval were observed to be substantially in order, as was compliance with applicable statutory requirements. However, there exist certain areas wherein improvement is required with regard to the adequacy of existing processes.

Our key observations on the areas reviewed where, with recommendations as required certain improvements could be effected are set out from page 2

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई)

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट: 2013–2014

नई दिल्ली

प्रचालन के संबंध में प्रणालियों, नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा सहमत कार्यक्षेत्र के अनुसार अनुमोदन, अभिलेखन और समन्वय सहित उनकी यथेष्टता और समीक्षा प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए की गई।

लेनदेनों की यथेष्टता – औचित्य, स्वीकृति एवं अभिलेखन के संबंध में समग्र नियंत्रण वस्तुतः उचित पाया गया।

तथापि, मौजूदा प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्रभावी बनाने के संबंध में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए जा सकते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

I. प्रदत्त सेवाएं, आय और प्राप्त्य

• समझौते के अनुसार विभिन्न सेवाओं के लिए जारी इन्वॉइसों की प्रक्रिया

हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है जब लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण शुल्क और उत्पाद स्वीकृति के लिए डीडी प्राप्त होते हैं और उन्हें बैंक में जमा कराया जाता है। तथापि यह पाया गया है कि हो सकता है कुछ डीडी गुम/खो गए हों या लाइसेंस बिना शुल्क के जारी किए गए हों।

अनुशंसा

यह सुझाव दिया जाता है कि एक यूनिक उपयोग कोड के साथ एक ट्रैकिंग प्रणाली हो, ताकि सेवा हेतु आवेदन से लेकर शुल्क की प्राप्ति तक कार्यान्वयन का पता लगाया जा सके और लंबित आवेदनों, माह के दौरान प्राप्त, प्रक्रियाधीन/लाइसेंस या स्वीकृति जारी किए जाने, लंबित आवेदनों की संख्या और प्राप्त शुल्क के संबंध में मासिक श्रेणीवार एमआईएस प्रणाली हो।

उत्तर: लाइसेंस ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के माध्यम से जारी किए जाते हैं। लाइसेंस तभी जारी किए जाते हैं जब डी.डी. का विवरण प्रणाली में दर्ज किया जाता है। नमूना परीक्षण शुल्क के संबंध में, शुल्क ऑनलाइन खाद्य आयात क्लियरेंस प्रणाली (FICS) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र तभी जारी किए जाते हैं जब डी.डी. का विवरण प्रणाली में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, जी.ए.आर.-5 (प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली) के अनुसार मूल्य रजिस्टर का भी रखरखाव किया जाता रहा। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2014 से लाइसेंस, उत्पाद स्वीकृति एवं नमूना परीक्षण के लिए शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार, प्राप्ति के खोने और गुम होने की कोई संभावना नहीं है।

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

Internal Audit Report: 2013 - 2014

New Delhi

Review of the systems, controls and procedures in operation, was carried out in accordance with the scope of work agreed upon, to assess their adequacy, including authorization, recording, and reconciliation and review procedures.

Overall controls with regard to adequacy of transactions – propriety, approval and recording were observed to be substantially in order.

However, there exist certain key areas wherein improvement could be effected with regard to the effectiveness of existing processes and controls, as detailed hereunder:

I. Services Rendered, Income and Receivables

• Process of invoices raised for various services as per the agreement

As per information made available to us the income is recognized on receipt basis when DD's are received for Licence Fees, Sample Testing Fees and Product Approval and the same are deposited in the Bank. However, it is observed that some D.D.s may be misplaced/lost or license may be issued without fee.

Recommendation

It is suggested that there should be a tracking system with a unique application code, so that the realization could be traced from application for service to realization of fee and there should be monthly category of service wise MIS system with respect to opening applications pending, received during the month, processed/license or approval issued, number of applications pending and fee collected.

Reply: The licenses are issued through online Food Licensing and registration system (FLRS). The Licenses were issued only when the D.D.s details were entered into the system. In regards to Sample Testing Fees, the fees received through online Food Import Clearance System (FICS). The N.O.C.s were issued only when the D.D.s. details were entered into the system. Besides this, the valuable register was also being maintained as per G.A.R. – 5 (Receipts & Payment Rules). However, It is mentioned that w.e.f. 1st April, 2014, the fees towards License, Product Approval and Sample Testing are being received through Bank of Baroda e-payment Gateway. As such, there is no possibility of lost and misplacement of receipt.

- ब्याज से आय और अन्य आय का उचित रूप से लेखांकन किया गया है

शाखाओं के लिए बनाए गए बचत खातों में रु. 7.83 लाख की ब्याज आय वित्तीय वर्ष के दौरान मान्य नहीं किया गया जिसके कारण शाखाओं के खातों के शेष में अंतर रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोलकाता शाखा के बचत खाता सं. 19700100011468 में शेष रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया है और ऑनलाइन लाइसेंस और नमूना परीक्षण के लिए भारतीय स्टेट बैंक में नए खाते चालू खाते के तौर पर खोले गए जिन पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया।

कोष के अनुचित नियोजन के कारण ब्याज की गणना में अनुमानित नुकसान निम्न प्रकार है:

खाते का प्रकार	उद्देश्य	अर्जित ब्याज	अर्जित किया जा सकता था (लगभग)	ब्याज आय का नुकसान
चालू	ऑनलाइन लाइसेंस	—	710,085	710,085
	नमूना परीक्षण	—	1,555,382	1,555,282
चालू	नमूना परीक्षण	—	291,140	291,140
	नमूना परीक्षण	—	184,470	184,470
बचत	अनुदान	650,961	1,383,292	731,331
बचत	अनुदान	16,357,077	34,989,220	18,632,143
योग		17,008,038	39,113,589	22,105,551

विस्तृत गणना के लिए अनुलग्नक 1 देखें।

पुनश्च, बचत खातों में ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है जो कि लेखाओं पर टिप्पणी में यथा वर्णित लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के विरुद्ध है।

प्राधिकरण द्वारा आय के रिकॉर्ड के लिए मैनुअली रखे गए मूल्य रजिस्टर को समय पर अपडेट नहीं किया जाता है।

प्राप्त प्रतिभूतियों में निविदा के मूल्य के तौर पर पिछले वर्ष की आय से संबंधित रु. 12,500/- शामिल है जिसे गलती से प्राप्त प्रतिभूतियों में देयता के तौर पर लिया गया।

अनुशंसा

यह सुझाव दिया जाता है कि प्राधिकरण कोष का उचित रूप से प्रबंधन और जहां इसे अनुमति है वहां निवेश करे और रखे गए रिकॉर्ड/रजिस्टर को नियमित आधार पर अपडेट किया जाए।

प्राप्त प्रतिभूतियों के माध्यम से रु. 12,500/- की संशोधन प्रविष्टि की जानी है।

- That interest income and other income have been properly accounted for

Interest income on saving accounts maintained for branches amounting Rs. 7.83 Lakh was not recognized during the financial year due to which there was difference in balances of branch accounts. Bank of Baroda (Saving A/c No. 19700100011468) maintained by Kolkata branch has not given any interest on the balance and also new accounts opened with SBI for Online License and Sample Testing were opened as current account on which no interest earned at all.

Estimated loss of interest calculation due to improper planning of funds is as follows

TYPE OF A/C	PURPOSE	INTEREST EARNED	COULD HAVE BEEN EARNED(Approx)	LOSS OF INTEREST INCOME
Current	Online License	-	710,085	710,085
	Sample Testing	-	1,555,382	1,555,382
Current	Sample Testing	-	291,140	291,140
	Sample Testing	-	184,470	184,470
Savings	Grant in Aid	650,961	1,383,292	732,331
Savings	Grant in Aid	16,357,077	34,989,220	18,632,143
Total		17,008,038	39,113,589	22,105,551

For detailed calculation refer Annexure 1

Further interest income on saving accounts is recognized on receipt basis, which is against accrual system of accounting as stated in notes to accounts.

Valuable register maintained manually by the authority for recording income, is not updated timely.

Securities Received includes Rs. 12,500/- related to previous year's income toward tender cost, which was wrongly taken to Securities Received as liability.

Recommendation

It is suggested that authority should manage the funds properly and invest where it is allowed to invest and records/registers maintained should be updated on regular basis.

Rectification entry of Rs. 12,500/- has to be made through securities received

Reply: It is mentioned that FSSAI is in the process of closing Current Account opened with State Bank of India for Online License Fee and Sample Testing Fee collection as from April, 2014 Bank of Baroda E-payment Gateway has been started for collection of fees towards License, Product Approval and Sample Testing.

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि खाद्य प्राधिकरण में ऑनलाइन लाइसेंस शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क संग्रहण के लिए भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए चालू खाते बंद करने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि अप्रैल 2014 से लाइसेंस, उत्पाद स्वीकृति और नमूना परीक्षण के लिए शुल्क के संग्रहण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ई-भुगतान गेटवे आरंभ हो गया है।

कोलकाता डिवीजन में बचत बैंक खाते में अनुदान से संबंधित लेनदेनों पर ब्याज न दिए जाने के संबंध में, यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ले जाया गया है।

जहां तक मूल्य रजिस्टर की बात है, उसे अब जीएआर 5 (प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली) के अनुसार अपडेट किया गया है।

प्रतिभूति प्रविष्टि के संबंध में, रु. 12,500/- की प्रविष्टि 31.03.2014 को बहियों में दर्ज कर दी गई है।

II. खरीद, अर्जन, व्यय एवं देय लेखे

- किए गए भुगतान सभी प्रकार से सही और स्वीकृति के अनुसार

हमने पूरी वाउचिंग की है और पाया कि वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांश भुगतान सही और उनकी स्वीकृति के अनुसार पाए गए सिवाय इनके

- हमने विदेश यात्रा व्यय के वाउचरों का सत्यापन किया, जिनमें हमने वाउचर सं. 125 व 256 में +58 का स्वीकृत होटल बिल अनुमत सीमा से अधिक था और अधिक भुगतान के बारे में बताया गया कारण संतोषजनक नहीं था।
- श्री बालासुब्रमनियम को रु. 3980 और श्री बी.जी. पांडियन को रु. 274 का अधिक भुगतान।
- श्री कमल कुमार, एडी को व्यय के पुनर्भुगतान के लिए, एक ही भुगतान दो बार करने के कारण, रु. 17,897/- का अधिक भुगतान।

यह सुझाव दिया जाता है कि प्राधिकरण स्वीकृत सीमाओं का पालन करे और उचित ध्यान के साथ भुगतान करे। भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली की जाए।

उत्तर:

- यह उल्लेख किया जाता है कि यह मामला श्री ए.के. अधिकारी, निदेशक, सीएफएल के कोलकाता के चीन की विदेश प्रतिनियुक्ति से संबंधित है। होटल का व्यय उनकी हकदार श्रेणी का आवास उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति से अधिक हुआ। तथापि, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने पर व्यय को नियमित कर दिया गया।
- यह उल्लेख किया जाता है कि यह अधिक भुगतान नहीं था। यह भुगतान एक निरस्तीकरण के लिए था किंतु निरस्तीकरण प्रविष्टि अप्रैल 2013 में नहीं की गई थी अतएव, पिछले वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा बहियों में संशोधन प्रविष्टि दर्ज कर दी गई है।
- यह उल्लेख किया जाता है कि श्री कमल कुमार, ए.डी. को रु. 17,897/- का अधिक भुगतान बैंक द्वारा दो बार कर दिया गया था और बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2014-15 के माह जून 2014 में अधिक भुगतान को प्रतिलोम कर दिया है।

- वाहनों के किफायती प्रचालन की दृष्टि से वाहनों का रखरखाव रिकॉर्ड

प्राधिकरण के स्वामित्व में केवल एक एम्बेसडर (डीएल-2सीक्यू-3762) है और अन्य सभी वाहन ट्रेवल एजेंसी से मासिक आधार पर किराए पर लिए जाते हैं। हमने कंपनी के स्वामित्व वाले वाहन की लॉग बुक की समीक्षा करते हुए पाया कि इसे स्पष्ट तरीके से नहीं रखा गया है और वाहन के किफायती संचालन की गणना करने योग्य नहीं है। जहां तक किराए के वाहनों की बात है उनके प्रभार न्यूनतम और प्रति किलोमीटर चालन पर हैं।

With regard to not allowing interest on transactions related to Grant-in-Aid in Saving Bank Account in Kolkata Division, the matter has been taken up with the Competent Authority of Bank of Baroda.

As far as the Register of Valuables is concerned, the same has since been updated as per GAR 5 (Receipt and Payment Rules).

With regard to security entry, the Rectification entry of Rs.12,500/- has been passed in the books on 31.03.2014.

II. Purchases, Acquisitions, Expenditures and Accounts payable

- Correctness of the payments made in all respect and sanctions thereto.

We have done complete vouching and observed that during the financial year most of the payments were found correct and as per sanctions thereto except

- We have verified foreign travelling expense vouchers, where we found against voucher number 125 & 256 hotel expense of \$58(Rs. 3300 approx) sanctioned in excess of the limit allowed and the reason submitted for excess payment was not satisfactory.
- Excess Payment made to Mr. Balasubhramaniam of Rs. 3980 and to Mr B.G. Pandian Rs. 274.
- Excess Payment of Rs. 17,897/- made to Mr. Kamal Kumar, AD for re-imburement of expenses, due to same payment made twice.

It is suggested that the authority should adhere sanctioned limits and make the payment with due care. Recover the amount of excess amount paid.

Reply:

a) It is mentioned that the matter relates to foreign deputation of Sh. A.K.Adhikari, Director, CFL, Kolkata to China. The hotel expenses exceeded beyond the approval due to non availability of accommodation of his entitled class. However, the expenditure was regularized after obtaining approval of the Competent Authority.

b) It is mentioned that this was not excess payment. The payment was against a cancellation but the cancellation entry was not made in April 2013 therefore, rectificatory entry has been passed in the books of accounts during the last F.Y. 2013-14.

c) It is mentioned that excess payment of Rs. 17,897/- to Sh. Kamal Kumar, A.D. was made twice by the bank and the Bank has reversed the excess payment in the month of June 2014 of the current Financial Year 2014-15.

- Vehicle maintenance records with the view to economic running of the vehicles

Only one Ambassador (DL-2QC-3762) owned by the authority and all other vehicles hired on monthly basis from travel agency. We have reviewed log book of owned vehicle which we

हमने वाहनों को किराए पर लिए जाने के आवंटन के लिए निविदा की पूरी फाइल की समीक्षा की जिसमें हमने पाया कि प्रस्ताव आमंत्रित करते समय एक उपवाक्य था कि वाहन दो वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए किंतु आवंटन पत्र में हमने ऐसा नहीं पाया और मेट्रो ट्रेवल्स द्वारा उपलब्ध कराए गए अनेक वाहन दो वर्ष से अधिक पुराने थे जिनका सत्यापन प्रस्तुत किए गए बिलों और मेट्रो ट्रेवल्स द्वारा प्रस्तुत आरसी की प्रतियों से हुआ।

अनुशंसा

यह सुझाव दिया जाता है कि लॉग बुक का रखरखाव उचित तरीके से किया जाए और ठेकेदारों के साथ अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में सुधार करना अपेक्षित है।

उत्तर: लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है।

- सभी मामलों में सभी प्रकार से वार्षिक रखरखाव अनुबंध

हमने वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए एएमसी अनुबंधों की समीक्षा की और टिप्पणी करने योग्य कुछ नहीं पाया, तथापि अनुबंध कर्मचारियों के साथ अनुबंधों के संबंध में समयपालन के बारे में लिखित में कोई बाध्यता नहीं थी जिससे अवकाश या आधे दिन का रिकार्ड विवेक के आधार पर किया जाता है और अनुबंध के अनेक क्षेत्र जैसे वैधता अवधि, पारिश्रमिक और गवाही इत्यादि खाली पाए गए।

अनुशंसा

अनुबंध लिखते समय उचित ध्यान दिया जाए।

उत्तर: अनुबंध आई.एफ.डी. के परामर्श से तैयार किए जाते हैं और विधिक शाखा द्वारा इनकी जांच की जाती है। अनुबंध स्टाफ का अनुबंध कर्मचारी द्वारा अनुबंध के सभी कालम भरने के बाद ही हस्ताक्षरी द्वारा निष्पादित और हस्ताक्षरित किया जाता है। जहां तक अनुबंध कर्मचारियों के समयपालन और अवकाश का रिकॉर्ड रखने की बात है, दिनांक 26.09.2013 के परिपत्र (अनुलग्न-क) द्वारा जारी दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं।

- देय लेखे/लेनदार

क. लेनदारों में दर्शाया गया रु. 3,01,67,920/- का आरंभिक शेष वास्तव में व्यय हेतु प्रावधान था जिसे गलती से पार्टी लेखा में जमा दिखाया गया था।

उत्तर: उपरोक्त को 01.04.2013 को उलट दिया गया है।

ख. देयता के तौर पर दर्शाए जाने वाले नमूना परीक्षण शुल्क की प्राप्ति हेतु खोले गए खाते में प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए रु. 4.83 करोड़ आरंभिक शेष वित्तीय विवरणों में उक्त बैंक खाते शामिल करते समय दर्शाया गया है, तथापि प्रयोगशाला-वार सूची उपलब्ध नहीं है।

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को भुगतान करने की कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गई है। जहां तक प्रयोगशाला वार सूची की बात है, उसे आयात डिवीजन द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा रहा है।

found not legibly maintained and not able to calculate economic running of the same. As far as hired vehicles are concerned charges are fixed minimum and per kilometer of running.

We have reviewed complete file of tender for the hire of vehicles allotment thereof, where we observed that at the time of calling proposals there was a clause with respect to age of vehicle should not be older than two year but in allotment letter we did not found the same and many of the vehicles provided by Metro Travels were older than two years verified from bills submitted and copy of RC's submitted by Metro Travels

Recommendation

It is suggested that log book should be maintained properly and there is requirement to improve on the part of terms of contract with the contractors.

Reply: The suggestion made by the Auditor is being examined.

- Annual maintenance contracts entered into in respect of all matters

We have reviewed AMC contracts entered into during the financial year and found nothing to comment upon, however in respect of contracts entered with contractual employees were written with no binding on employees with respect to timing due to which discretion is applied for recording leave or half day and many fields of the contracts found blank like validity period, remuneration and witness etc.

Recommendation

Contracts should be written with due care

Reply: The agreement has been drafted in consultation with L.F.D. and vetted by the legal branch. The agreement of the contractual staff is executed and signed by the signatory only if all the fields of the agreement are filled in by the employee. So far as timing and discretion of recording of leave of contractual staff is concerned, guidelines issued by the circular date 26-09-2013 (Ann.A) are binding.

- Accounts Payable/Creditors

(a) Opening balance of Rs. 3,01,67,920/- shown as creditors was actually provision for expenses wrongly credited to parties account.

Reply: The same has been reversed on 01.04.2013.

(b) Balance in accounts opened for receipt of sample testing fee to be shown as liability amounting Rs. 4.83 Crore towards accredited laboratories which has been shown after incorporating said bank accounts in the financials, however laboratory-wise list not available.

ग. रु. 20,569/- का देय ब्याज व्यय पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया, इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त राशि पिछले वित्त वर्षों में दर्ज गलत प्रविष्टि के कारण है और इसे चालू वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित कर दिया जाएगा।

घ. रु. 11,36,342/- के पुराने चेकों की देयता है

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि रु. 11,36,342/- के पुराने चेक पिछले वित्तीय वर्षों में दर्ज गलत प्रविष्टियों के कारण हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि रु. 11,36,342/- में से, रु. 3.18 लाख वित्त वर्ष 2013-2014 से संबंधित है। यह उल्लेख किया जाता है कि पुराने चेकों को खोजने के प्रयास किए जायेंगे और उन्हें चालू वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित कर दिया जाएगा।

ङ. रु. 5,62,938/- की सांविधिक कटौतियों की देयता की जगह रु. 3,56,129/- के विवरण उपलब्ध हैं और शेष रु. 2,06,809/- के विवरण उपलब्ध नहीं हैं

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि यह पिछले वित्तीय वर्षों में दर्ज गलत प्रविष्टियों के कारण है। रु. 2,06 लाख में से, रु. 1.74 लाख को चिन्हित कर लिया गया है किंतु रु. 30,000/- अब तक चिन्हित नहीं हुआ है। उसकी जांच की जाएगी और चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा बहियों में संशोधित किया जाएगा।

च. व्यय न की गई अनुदान राशि के संदर्भ में देयता को मान्य किया जाना है

उत्तर: इसे बहियों में मान्य कर दिया गया है।

छ. आरंभिक शेष अंतर को अनिश्चित लेखा में लेने के कारण विभिन्न शाखाओं में रु. 4,05,7734/- के शेष अंतर को आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

उत्तर: यह पिछले वर्षों में शाखाओं द्वारा न्यूनोक्ति के कारण हुआ है।

III. मानव संसाधन पद्धति और रिकॉर्ड

• नई नियुक्ति / अनुबंध कर्मचारियों के लिए प्रलेखन

हमने प्राधिकरण में अनुबंध आधार पर नियुक्त नए कर्मचारियों से किए गए अनुबंधों की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि अनुबंध सामान्यीकृत थे और अनेक क्षेत्र जैसे अनुबंध की अवधि, पारिश्रमिक और गवाही इत्यादि खाली छोड़े गए थे।

Reply: It is mentioned that the matter has already been initiated for disbursing the payment to the accredited laboratories. As regards laboratory-wise list is concerned, the same is being obtained by the Imports Division from all the Regional Offices.

(c) Interest expense payable amounting Rs. 20,569/- outstanding from last financial year no detail available for the same

Reply: It is mentioned that the above amount is due to wrong entry passed in the previous Financial Years and the same will be rectified in the current F.Y. 2014-15.

(d) There is liability against stale cheques of Rs. 11,36,342

Reply: It is mentioned that the stale cheques of Rs. 11,36,342 is due to wrong entries passed in the previous Financial Years. It is also mentioned that out of Rs. 11,36,342/-, Rs.3.18 lakh pertains to F.Y 2013-2014. It is mentioned that efforts will be made to trace the stale cheques and rectify the same in the current Financial Year 2014-15.

(e) There is liability against statutory deductions of Rs. 5,62,938 out of which detail of Rs.3,56,129/- available and for the balance amount of Rs. 2,06,809/- details not available.

Reply: It is mentioned that this is due to wrong entries passed in the previous Financial Years Out of Rs. 2.06 lac, Rs.1.74 lac has been identified but Rs.30,000/- is not identified till date. The same shall be checked and rectified in the books of accounts during the current Financial Year 2014-15.

(f) Liability towards unspent grant amount to be recognised.

Reply: The same has been recognized in the books.

(g) Difference of balances with the various branches amounting Rs. 4,05,734/- due to opening balance difference taken to suspense account to be recorded correctly through income and expenditure account

Reply: This is due to understatement from branches in past years.

III. HR processes and records

• Documentation for new joining/Contract Employees

We have reviewed contracts entered with new employees joined on contract basis with the authority, it was observed that contracts were generalized and many fields left blank like period of contract, remuneration and witness etc.

हमने मासिक उपस्थिति तालिका की समीक्षा की जिसमें हमने पाया कि बायोमैट्रिक मशीन से पंचिंग होने के बाद भी देरी से आने, आधे दिन और अवकाश पर वस्तुगत आधार पर विचार किया जाता है।

अनुशंसा

प्राधिकरण को निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि 26 सितंबर, 2013 के निर्देशों में देर से उपस्थिति, आधे दिन के अवकाश/या अवकाश के लिए प्रशासनिक विवेचन का प्रावधान है। अतएव, इस पर वस्तुगत आधार पर विचार नहीं किया जाता क्योंकि अनुबंध स्टाफ की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए निर्दिष्ट शर्तें हैं। अनुबंध स्टाफ की मजदूरी बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही तैयार की जाती है। कार्य दिवसों की गणना 26 सितंबर, 2013 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित अनुबंध प्रलेख के आधार पर की जाती है।

- क्या प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान संबंधित मंत्रालय को अग्रसारित किया गया

सीपीएफ के प्रति सांविधिक कटौती में शेष रु. 2,06,809/- के अनुपलब्ध विवरण के अतिरिक्त इस संबंध में हमें कुछ नहीं मिला।

अनुशंसा

उपरोक्त शेष रकम का विवरण चिन्हित किया जाए और लेखे को संशोधित किया जाए।

उत्तर: संबंधित प्रतिनियुक्तिधारी के संबंध में, अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान का भुगतान संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजा जा रहा है। रु. 2.06 लाख में से, 1.74 लाख चिन्हित हो चुका है और शेष रु.30,000/- को चिन्हित किए जाने का प्रयास जारी है।

IV. पूंजीगत व्यय – स्थिर परिसंपत्तियां

- पूंजीगत व्यय – बजट प्रक्रिया

किसी प्रकार के पूंजीगत व्यय का बजट नहीं किया जा रहा है।

अनुशंसा

प्राधिकरण को सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए पहले ही पूंजीगत व्यय की बजट पद्धति का कार्यान्वयन करना चाहिए।

उत्तर: लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सुझाव की जांच की जाएगी और उसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

We have reviewed monthly attendance sheet, where we found that late, half day and leave considered on objective basis even after punching is done through biometric machine

Recommendation

Authority should follow laid guidelines strictly

Reply: It is mentioned that the instructions dated 26th Sept, 2013 provides the basis for administrative treatment on late attendance, half day leave and/ or leave. Hence, it is not considered on objective basis as there are define terms for observing on attendance on contractual staff. The wages of contractual staff are prepared on the basis of attendance marked through biometric machine only. Calculation of working days is done on the basis of contract document read with the guidelines issued on 26th Sept, 2013.

- Whether leave salary/pension contribution forwarded to the concerned ministry in respect of deputations

Except detail of balance in 2,06,809/- in statutory deduction towards CPF not available we have not found anything in this respect.

Recommendation

Detail of above balance to be identified and account to be reconciled

Reply: The payment of leave salary/pension contribution are being sent to the concerned Ministries/Departments in respect of the concerned deputationist. Out of 2.06 lac, 1.74 lac has been identified and the balance Rs.30,000/- is in the process of being identified.

IV. Capital Expenditure - Fixed Assets

- Capital Expenditure – budgeting process

There is no capital expenditure budgeting done

Recommendation

Authority should implement budgeting system of capital expenditures after considering requirements of all the departments and regional offices and branches in advance.

Reply: The suggestion made by the Auditor shall be examined and implemented.

- **प्रविष्टियों की परिशुद्धता और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर की जांच**
स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को समय पर अपडेट नहीं किया जा रहा है और रजिस्टर में कोई परिसंपत्ति कोड नहीं पाया गया जिससे रजिस्टर के माध्यम से परिसंपत्ति को चिह्नित किया जा सके। अर्जित परिसंपत्तियों के लिए अनुलग्नक 2 देखें जिसे न तो लेखा बहियों में और न ही गलती से व्यय लेखे में लिए गए रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है।

कुछ शाखा कार्यालयों में परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में शामिल नहीं किया जा रहा है और व्यय लेखा में 100: दर्ज कर दिया गया और ऐसा ही चालू वित्त वर्ष के दौरान भी किया जा रहा है।

हमें उपलब्ध कराई गई दिनांक 2 मई, 2014 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए, यह पाया गया कि भौतिक सत्यापन एफडीए भवन के केवल तीसरे तल, चौथे तल और बेसमेंट स्थित परिसंपत्तियों का किया जा रहा है और रिपोर्ट और रजिस्टर में परिसंपत्ति कोड उपलब्ध न होने के कारण रजिस्टर में दर्ज परिसंपत्ति का पीवी रिपोर्ट से मिलान करना कठिन था। स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि 2 टेलीविजन सेट (सैमसंग कम्पनी के) एफडीए भवन के भू तल पर थे, हालांकि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में हमें वे नहीं मिले।

परिसंपत्तियों के बीमा के विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।

अनुशंसा

परिसंपत्ति की कोडिंग/टैगिंग सहित उचित तौर से स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर रखा जाए, शाखाओं की परिसंपत्तियों को भी मूल्यहास अनुसूची में शामिल किया और स्थिर परिसंपत्तियों का विवरण रखा जाए और सभी स्थिर परिसंपत्तियों का बीमा कराया जाए।

उत्तर: लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सुझाव की जांच की जाएगी और इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

V. व्यय सहित नकद एवं बैंक शेष

- **सभी बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण की छानबीन और जांच**

हमने उपलब्ध कराए गए बैंक मिलान विवरणों की जांच पड़ताल और सत्यापन किया और उन्हें संतोषजनक पाया, तथापि एफआरएसएल, गाजियाबाद के संबंध में बहियों के अनुसार शेष और बैंक विवरण के अनुसार शेष में रु. 21,19,140/- का अंतर था जिसके लिए कोई बीआरएस विवरण उपलब्ध नहीं था। शाखाओं के बही शेष में भी आरंभिक शेष में अंतर था। बीआरएस के लेखावार विवरण और बहियों में आरंभिक शेष अंतर के लिए अनुलग्नक 3 देखें।

हाथ से लिखे गए रजिस्टर में आरंभिक शेष में नकदी में रु. 10,000/- और बैंक में रु. 7,500/- का अंतर था।

अनुशंसा

यह सुझाव दिया जाता है कि एफआरएसएल, गाजियाबाद के लेखा में आरंभिक शेष अंतर को उचित तरीके से निपटाकर मिलान किया जाए।

उत्तर: यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त मामला निदेशक, एफआरएसएल, गाजियाबाद के पास पहले ही ले जाया गया है और चालू वित्त वर्ष 2014-15 में इसका समाधान कर लिया जाएगा।

- **Checking of Fixed Asset Register with the view to ensuring the accuracy of entries and physical verification**

Fixed assets register not being updated timely and there is no asset coding found in the register so that assets could be identified through register. Refer Annexure 2 for the assets acquired and neither being recorded in the books of accounts nor in the register wrongly taken to expenditure account.

Assets at few branch offices not being incorporated in the financial statements as fixed assets last year and were taken to expenditure account 100% and same being done during current financial year also.

While reviewing physical verification report dated 2nd of May 2014 provided to us, it was observed PV of assets situated 3rd Floor, 4th Floor and basement only being done of the FDA building and due to non availability assets code in the report and register it was difficult to correlate assets in the register with PV Report. While reviewing FA register, it has been observed that 2 Television Sets (of Samsung company) were at ground floor of the FDA Building, however we did not found in the physical verification report.

Detail of insurance of assets also not available

Recommendation

Fixed asset register should be maintained properly with asset coding/tagging, Assets of branches also to be incorporated in the depreciation schedule and detail of fixed assets maintained and all the fixed assets to be insured.

Reply: The suggestion made by the Auditor shall be examined and implemented

V. Cash & Bank including expenses

- **Scrutiny and checking of bank reconciliation statement of all Bank Accounts**

We have scrutinized and verified bank reconciliation statements made available to us and found satisfactory, however in case of FSRL Gaziabad there was difference in balance as per books and balance as per bank statement of Rs. 21,19,140/- for which no BRS made available. There was opening balance difference also in the ledger balances of branches. For account wise summary of BRS and opening balance difference in ledgers refer Annexure III.

As per manual register maintained there was opening difference in Cash of Rs. 10,000/- and in Bank Rs. 7,500/-

Recommendation

It is suggested that opening balance difference to be dealt with properly an account of FRSL Ghaziabad to be reconciled.

Reply: It is mentioned that the matter has already been taken up with the Director, FRSL, Ghaziabad and the same shall be resolved in the current Financial Year 2014-15.

जहां तक रोकड़ बही की बात है, आरंभिक शेष के अंतर को संशोधित कर दिया गया है।

- **नकदी**

मैन्युअल आधार पर रखे गए नकदी और बैंक रजिस्टर अपडेट और नियमित आधार पर संतुलित नहीं हैं, रजिस्टर में अतिथि गृह नकद प्राप्ति की जांच के समय हमें रजिस्टर में अधिक प्रविष्टियां नहीं मिलीं रोकड़ बही का संतुलन नहीं किया गया है।

प्राधिकरण के पास 31/03/2014 को स्टाफ के पेशगी खाते से प्राप्त रु. 25,000/- नकद शेष थे, कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

अनुशंसा

रजिस्टर को नियमित आधार पर अपडेट किया जाए और प्राधिकरण के पास नकदी के लिए बीमा कराया जाए।

उत्तर: नकद शेष की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अभी रोकड़ बही में रिकॉर्ड कर दी गई है।

VI. सामान्य बही/शेष परीक्षण की संवीक्षा

- आय, व्यय और तुलन पत्र से संबंधित दैनिक रिपोर्ट और बहियों की जांच

आय

रिपोर्ट के उपवाक्य I में यथा सूचित

व्यय

प्रशासनिक व्यय में पिछले वर्ष के व्यय से संबंधित रु. 2.74 करोड़ शामिल हैं।

सीडीएससीओ के साथ विभाजन किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय जो पिछले वर्षों में प्रतिवर्तित नहीं किए गए को इस प्रकार प्रतिवर्तित किया गया है।

As regards the Cash Book, the difference of opening balance has been rectified.

- **Cash**

Manual cash and bank register maintained is not updated and balanced on regular basis, while vouching guest house cash receipt in the register we have not found many entries in the register. Balancing of the cash register was not done.

There was Rs. 25,000/- cash balance with the authority as on 31/03/2014 received from Imprest account of staff, no physical verification report available.

Recommendation

Register has to be updated regular basis and insurance has to be taken for cash with the authority.

Reply: *A certificate of Physical verification of cash balance has since been recorded in the Cash Book*

VI. General Ledger/Trial Balance Scrutiny

- **Scrutiny of Journal and ledger pertaining to income, expenditure and Balance Sheet.**

Income

As reported in Clause I of the report

Expenditure

Administrative expenses include Rs. 2.74 Crore related to previous year's expenses.

Administrative expense which has to be shared with CDSCO has not been reversed in previous years is reversed as follows

वर्ष	व्यय	60% अंश	पहले से प्रतिवर्तित	शेष
2008.2009	7,877,842	4,726,705	-	4,726,705
2009.2010	9,077,613	5,446,568	5,301,476	145,092
2010.2011	10,621,833	6,373,100	5,514,988	585,112
2011.2012	8,586,772	5,152,063	5,152,063	0
2012.2013	13,131,042	7,878,625	-	7,878,625
2013.2014	12,925,496	7,755,298	7,755,298	-
योग	62,220,598	37,332,358.80	23,723,825	13,608,533.80

तुलन पत्र मदें

क. चिन्हित/स्थायी कोष के बारे में कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं

उत्तर: वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रमाणन लेखापरीक्षा के अनुसार, जिसमें सीएजी द्वारा प्रस्तुति की इस पद्धति को छोड़ने की सलाह दी गई थी अतएव इस वर्ष ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया।

ख. मुख्यालय के वित्तीय विवरणों में शाखाओं की सांविधिक देय देयता कहीं दर्ज न होने के कारण देयताओं का कम विवरण

उत्तर: यह बात शाखाओं को बता दी गई है, चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान मामले का समाधान कर लिया जाएगा।

ग. पार्टीवार रु.7.60 करोड़ के अग्रिम की सूची तैयार की जानी है।

उत्तर: यह पहले ही तैयार कर ली गई और लेखापरीक्षक को उपलब्ध करा दी गई है।

घ. कर्मचारियों से दंडात्मक ब्याज और टी.ए. के मद में रु. 58,460/- की वसूली की गई, लेकिन वसूली योग्य की बजाय आय संबंधित व्यय में दर्ज कर दी गई।

उत्तर: संशोधित प्रविष्टि 31.03.2014 को पारित की जा चुकी है।

YEAR	EXPENDITURE	60% SHARE	ALREADY REVERSED	BALANCE
2008-2009	7,877,842.00	4,726,705	-	4,726,705
2009-2010	9,077,613.00	5,446,568	5,301,476	145,092
2010-2011	10,621,833.00	6,373,100	5,514,988	858,112
2011-2012	8,586,772.00	5,152,063	5,152,063	0
2012-2013	13,131,042.00	7,878,625	-	7,878,625
2013-2014	12,925,496.00	7,755,298	7,755,298	-
TOTAL	62,220,598.00	37,332,358.80	23,723,825.00	13,608,533.80

Balance Sheet Items

(a) No Explanation about Earmarked/Endowment fund available

Reply: As per Certification audit for the F.Y 2012-2013 conducted by CAG, wherein it was advised by the CAG to drop this method of presentation hence no such fund has been created this year.

(b) Statutory Dues liability branches nowhere recorded in the financial statements of the head office resulting in understatement of liabilities.

Reply: The matter has been taken up with branches; the matter shall be resolved during the current Financial Year 2014-15.

(c) Opening balance difference with branches and towards statutory dues of Rs. 4,42,782/- credit balance shown under Prior Period Expense.

Reply: This was due to understatement by branches however, this year accounts of all the branches have been reconciled.

(d) List of 7.60 Crore advances party wise to be prepared.

Reply: The same has already been prepared and provided to the Auditor.

(e) Rs. 58,460/- Recovered from employees towards penal interest and TA, but instead of recognizing as recoverable booked through income respective expense.

Reply: The Rectified entry has been passed on 31.03.2014

VII. सांविधिक अनुपालन

- आयकर विभाग को जमा के लिए ठेकेदारों, प्रोफेशनलों, सेवा प्रदाताओं और मकान मालिकों को भुगतान से की गई टीडीएस कटौती तथा बैंक को भुगतान की समीक्षा

कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्पाइस बोर्ड को रु. 94137/- तथा एसोचैम को रु. 9,04,000/- के भुगतान पर न तो टैक्स कटौती की गई और न ही टीडीएस न काटने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया।

उत्तर: चूंकि स्पाइस बोर्ड को किया गया भुगतान वास्तव में पुनर्भुगतान था अतएव उसमें टीडीएस का कोई मामला नहीं है। जहां तक एसोचैम का सवाल है, एसोसिएशन से छूट प्रमाणपत्र जमा करने को कहा जाएगा।

- आयकर

प्राधिकरण व्यक्तियों की एसोसिएशन श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसने स्थापना के समय से अब तक न तो पैन प्राप्त किया है और न ही कोई आयकर रिटर्न दाखिल की है, इसके कारण भारी मात्रा में आयकर देयता और जुर्माना हो सकते हैं, इसे आकस्मिक देयता माना जाना चाहिए और मांगे जाने पर गणना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उत्तर: प्राधिकरण पैन प्राप्त करने की प्रक्रिया के अधीन है। पैन प्राप्त करने के बाद, आयकर विभाग से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

VII. Statutory Compliance

- To Review TDS Recoveries made out of payments made to the contractors, professionals, service providers and landlords and remittance to the Bank for the further credit to Income Tax Department.

Payment made to Spice Board Rs. 94,137/- and Assocham Rs. 9,04,000/- for organizing workshops neither any Tax Deducted nor any certificate for non deduction of TDS obtained.

Reply: As the payment made to spice board was actually the reimbursement hence there is no issue of TDS. As regards ASSOCHAM, the association shall be asked for furnishing exemption certificate.

- Income Tax

Authority is covered under Association of Persons Category still has neither obtained PAN form it's inception nor filed any income tax return this may result in huge amount of income tax liability and penalties, it has to be considered as contingent liability and calculation may be made available if asked for.

Reply: The Authority is in the process of obtaining the PAN. After obtaining the PAN, efforts will be made to obtain the exemption certificate from the Income Tax Department.



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
 इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
 Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

पत्र संख्या: ए.एम.जी. III/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
 निर्माण भवन,
 नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”


अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(कुमार अभय)
 उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Ph. : 91-11-23454100
 Fax : 91-11-23702271

A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
 e-mail : dgacr@cag.gov.in



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
 इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
 Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

पत्र संख्या: ए.एम.जी. III/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
 निर्माण भवन,
 नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(कुमार अभय)
 उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Ph. : 91-11-23454100
 Fax : 91-11-23702271

A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
 e-mail : dgacr@cag.gov.in

पत्र संख्या: ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि

कुमार अभय
उप-निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्या: ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

कुमार अभय
उप-निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्या: ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि

कुमार अभय
उप-निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्या: ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2014-15/ दिनांक:

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

कुमार अभय
उप-निदेशक (ए.एम.जी.- II)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31 मार्च, 2014 की तिथि के अनुसार संलग्न तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखाओं की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर लेखांकन पद्धतियों से समरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन सिद्धांतों इत्यादि के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग-अलग सूचित किए गए हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाकर निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में राशियों को समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की परीक्षण आधारित जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:
 - i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए जरूरी थे।
 - ii. इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रारूप के अनुसार बनाए गए हैं।
 - iii. हमारी राय में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपयुक्त लेखा बहियां और अन्य संगत रिकार्ड रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।
 - iv. हम पुनश्च सूचित करते हैं कि:

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2014

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India as at 31 March 2014, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appear from our examination of such books.
- iv. We further report that :

क. अनुदान

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2013-14 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु. 66.09 करोड़ (योजना) का अनुदान प्राप्त किया। इसके पास पिछले वर्ष का रु. 3.07 करोड़ का व्यय न किया गया शेष था। प्राधिकरण ने रु. 42.13 करोड़ का उपयोग किया और 31 मार्च 2014 को रु. 27.03 करोड़ का व्यय न किया गया शेष रह गया।

ख. प्रबंधन का पत्र: लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियां, उपचार/सुधार कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन के पत्र के माध्यम से निदेशक, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों, और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखापरीक्षा के अनुलग्नक में वर्णित अन्य मामलों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष दिखाई देते हैं।

क. जहां तक कि यह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र से सम्बन्धित है और

ख. यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखे से सम्बन्धित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)

A. Grants-in-Aid

The Food Safety & Standards Authority of India received grants-in-aid of ₹ 66.09 crore (Plan) from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2013-14. It had unspent balance of ₹ 3.07 crore of previous year. The Authority utilized ₹ 42.13 crore leaving an unspent balance of ₹ 27.03 crore as on 31st March 2014.

B. Management Letter : Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Director, Food Safety and Standards Authority of the India, through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

- In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority of India as at 31 March 2014; and
- In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date

For and on behalf of C&AG of India,



Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Date:

अनुलग्नक

Annexure

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता—

खाद्य प्राधिकरण के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है; आंतरिक लेखापरीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसने 2009 से 2011 तक की लेखापरीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए खाद्य प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की गई और उपयुक्त पाई गई।

2. आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता—

खाद्य प्राधिकरण के लेखाओं में 2009-10 से आय और व्यय का अनुरूप पूर्व अवधि समायोजन पाया गया।

3. स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली—

वर्ष 2013-14 के लिए खाद्य प्राधिकरण के मुख्यालय की स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई विसंगति नहीं सूचित की गई। शाखा कार्यालयों के संबंध में स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

4. सामग्री सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली—

वर्ष 2013-14 के लिए सामान की सूची जैसे पुस्तकों, स्टेशनरी और अन्य प्रयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नहीं सूचित की गई। शाखा कार्यालयों के संबंध में सामान की सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता—

टीडीएस प्रोफेशनल्स, ठेकेदारों और किराए की मद में रु. 0.93 लाख की सांविधिक देयता 31.03.14 को बकाया थी।

1. Adequacy to Internal Audit System:-

The FSSAI does not have its own internal audit system; internal audit is being conducted by Ministry of Health and Family Welfare who had conducted audit up to 2009-11. Internal Audit of the FSSAI for the Financial Year 2011-12, 2012-13 and 2013-14 was conducted by a Chartered Accountant Firm and was found to be adequate.

2. Adequacy of Internal Control:-

Consistent prior period adjustments of income and expenditure were observed in the accounts of FSSAI since 2009-10.

3. System of Physical verification of fixed assets:-

Physical verification of fixed assets of FSSAI Headquarter has been conducted for the year 2013-14 and no discrepancy was reported. Physical verification of fixed assets in respect of Branch offices was not conducted.

4. System of Physical verification of inventory:-

The Physical verification of inventory like books, stationery and other consumables had been conducted for the year 2013-14 and no discrepancy was reported. Physical verification of inventory in respect of Branch offices was not conducted.

5. Regularity in payment of statutory dues:-

Statutory liability on account of TDS Professional, Contractors and Rent of ₹ 0.93 lakh was outstanding as on 31.03.14.

पत्र संख्या: ए.एम.जा. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-17/2012-13/

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002


कुमार अभय
उप-निदेशक,

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, के 2013-14 वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा मेरे कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या:-अ.शा.पत्र:संख्या:ए.एम.जी.-II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/14-15/ 'दिनांक: को जारी किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इस विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाये।

सादर,

आपका शुभेच्छु,


12/12/14

अनुलग्नक यथोपरि,

श्रीमती विनोद कोतवाल,
निदेशक,
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

पत्र संख्या: ए.एम.जा. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-17/2012-13/

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

कुमार अभय
उप-निदेशक,

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, के 2013-14 वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा मेरे कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या:-अ.शा.पत्र:संख्या:ए.एम.जी.-II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/14-15/ 'दिनांक: को जारी किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इस विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाये।

सादर,

आपका शुभेच्छु,


12/12/14

अनुलग्नक यथोपरि,

श्रीमती विनोद कोतवाल,
निदेशक,
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

प्रबंधन के पत्र डी.ओ.एमजी-II/एसएआर/एफएसएसएआई/7-17/2014-15 का अनुलग्नक

स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची 8 के अनुसार, रु. 12.35 लाख मूल्य की पानी की पाइपलाइन परिसंपत्ति मानी गई और उस पर मूल्यहास प्रभारित किया गया। चूंकि खाद्य प्राधिकरण की भूमि एवं भवन मंत्रालय के हैं, पानी की लाइन बिछाने को परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता। इसके परिणामतः स्थिर परिसंपत्तियों के विवरण और व्यय में रु. 12.35 लाख की वृद्धि हुई।

Annexure to Management Letter D.O. AMG-II/SAR/FSSAI/7-17/2014-15/

As per schedule 8 of the fixed assets, the water pipeline amounting to ₹ 12.35 lakh was treated as asset and depreciation was charged on it. As the land and building of FSSAI belonged to the Ministry, the laying of water pipeline cannot be treated as an asset. This resulted in overstatement of fixed assets and expenditure by ₹ 12.35 lakh.

परिशिष्ट-II

खाद्य प्राधिकरण के सदस्य	
अध्यक्ष	
श्री के. चन्द्रमौलि	
सदस्य सचिव (सीईओ)	
श्री डी.के. सामंतरे (भूतपूर्व)	
धारा 5 (1)(क) के अंतर्गत पदेन सदस्य	
1.	श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय
2.	श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
3.	श्री मनोज परिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय
4.	श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5.	डॉ. अरुण के. पाण्डा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	डॉ. शीता वशिष्ठ, संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय
7.	श्रीमती सुनीता छिब्बा, अति. विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पदेन सदस्य	
8.	श्रीमती श्रेया पाण्डे, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन
9.	श्रीमती मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
10.	श्री थंगलुरा, मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन
11.	श्री वासुदेव के. ठक्कर, वी केयर राइट एंड ड्यूटी एन.जी.ओ.
12.	श्री अबुलकलाम, मदीना मुनवारे कैफे एस्टेट
13.	डॉ. ए.आर. शर्मा, रिसेला हेल्थ फूड्स लिमिटेड
14.	डॉ. गुरदयाल सिंह टुटेजा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
15.	डॉ. ललिता रामकृष्ण गौडा, प्रोटीन कैमिस्ट्री एवं टेक्नोलॉजी विभाग
16.	प्रो. (डॉ.) ए.के. श्रीवास्तव, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
17.	श्री बालासुब्रमनियम वी., प्रॉन फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
18.	श्री सलीम ए. वेलजी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, गोवा सरकार
19.	श्री विनीत चौधरी, हिमाचल प्रदेश सरकार
20.	श्री सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ सरकार
21.	श्री पी.पी. वर्मा, असम सरकार
22.	श्री के.के. शर्मा, चण्डीगढ़ प्रशासन

Annexure-II

Members of the Food Authority	
Chairperson	
Shri K. Chandramouli	
Member Secretary (CEO)	
Shri D.K. Samantaray (former)	
Ex-officio members under section 5 (1) (a)	
1	Shri Utpal Kumar Singh, JS, Ministry of Agriculture
2	Shri Asit Tripathy, JS, Ministry of Commerce
3	Shri Manoj Parida, JS, Ministry of Consumer Affairs
4	Smt. Anuradha Prasad, JS, Ministry of Food Processing Industries
5	Dr. Arun K. Panda, JS, Ministry of Health & Family Welfare
6	Dr. Reeta Vasishta, JS & Legislative Counsel, Ministry of Law & Justice
7	Smt. Sunita Chhibba, Addl. Development Commissioner, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Officio Members	
8	Smt. Shreya Pandey, All India Food Processors Association
9	Smt. Meetu Kapoor, Confederation of Indian Industry
10	Shri Thanglura, Mizoram Consumer's Union
11	Shri Vasudev. K. Thakkar, V. Care Right and Duty N.G.O
12	Shri Abulkalam, Madina Munvare Caffee Estate
13	Dr. A.R. Sharma, ricela Health Foods Ltd.
14	Dr. Gurudayal Singh Toteja, Indian Council of Medical Research
15	Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Department of Protein Chemistry and Technology
16	Prof. (Dr.) A.K. Srivastava, National Dairy Research Institute
17	Shri. Balasubramaniam V., Prawn Farmers Federation of India
18	Shri. Salim A. Veljee, Directorate of Food & Drugs Administration, Govt. of Goa
19	Shri. Vineet Chawdhary, Govt. of Himachal Pradesh
20	Shri Sunil Kumar, Govt. of Chhattisgarh
21	Shri P.P. Verma, Govt. of Assam
22	Shri K.K. Sharma, Chandigarh Administration

केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य

1.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2.	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
4.	सचिव, बायो तकनालाजी विभाग, विज्ञान एवं तकनालाजी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
5.	वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
6.	सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
7.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
8.	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली
9.	सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
10.	सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली
11.	सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
12.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13.	श्री गज्जनफर हुसैन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू व कश्मीर एवं नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटोली-मंगोत्रियां, जम्मू-180007, जेएंडके
14.	श्री डी.डी. अग्रवाल, मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार
15.	श्री दिलीप कुमार सामंतरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
ख.	खाद्य उद्योग:
16.	श्री अर्नब कुमार हाजरा द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली
17.	श्री प्रदीप चोर्डिया द्वारा चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स, 48/ए, प्रवति इंडस्ट्रियल एस्टेट, आदिनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे सतारा रोड, पुणे-411009
ग.	कृषि:
18.	डॉ. जे. टोंपांग्योंगडांग वालिंग, ग्राम-संगतराशू, जिला-मोकोकचुंग, नागालैंड
19.	श्री अरुण बालामत्ती, 815, 7वां क्रॉस बनशंकरी, 3सरा फेज, 3सरा ब्लॉक, 3सरा स्टेज, बैंगलोर-560085
घ.	उपभोक्ता:
20.	श्री आर. देसिकन, द्वारा कन्सर्ट एंड कन्ज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2/228, चिन्नन दिक्कुप्पम रोड, वेदुतुवेनकेनी, चेन्नई
21.	श्रीमती केया घोष द्वारा कन्ज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, 3 सुरेन टैगोर रोड, गड़ियाहाट, कोलकाता-700019
ङ.	अनुसंधान निकाय एवं खाद्य प्रयोगशालाएं:
22.	डॉ. एस.पी. वासीरेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विमटा लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज-2, चेर्लापल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
23.	प्रो. गोपाल नाइक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) बैंगलोर
च.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त
24.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
25.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिल नाडु
26.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुदुच्चेरी
27.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान
28.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
29.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल

Members of Central Advisory Committee	
1	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, government of India, Nirman Bhawan, New Delhi,
2	Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.
3	Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.
4	Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Sciebnce & Technology, Government of India, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
5	Commerce Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.
6	Secretary (CA), Department of consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.
7	Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
8	Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India, Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi.
9	Secretary (PR), Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.
10	Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi.
11	Secretary (F&PD), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.
12	Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
13	Sh. Gazzanffer Hussain, Food Safety Commissioner for J&K & Controller, Drugs & Food Control Organisation, State Food Health Authority, Patoli-Mangotrian, Jammu-180007, J&K.
14	Sh. D.D. Aggrawal, Food Safety Commissioner for Madhya Pradesh & Controller Drugs (Food & Drugs Administration), Govt. of Madhya Pradesh.
15	Sh. Dillip Kumar Samantaray, Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India
B.	Food Industry:
16	Shri Arnab Kumar Hazra, C/O Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi
17	Shri Pradeep Chordia, C/O Chordia Food Products, 48/A, Pravati Industrial Estate, Opp. Adinath Society, Pune Satara Road, Pune- 411009
C.	Agriculture:
18	Dr. J. Tonpangyongdang Walling, Village- Sungratsu, Distt.- Mokokchung Nagaland
19	Shri Arun Balamatti, 815, 7th Cross Banashankari, 3rd Phase, 3rd Block, 3rd Stage, Bangalore- 560085
D.	Consumers:
20	Shri R. Desiken, C/O Concert and Consumer Association of India, 2/228, Chinnan Dikuppam Road, Vettuvankeni, Chennai
21	Smt. Keya Ghosh, C/O Consumer Unity and Trust Society, 3 Suren Tagore Road, Gariahat, Kolkata- 700019
E.	Research Bodies and Food Laboratories:
22	Dr. S.P Vasireddi, Chairman and Managing Director, VIMTA Labs Limited, 142, IDA, Phase- 2, Cherlapally, Hyderabad,Andhra Pradesh
23	Prof. Gopal Naik, Indian Institute of Management (IIM), Bangalore
F.	Commissioners of Food Safety:
24	Commissioner of Food Safety for Andhra Pradesh
25	Commissioner of Food Safety for Tamil Nadu
26	Commissioner of Food Safety for Puducherry

30.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लक्षद्वीप
31.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
32.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
33.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
34.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन व दीव
35.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, चण्डीगढ़
36.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा
37.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू व कश्मीर
38.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड
39.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा
40.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़
41.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दादरा व नगर हवेली
42.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
43.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
44.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
45.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश
46.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल

27	Commissioner of Food Safety for Rajasthan
28	Commissioner of Food Safety for Karnataka
29	Commissioner of Food Safety for Kerela
30	Commissioner of Food Safety for Lakshadweep
31	Commissioner of Food Safety for Gujarat
32	Commissioner of Food Safety for Maharashtra
33	Commissioner of Food Safety for Madhya Pradesh
34	Commissioner of Food Safety for Daman and Diu
35	Commissioner of Food Safety for Chandigarh
36	Commissioner of Food Safety for Harayana
37	Commissioner of Food Safety for Jammu & Kashmir
38	Commissioner of Food Safety for Uttarakhand
39	Commissioner of Food Safety for Goa
40	Commissioner of Food Safety for Chhattisgarh
41	Commissioner of Food Safety for Dadra & Nagar Haveli
42	Commissioner of Food Safety for Delhi
43	Commissioner of Food Safety for Himachal Pradesh
44	Commissioner of Food Safety for Punjab
45	Commissioner of Food Safety for Uttar Pradesh
46	Commissioner of Food Safety for West Bengal

परिशिष्ट-IV

वैज्ञानिक समिति के सदस्य

1.	प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, सलाहकार हेल्थ रिसर्च विभाग, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
2.	डॉ. पी.जी. चेंगप्पा, वाइस चांसलर, जी के वी के, बंगलोर
3.	डॉ. अशोक ए. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं लेखा प्रमुख, डेरी टेक्नोलॉजी, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईसीएआर) करनाल
4.	डॉ. एम.एस. मित्यंता, पीएच.डी. (कृषि रसायन), स्वतंत्र कन्सल्टेंट, कीटनाशक अवशिष्टों एवं दूषणकारकों पर विशेषज्ञ, बंगलौर
5.	डॉ. के.सी. बंसल, कोआर्डिनेटर, ट्रांसजेनिक विकास पर आईसीएआर नेटवर्क, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, आईसीएआर, नई दिल्ली
6.	डॉ. जगदीश एस. पै, पीएच.डी. (खाद्य विज्ञान एवं तकनालाजी), स्वतंत्र कन्सल्टेंट, क्रियात्मक भोजन, पौष्टिक आहार में विशेषज्ञ, कार्यकारी निदेशक, प्रोटीन फूड्स एंड न्यूट्रीशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
7.	अध्यक्ष, चटपटा भोजन, पौष्टिक, आहार विज्ञान एवं अन्य समान उत्पादों पर वैज्ञानिक पैनल
8.	अध्यक्ष, नमूना विधि और विश्लेषण पर वैज्ञानिक पैनल
9.	अध्यक्ष, खाद्य यौगिक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य संपर्क सामग्री पर वैज्ञानिक पैनल
10.	अध्यक्ष, खाद्य श्रृंखला में दूषणकारकों पर वैज्ञानिक पैनल
11.	अध्यक्ष, जीव वैज्ञानिक जोखिमों पर वैज्ञानिक पैनल
12.	अध्यक्ष, कीटनाशकों एवं एंटीबायोटिक अवशिष्टों पर वैज्ञानिक पैनल
13.	अध्यक्ष, लेबलिंग एवं दावों/विज्ञापनों पर वैज्ञानिक पैनल
14.	अध्यक्ष, जेनेटिक तौर पर संशोधित आर्गेनिज्म एवं खाद्य पर वैज्ञानिक पैनल
15.	अध्यक्ष, मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों पर वैज्ञानिक पैनल

Annexure-IV

Members of Scientific Committee	
1	Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Adviser to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.
2.	Dr. P.G. Chengappa, Vice Chancellor, GKVK, Bangalore.
3.	Dr. Ashok A. Patel, Principal Scientist & Actg. Head, Dairy Technology, National Dairy Research Institute (ICAR), Karnal.
4.	Dr. M.S. Mithyantha, Ph.D (Agricultural chemistry), Independent Consultant, Expert in Pesticide Residues and Contaminants, Bangalore
5.	Dr. K.C. Bansal, Coordinator, ICAR Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, ICAR, New Delhi
6.	Dr. Jagadish S. Pai, Ph.D (Food Science & Technology), expert in Functional Foods, Nutraceuticals, Executive Director, Protein Foods & Nutritional Development Association of India, Mumbai.
7.	Chairperson of the Scientific Panel on functional foods, nutraceuticals, dietetic products and other similar products.
8.	Chairperson of the Scientific Panel on method of sampling and analysis.
9.	Chairperson of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food.
10.	Chairperson of the Scientific Panel on contaminants in the food chain.
11.	Chairperson of the Scientific Panel on biological hazards.
12.	Chairperson of the Scientific Panel on pesticides and antibiotic residues.
13.	Chairperson of the Scientific Panel on labelling and claims/Advertisements.
14.	Chairperson of the Scientific Panel on genetically modified organisms and foods.
15.	Chairperson of the Scientific Panel on fish and fisheries products.

वैज्ञानिक पैनलों के सदस्य

(I)	क्रियात्मक भोजन, पौष्टिक, आहार विज्ञान एवं अन्य समान उत्पादों हेतु पैनल
1.	डॉ. वी. प्रकाश, पूर्व निदेशक, सीएफटीआरआई, विशिष्ट वैज्ञानिक, सीएसआईआर, जेएसएस टैक्निकल इंस्टीट्यूशन कैम्पस, जेएसएस सीएमएस-मैसूर 570006
2.	डॉ. के. माधवन नायर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद, जमाई उस्मानिया, टर्नाका, हैदराबाद, ऑ.प्र.-500007
3.	डॉ. अनुजा अग्रवाला, मुख्य डाइटिशियन, एम्स, नई दिल्ली
4.	डॉ. डी.बी. अनंत नारायण, विशेषज्ञ सदस्य, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, 1101/927, आई एफ मेन, दूसरा स्टेज, गिरि नगर, बंगलौर
5.	डॉ. प्रेमेन्द्र धर द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिक, फूड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, कमरा नं. 303, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, पोस्ट बाक्स नं. 80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
6.	श्री कुमार भाटिया, चीफ कन्सल्टेंट (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, जी-3/जी एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, मुनीरका, नई दिल्ली-110067
7.	डॉ. बिकास चन्द्र घोष, प्रधान वैज्ञानिक, डेरी टैक्नोलॉजी सेक्शन, एनडीआरआई, आबूगोदी, 560 030 बंगलौर
8.	डॉ. पार्थ रॉय, सहायक प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, आईआईटी, रुड़की-247667
9.	डॉ. ए.जी. अप्पू राव, सीएसआईआर साइंटिस्ट एमेरिटस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, 528, अनिकेतना रोड, कुवेमुनगर, मैसूर
10.	डॉ. संध्या कुलश्रेष्ठ, कन्सल्टेंट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
11.	डॉ. मनोरमा कनूरी, प्रोफेसर (फूड एंड न्यूट्रीशन) एवं हैड एवं कार्यक्रम निदेशक (फूड टैक्नोलॉजी), पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च सेंटर, फूड एंड न्यूट्रीशन एंड फूड टैक्नोलॉजी, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030
12.	डॉ. पी. गोस्वामी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, नॉर्थ ईस्ट इंस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, जोरहाट-785006
13.	डॉ. सुमन कपूर, डीन, रिसर्च एंड कन्सल्टेंसी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एंड साइंस, कमरा नं. ए-1010, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जवाहर नगर, शरमिरपेट, हैदराबाद-500078
14.	डॉ. विरेन्द्र के. बातिश, एमेरिटस साइंटिस्ट, मोलीक्यूलर बायोलॉजी यूनिट, डेरी माइक्रो बायोलॉजी डिवीजन, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001
15.	श्री वी.डी. सत्तिगेरी, पूर्व निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, 7, सीएफटीआरआई लेआउट, 5वां मेन, पहला क्रॉस, बोगादी दूसरा स्टेज, मैसूर-570020
(II)	नमूना विधि और विश्लेषण हेतु पैनल
1.	डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एनडीवाईएमसीए, 3सरा तल, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
2.	डॉ. ललिता रामकृष्ण गौडा, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सीएसआईआर-केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर-570 020
3.	डॉ. एम.एन. मंजुनाथ, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, सीएफटीआरआई, मैसूर
4.	डॉ. हरी निवास मिश्रा, प्रोफेसर, कृषि एवं खाद्य इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, खड़गपुर-721302
5.	डॉ. सतविंदर सिंह मारवाह, सीईओ, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर, एससीओ 7 व 8, फेज-5, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब-160 059
6.	डॉ. मिहिर कुमार कुण्डू, कन्सल्टेंट, पूर्व खाद्य तेल आयुक्त, डी-776 एफएफ, सीआर पार्क, नई दिल्ली-110019
7.	सुश्री शोभा हेगड़े, स्वतंत्र कन्सल्टेंट, पैनलबद्ध प्रत्यायन निर्धारक, मुम्बई (बीआईएस से सेवानिवृत्त), फ्लैट नं. 43, बी विंग, मीरा बिल्डिंग, सैक्टर 3, सृष्टि हाउसिंग काम्पलेक्स, मीरा रोड ईस्ट, थाने-401107
8.	डॉ. राजन शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई), करनाल
9.	डॉ. प्रेम कुमार जायसवाल, पूर्व प्रयोगशाला निदेशक, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, बी-197, सैक्टर 41, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा-201303 10.
11.	के.एस. प्रेमावल्ली, वैज्ञानिक 'जी', रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, नं. 3, सत्य मार्ग, सिद्धार्थ नगर, मैसूर
12.	डॉ. सुरेश वालिया, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि रसायन डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एलबीएस बिल्डिंग, नई दिल्ली-110002

Members of Scientific Panel

(I) Panel for Functional foods, nutraceuticals, dietetic products and other similar products	
1	Dr. V. Prakash, Former Director, CFTRI, Distinguished Scientist, CSIR, JSS Technical Institution Campus, JSS CMS-Mysore 570006.
2.	Dr. K. Madhavan Nair, Scientist, National Institute of Nutrition, Hyderabad, Jamai Osmania, Tarnaka, Hyderabad, AP-500007.
3.	Dr Anuja Agarwala, Head, Dietician, AIIMS, New Delhi.
4.	Dr. D.B. Anantha Narayana, Expert Member, Indian Pharmacopoeia Commission, 1101/927, I F Main, 2 nd Stage, Giri Nagar, Bangalore- 560085.
5.	Dr. Premendra Dhar Dwivedi, Principal Scientist, Food Toxicology Division, Room # 303, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001.
6.	Sh. Kumar Bhatia, Chief Consultant (Post Harvest Management and Marketing), Ministry of Agriculture and Co-operation, Government of India G-3/G, MIG DDA Flats, Munirka, New Delhi-110067.
7.	Dr. Bikash Chandra Ghosh., Principal Scientist, Dairy Technology Section, NDRI, Abugodi 560 030, Bangalore.
8.	Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, IIT, Roorkee -247667.
9.	Dr. A .G.Appu Rao, CSIR Scientist Emeritus, University of Mysore, 528, Anikethana Road, Kuvempunagar, Mysore.
10.	Dr. Sandhya Kulshreshtha, Consultant, Directorate General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
11.	Dr. Manorma Kanuri, Professor (Food and Nutrition) and Head and Programme Director (Food Technology), Post Graduate and Research Centre, Food and Nutrition and Food Technology, Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500030.
12.	Dr. P. Goswami, Senior Principal Scientist, North East Institute of Science and Technology, Jorhat- 785006.
13.	Dr. Suman Kapur, Dean, Research and Consultancy, Birla Institute of Technology and Science, Room No. A- 1010, Department of Biological Sciences, Jawahar Nagar, Sharmirpet, Hyderabad-500078
14.	Dr. Virender K. Batish, Emeritus Scientist, Molecular Biology Unit, Dairy Microbiology Division, National Dairy Research Institute, Karnal- 132001.
15.	Sh. V.D. Sattigeri, Former Director, Central Food Laboratory, Central Food Technological Research Laboratory, 7, CFTRI Layout, 5 th Main, 1 st Cross, Bogadi 2 nd stage, Mysore-570020.

(II) Panel for Method of Sampling and Analysis	
1	Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, Export Inspection Council (EIC), Ministry of Commerce and Industry, NDYMCA, 3 rd Floor, 1 Jai Singh Road, New Delhi-110001.
2.	Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Chief Scientist & Head Food Safety and Quality Control Laboratory, CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysore- 570 020.
3.	Dr. M.N. Manjunath, Scientist 'F', Food Safety & Analytical Lab, CFTRI, Mysore.
4.	Dr. Hari Niwas Mishra Professor, Agriculture & Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, Kharagpur- 721302.
5.	Dr. Satwinder Singh Marwaha, CEO, Punjab Biotechnology Incubator, SCO:7&8, Phase-V, SAS Nagar (Mohali), Punjab- 160 059.
6.	Dr. Mihir Kumar Kundu, Consultant, Former Edible Oils Commissioner, D-776, FF, C R Park, New Delhi-110019.
7.	Ms. Shobha Hegde, Independent consultant, Empanelled Accreditation Assessor, Mumbai(Retired from BIS), Flat No. 43, B-wing, Mira Building, Sector 3, Srishti Housing complex, Mira road East, Thane-401107.
8.	Dr. Rajan Sharma, Senior Scientist, National Dairy Research Institute (NDRI) Karnal.
9.	Dr. Prem Kumar Jaiswal, Former Director of Laboratories, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation Central Agmark Laboratory B 197, Sector 41, G.B. Nagar, Noida- 201303.
10.	Dr. Manjeet Aggarwal, Deputy Director, Shriram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Delhi 110007.
11.	K.S. Premavalli, Scientist 'G', Defence Food Research Laboratory, No.3, Satya Marga, Siddhartha Nagar, Mysore.
12.	Dr. Suresh Walia, Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals, Indian Agricultural Research Institute, LBS Building, New Delhi-110 012.
13.	Dr. A.A. Patel, Head, National Dairy Research Institute (NDRI), Karnal.

13.	डॉ. ए.ए. पटेल, प्रमुख, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई), करनाल
14.	प्रो. पी. शेट्टी, प्रमुख, खाद्य टैक्नोलॉजी, पुदुच्चेरी यूनिवर्सिटी, पुदुच्चेरी
15.	डॉ. सुनील कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, कमरा नं. एस 212, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, उप्पल रोड, हैदराबाद
(III)	खाद्य यौगिक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य संपर्क सामग्री हेतु पैनल
1.	डॉ. अमरिंदर सिंह बावा, पूर्व निदेशक, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, टी. नरसीपुरा रोड, सिद्धार्थ नगर, मैसूर-570011
2.	डॉ. मुकुल दास, वैज्ञानिक जी व प्रमुख, फूड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, पोस्ट बॉक्स नं. 80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
3.	डॉ. के.एन. गुरुदत्त, पूर्व प्रमुख, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सीएफटीआरआई, 161, चौथा क्रॉस, सीएफटीआरआई ईएचबीसीएस लेआउट, भोगाडी दूसरा स्टेज, मैसूर-570026
4.	प्रो. एच.पी.एस. सचदेव, वरि. कन्सल्टेंट, पीडियाट्रिक्स एंड क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ई-6/12, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057
5.	डॉ. आर.बी.एन. प्रसाद, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, सेंटर फॉर लिपिड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टैक्नोलॉजी, तारनाका, हैदराबाद-500 007
6.	डॉ. सतीश कुलकर्णी, प्रमुख, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर
7.	डॉ. वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, तारनाका, हैदराबाद-500 007
8.	प्रो. सुभाष चन्द, रिटायर्ड प्रोफेसर, आईआईटी-डी, नई दिल्ली
9.	डॉ. सुनीता सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी, कमरा सं. 334, एनआरएल बिल्डिंग, 3सरा तल, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), नई दिल्ली-110012
10.	प्रो. डॉ. सत्यनारायण मोहंती, पूर्व डीन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, ओरिसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टैक्नोलॉजी, 1148, बिष्णु नगर, टंकापानी रोड, भुवनेश्वर-751018
11.	डॉ. ए. वज्रेश्वरी, वैज्ञानिक 'एफ' व प्रमुख, लिपिड बायो कैमिस्ट्री डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन जमाई-उस्मानिया, तारनाका-500 604
12.	डॉ. रविन्द्र जयवंत जेंडे, प्रोफेसर अतिरिक्त प्रभार, पशु जन स्वास्थ्य, बम्बई वैंटरनरी कॉलेज, परेल, मुम्बई-400012
13.	प्रो. एफ.ए. मसूदी, प्रोफेसर (फूड टैक्नोलॉजी/होम साइंस), कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, फूड साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी, हजरतबल, श्रीनगर-190006
14.	डॉ. ए.जे. वर्मा, वैज्ञानिक एच एवं प्रमुख, पोलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवीजन, नेशनल कैमिकल लेबोरेटरी, पुणे-411008
15.	डॉ. संजय राजपूत, सहायक निदेशक एवं प्रभारी, एसएआरसी, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, 19, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली-110007
(IV)	खाद्य श्रृंखला में दूषणकारकों हेतु पैनल
1.	डॉ. जी. विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ', फूड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, सेंट्रल फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर-570020
2.	डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, निदेशक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टैक्नोलॉजी (आईसीएआर), मत्स्यपुरी, कोचीन, केरल 682029
3.	डॉ. लता, प्रधान वैज्ञानिक, डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली-110012
4.	डॉ. विनोद कुमार जोशी, प्रोफेसर एवं प्रमुख, (पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी), डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी, सोलन, हि.प्र. 173230
5.	डॉ. बनवारी लाल, पीएच.डी. (माइक्रोबायोलॉजी), निदेशक, पर्यावरण एवं औद्योगिक बायोटेक्नालॉजी, दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
6.	डॉ. सैलन घोष, वैज्ञानिक अधिकारी जी, भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर से सेवानिवृत्त, 805, पाइन वुड, रहेजा विलोज, कांदीवली (ई), मुम्बई-400101
7.	डॉ. एस. कल्बे रजा, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फांमूलेशन टैक्नोलॉजी (आईपीएफटी), सैक्टर 20, उद्योग विहार, एम्बियंस मॉल के सामने, एनएच-8, गुडगांव-122106
8.	डॉ. एस.सी. जैन, निदेशक एवं वरिष्ठ रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टैक्नोलॉजी, आई-1 ब्लॉक, चौथा तल, एमिटी यूनिवर्सिटी कैम्पस, सैक्टर 125, नौएडा-201303, उत्तर प्रदेश
9.	डॉ. वासुदेव सिंह, वैज्ञानिक एवं प्रमुख, ग्रेन साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सीएफटीआरआई, मैसूर-570020
10.	डॉ. जेपीएस गिल, निदेशक, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड जूनोसेस, गुरु अंगद देव वैंटरनरी एंड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना 141004

14.	Prof. P. Shetty, Head, Food Technology, Puducherry University, Puducherry.
15.	Dr. Sunil Kumar Verma, Senior Scientist, Centre for Cellular and Molecular Biology, Room No. S212, Centre for Cellular and Molecular Biology, Uppal Road, Hyderabad

(III) Panel for Food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food	
1	Dr. Amarinder Singh Bawa, Former Director, Defence Food Research Laboratory, T. Narasipura Road, Siddhartha Nagar, Mysore- 570011.
2.	Dr. Mukul Das, Scientist G & Head, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001.
3.	Dr. K.N. Gurudatt, Former Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, 161, 4 th cross, CFTRI EHBCS layout, Bhogadi II Stage, Mysore- 570026.
4.	Prof. H.P.S. Sachdev, Sr. Consultant , Pediatrics and Clinical Epidemiology, Sita Ram Bharatia Institute of Science and Research, E-6/12 Vasant Vihar, New Delhi -110057.
5.	Dr. R.B.N. Prasad, Chief Scientist & Head Centre for Lipid Research, Indian Institute of Chemical Technology, Tarnaka, Hyderabad- 500 007.
6.	Dr. Satish Kulkarni, Head, National Dairy Research Institute, Bangalore.
7.	Dr. V. Sudershan Rao, Scientist D, National Institute of Nutrition, Tarnaka, Hyderabad- 500007.
8.	Prof. Subash Chand, Retired Professor, IIT-D, New Delhi.
9.	Dr.Sunita Singh, Principal Scientist, Division of Post-Harvest Technology, Room No: 334, NRL Building-3 rd Floor, Indian Agricultural Research Institute (Pusa), New Delhi- 110012.
10.	Prof. (Dr.) Satyanarayan Mohanty, Former Dean, College of Agricultural Engineering & Technology, Orissa Universiy of Agriculture & Technology, 1148, Bishnu Nagar, Tankapani Road, Bhubaneswar-751018.
11.	Dr.A. Vajreswari, Scientist 'F' & Head, Lipid Bio chemistry Division, National Institute of Nutrition Jamai-Osmania, Tarnaka- 500 604.
12.	Dr. Ravindra Jayvant Zende, Professor (Additional Charge), Department of Veterinary Public Health, Bombay Veterinary College, Parel, Mumbai-400012.
13.	Prof. F.A. Masoodi, Professor (Food Technology/ Home Science), University of Kashmir, Srinagar, Department of Food Science & Technology, University of Kashmir Hazratbal, Srinagar - 190006.
14.	Dr.A.J.Varma, Scientist H & Head, Polymer Science and Engineering Division, National Chemical Laboratory, Pune -411008.
15.	Dr. Sanjay Rajput, Assistant Director & Incharge, SARC, Shriram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Delhi 110007.

(IV) Panel for contaminants in the food chain	
1	Dr. G. Vijayalakshmi, Scientist 'F', Food Microbiology Department Central Food Technological Research Institute, Mysore-570020.
2.	Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Director, Central Institute of Fisheries Technology (ICAR), Matsyapuri, Cochin, Kerala 682029.
3.	Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012.
4.	Dr. Vinod Kumar Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, HP 173230.
5.	Dr. Banwari Lal, Ph.D (Microbiology), Director, Environmental and Industrial Biotechnology, The Energy and Resources Institute , New Delhi.
6.	Dr. Sailen Ghosh, Scientific Officer G, Retired from Bhabha Atomic Research Centre, 805, Pine Wood, Raheja Willows, Kandavali (E), Mumbai-400101.
7.	Dr. S.Kalbey Raza, Director, Institute of Pesticide Formulation Technology, (IPFT), Sector 20, Udyog Vihar, Opp. Ambience Mall, NH - 8, Gurgaon- 122016.
8.	8. Dr.S.C.Jain, Director & Senior Research Co-ordinator, Amity Institute of Food Technology, I- 1 Block, IV Floor, Amity University Campus,Sec- 125, Noida - 201303,Uttar Pradesh.
9.	Dr. Vasudeva Singh, Scientist & Head, Dept. of Grain Science & Technology, CFTRI,Mysore, - 570020.
10.	Dr. JPS Gill, Director, School of Public Health and Zoonoses, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana 141004.
11.	Dr. Alok Kumar Srivastava, Senior Principal Scientist, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, Mysore- 570020.
12.	Narpinder Singh, Professor (Food technology) & Coordinator (UGC-SAP) , Department of Food Science and Technology, Guru Nanak Dev University, Amritsar-143005.
13.	Prof.S.S. Lele, Food Engineering & Technology Department, Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai-400 019

11.	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सीएफटीआरआई, मैसूर-570020
12.	नरपिंदर सिंह, प्रोफेसर (फूड टेक्नोलॉजी) एवं कोआर्डिनेटर (यूजीसी-एसएपी), डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर-143005
13.	प्रो. एस.एस. लेले, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी, माटुंगा, मुम्बई-400 019
14.	डॉ. एस.डी. वारियर, रिटायर्ड वैज्ञानिक 'सी', बीएआरसी, मुम्बई
15.	डॉ. एम.एस. ठाकुर, मुख्य वैज्ञानिक, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोइंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सीएफटीआरआई, मैसूर
(V)	जैविक जोखिम हेतु पैनल
1.	डॉ. पी.के. नाग, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380 016
2.	डॉ. के. अलगूसुंदरम, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावूर
3.	डॉ. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई), करनाल
4.	डॉ. भूपेन्द्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, न्यूक्लियर रिसर्च लैब, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कमरा नं. 311, आईएआरआई, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
5.	डॉ. ए. लक्ष्मैया, उप निदेशक (वैज्ञानिक 'ई') व प्रमुख, डिवीजन ऑफ कम्युनिटी स्टडीज, एनआईएन, 17-112, भारती अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 201, एसबीएच कालोनी, उप्पल, हैदराबाद
6.	डॉ. सुसीलेन्द्र देसाई, प्रधान वैज्ञानिक, (प्रिंसिपल पैथोलॉजी), सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, संतोषनगर, हैदराबाद
7.	डॉ. डी. नरसिम्हा राव (रिटा.), वैज्ञानिक 'एफ' एवं विभागाध्यक्ष, सीएफटीआरआई, मैसूर
8.	डॉ. रवि शंकर, सी.एन, प्रधान वैज्ञानिक व प्रमुख, मत्स्य प्रसंस्करण डिवीजन, सीआईएफटी (आईसीएआर), सीआईएफटी जंक्शन, मत्स्यपुरी, कोचीन, केरल
9.	डॉ. किरन नारायण भिलेगांवकर, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, वैटरनरी पब्लिक हेल्थ डिवीजन, इंडियन वैटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली, इज्जतनगर
10.	डॉ. (श्रीमती) कल्पगम पोलासा, प्रभारी निदेशक, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख एफडीटीआरसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद
11.	डॉ. (श्रीमती) अजित दुआ, वरिष्ठ वैज्ञानिक, टैक्निकल हैड-कम-क्वालिटी मैनेजर, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्व्यूबेटर, एग्री एंड फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज, एससीओ 7 व 8, फेज-5, एसएएस नगर मोहाली, पंजाब
12.	डॉ. वार्ड.डी. गोड, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस-कम-एकजीक्यूटिव डायरेक्टर, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडजंक्ट प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी), आईएआरआई, नई दिल्ली
13.	डॉ. आलोक झा, प्रोफेसर एवं प्रमुख, एएच एंड डेरीइंग डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, वाराणसी
14.	डॉ. टी.वी. संकर, प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट डिवीजन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, मत्स्यपुरी, पो.ओ. कोचीन
(VI)	कीटनाशकों एवं एंटीबायोटिक अवशिष्टों हेतु पैनल
1.	डॉ. देवव्रत कानूनगो, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रा, मकान नं. 294, सैक्टर 21 डी, फरीदाबाद-121005
2.	डॉ. पतुरकर आशीष मोतीराम, प्रोफेसर एवं यूनिवर्सिटी हेड, बम्बई वैटरनरी कॉलेज हाइवे पार्क ई/5, बी विंग 206, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली (ई)-400101
3.	डॉ. बी. सुरेन्द्र नाथ, प्रधान वैज्ञानिक, नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसूर रोड, आदुगोडी, बंगलौर-560030
4.	डॉ. जय राज बेहरी, वैज्ञानिक एफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर), लखनऊ
5.	डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क कोआर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटिंग सेल, ऑल इंडिया प्रोजेक्ट ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली कमरा नं. 203, दूसरा तल, एलबीएस बिल्डिंग, आईएआरआई, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012
6.	डॉ. एस.के. हांडा, पूर्व डब्ल्यूएचओ कन्सल्टेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली-110060
7.	डॉ. गुरदयाल सिंह टुटेजा, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (न्यूट्रीशन), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली
8.	डॉ. डी. योगेश्वर राव, सलाहकार, कार्यालय-प्रधान सलाहकार, भारत सरकार, 313-ए, विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011
9.	डॉ. जोनलगड्डा पदमजा, वैज्ञानिक डी, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, आईसीएमआर, हैदराबाद

14.	Dr.S.D.Warrier, Retired Scientist 'E' BARC, Mumbai
15.	Dr. M.S.Thakur, Chief Scientist, Fermentation Technology and Bioengineering Department, CFTRI, Mysore.

(V) Panel for Biological Hazards	
1	Dr. P.K. Nag, Former Director; National Institute of Occupational Health, Meghani Nagar, Aahemdabad- 380016.
2.	Dr. K. Alagusundaram, Director; Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur.
3.	Dr. Naresh Kumar, Senior Scientist, Microbiology Division, National Dairy Research Institute (NDRI), Karnal.
4.	Dr. Bhupinder Singh, Principal Scientist, Nuclear Research Lab, Indian Agricultural Research Institute Room No. 311, IARI, Pusa Institute, New Delhi.
5.	Dr. A. Laxmaiah, Deputy Director (Scientist 'E') & Head, Division of Community Studies, NIN, 17-112, Bharathi Apartment, Flat No. 201, SBH Colony, Uppal, Hyderabad.
6.	Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist (Principal Pathology), Central Research Institute for Dryland Agriculture Santoshnagar, Hyderabad.
7.	Dr. D. Narasimha Rao (Retd), Scientist 'F' and Head of the Department, CFTRI, Mysore.
8.	Dr. Ravi Shankar, C.N, Principal Scientist & Head, Fish Processing Division, CIFT (ICAR), CIFT Junction, Matsyapuri P.O, Cochin, Kerala.
9.	Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Senior Principal Scientist, Division of Veterinary Public Health, Indian Veterinary Research institute, Bareilly, Izatnagar.
10.	Dr. (Mrs) Kalpagam Polasa, Director In charge, Scientist F & Head FDTRC, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
11.	Dr. (Mrs) Ajit Dua, Senior Scientist, Technical Head-cum-Quality Manager, Punjab Biotechnology Incubator, Agri & Food Testing Facilities SCO:7&8, Phase-V , S.A.S. Nagar (Mohali) Punjab.
12.	Dr. Y.D. Gaur; Professor of Eminence cum Executive Director, Bhagwan Parshuram Institute of Technology, Adjunct professor (Microbiology), IARI, New Delhi.
13.	Dr. Alok Jha, Professor & Head, Department of AH & Dairying, Banaras Hindu University, Institute of Agricultural Science ,Varanasi.
14.	Dr. T.V. Sankar; Head & Senior Scientist, Division of Quality Assurance & Management, Central Institute of Fisheries Technology, Matsyapuri, P.O, Cochin.

(VI) Panel for Pesticides and Antibiotic Residues	
1	Dr. Debabrata Kanungo, Former Additional Director General Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Kshetra, House No.294,Sector-21 D, Faridabad- 121005.
2.	Dr. Paturkar Ashish Motiram, Professor and University Head, Bombay Veterinary College Highway park E/5, B wing 206, Thakur complex, Kandivali (E) - 400101.
3.	Dr. B. Surendra Nath, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030.
4.	Dr. Jai Raj Behari, Scientist F, Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow.
5.	Dr. K.K. Sharma, Network Coordinator; Project Coordinating Cell, All India Network Project on Pesticide Residues, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi Room No. 203, Second Floor, LBS Building, IARI, Pusa Campus, New Delhi - 110 012.
6.	Dr. S.K. Handa, Ex- WHO Consultant, Ministry of Health, New Delhi - 110060.
7.	Dr. Gurudayal Singh Toteja, Scientist F and Head (Nutrition), Indian Council of Medical Research, New Delhi.
8.	Dr. D. Yogeswara Rao, Adviser; Office of the Principal Scientific Adviser to Govt. of India, 313-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011.
9.	Dr. Jonnalgadda Padmaja, Scientist D, Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad.
10.	Dr. A.K. Dikshit, Emeritus Professor/ Ex. Head, Professor & Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals, Indian Agricultural Research Institute (I.A.R.I.),Pusa, New Delhi-110012.
11.	Prof B. Sashidhar Rao, Professor, Department of Biochemistry, University College of Science, Osmania University, Hyderabad.
12.	Dr. Sunil Kumar Khare, Professor, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Hauz Khas, New Delhi-11001.
13.	Dr. S Kalpana, Pharmacology and Toxicology Division, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar - 243122.
14.	Dr. Anu Appaiah KA, Principal Scientist, Food Microbiology, Central Food Technological Research Institute, Mysore 570020.
15.	Dr. R.K. Soni, Professor; Department of Social & Preventive Medicine, Dayanand Medical College & Hospital, Kothi No. 3741, Sector 32-A, Chandigarh Road, Ludhiana, Punjab-141010.

10.	डॉ. ए.के. दीक्षित, एमेरिटस प्रोफेसर/पूर्व प्रमुख, प्रोफेसर एवं प्रधान वैज्ञानिक, एग्रीकल्चरल कैमिकल्स डिवीजन, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, (आई.ए.आर.आई.), पूसा, नई दिल्ली-110012
11.	प्रो. बी. शशिधर राव, प्रोफेसर, बायोकैमिस्ट्री डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
12.	डॉ. सुनील कुमार खरे, प्रोफेसर, कैमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी हौज खास, नई दिल्ली-110016
13.	डॉ. एस. कल्पना, फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, इंडियन वैंटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122
14.	डॉ. अनूप अप्पैया के.ए, प्रधान वैज्ञानिक, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सेंट्रल फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर 570020
15.	डॉ. आर.के. सोनी, प्रोफेसर, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट, दयानंद मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल, कोठी नं. 3741, सैक्टर 32-ए, चण्डीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब-141010
(VII)	लेबलिंग एवं दावों/विज्ञापनों हेतु पैनल
1.	डॉ. बी. ससिकेरन, भूतपूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद
2.	डॉ. अनूपा सिद्धू, निदेशक, लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली
3..	डॉ. पुल्लभटला श्रीनिवास, वैज्ञानिक जी, (मुख्य वैज्ञानिक), सीएफटीआरआई, मैसूर रोड, प्लान्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेज एंड फ्लेवर टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मैसूर-570020
4.	डॉ. आरआरबी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, डेरी टैक्नोलॉजी डिवीजन, एनडीआरआई, करनाल
5.	डॉ. एस.के. खन्ना, पूर्व एमेरिटस वैज्ञानिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च 40/8, गोखले विहार मार्ग, लखनऊ-226001
6.	डॉ. जोसेफ आई लेविस, स्वतंत्र कन्सल्टेंट, सी-602, वास्तु पार्क, मलाड वेस्ट, मुम्बई-400 064
7.	डॉ. जमुना प्रकाश, फूड साइंस एंड न्यूट्रीशन डिपार्टमेंट, मैसूर यूनिवर्सिटी
8.	श्री उदय कुमार सक्सेना, प्रशिक्षक एवं स्वतंत्र सिस्टम कन्सल्टेंट, जी-904, मेपल हाइट्स, सी-ब्लाक सुशांत लोक-1, गुडगांव-122001
9.	श्री प्रमोद बी. देवधर, मुम्बई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत ज्ञानेश्वर मार्ग, कूपर हॉस्पिटल के पीछे, विले पार्ले (वेस्ट), मुम्बई-400056
10.	डॉ. आर. के. जैन, वैज्ञानिक एफ एवं विभागाध्यक्ष, कैमिकल रिकवरी, बायोटेक्नोलॉजी एंड लिग्निन बाय-प्रोडक्ट्स डिवीजन, सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, भारत सरकार), पो. बॉक्स 174, स्टार पेपर मिल्स रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर-247001
11.	डॉ. एन.सी. साहा, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ई-2, एमआईडीसी एरिया, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-93
12.	डॉ. श्रीमती सुभलक्ष्मी, पूर्व प्रिंसिपल, निर्मला निकेतन कालेज, प्रेसीडेंट न्यूट्रीशन एंड सोसायटी, इंडिया, मुम्बई चैप्टर
13.	डॉ. प्रमोद कुमार ओमरे, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग कालेज ऑफ टैक्नोलॉजी, जी.बी.पी.यू. ए एंड टी, पतनगर-263145
14.	डॉ. वाई. के. गुप्ता, प्रमुख, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, एम्स, नई दिल्ली
15.	सुश्री मोनिका रावत, फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001
(VIII)	जेनेटिक तौर पर संशोधित आर्गेनिज्म एवं खाद्य वस्तुओं हेतु पैनल
1.	डॉ. रमेश वी भट, पूर्व उप निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद
2.	डॉ. एम. पद्मावती, सहायक प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, खड़गपुर
3.	प्रो. पी. बालासुब्रमणियन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर प्लांट मोलीक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तमिल नाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लॉले रोड, कोयम्बटूर
4.	डॉ. ए.बी. डोंगरे, प्रधान वैज्ञानिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, आईसीएआर, नागपुर
5.	डॉ. एस.एस. राव, वैज्ञानिक 'जी', बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली
6.	डॉ. आर.पी. सिंह, प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, रुड़की
7.	डॉ. नंदकिशोर नामदेवराव जडे, प्रोफेसर एवं प्रमुख, वैंटरनरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, वैंटरनरी कालेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र-440 006
8.	डॉ. प्रदीप सिंह नेगी, प्रधान वैज्ञानिक, सीएफटीआरआई, मैसूर-570020
9.	डॉ. रेखा एस. सिंघल, प्रोफेसर, फूड इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टैक्नोलॉजी, नाथालाल पारिख मार्ग, मादुंगा-400019
10.	डॉ. के. सत्यनारायण, वैज्ञानिक जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रामालिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

(VII)	Panel for Labelling and claims/Advertisements
1.	Dr. B. Sasikeran, Former Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
2.	Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, New Delhi.
3.	Dr. Pullabhatla Srinivas, Scientist – G (Chief Scientist), CFTRI, Mysore Head, Plantation Products, Spices and Flavour Technology Department, Mysore 570020.
4.	Dr. RRB Singh, Principal Scientist, Dairy Technology Division, NDRI, Karnal.
5.	Dr. S. K. Khanna, Former Emeritus Scientist, Indian Institute of Toxicology Research40/8, Gokhale Vihar Marg, Lucknow -226001.
6.	Dr. Joseph I Lewis, Independent Consultant, C-602, Vastu Park, Malad West, Mumbai – 400 064.
7.	Dr. Jamuna Prakash, Department of Food Science and Nutrition, University of Mysore.
8.	Mr. Uday Kumar Saxena, Trainer & System Consultant in Independent Capacity, G-904, maple Heights, C-Block Sushantlok-1, Gurgaon-12200.
9.	Mr. Pramod B Deodhar, Mumbai Grahak Panchayat, Grahak Bhawan, Sant Dnyaneshwar Marg, Behind Cooper Hospital, Vile Parle (W.) Mumbai- 400056.
10.	Dr. R.K. Jain, Scientist F & Head of Department, Chemical Recovery, Biotechnology & Lignin By-products Division, Central Pulp & Paper Research Institute, (Ministry of Commerce & Industry, DIPPI, Govt. of India)Po. Box. 174, Star Paper Mill Road, Himmat Nagar, Saharanpur-247001.
11.	Dr. N.C Saha, Director, Indian Institute of Packaging, E-2, MIDC Area, Andheri (E), Mumbai 93.
12.	Dr. Mrs. Subhulaxmi, Ex. Principal Nirmalaniketan College, President Nutrition and Society , India, Mumbai Chapter.
13	Dr. Pramod Kumar Omre, Senior Research Officer, Department of Post Harvest Process and Food Engineering College of Technology, G.B.P.U.A &T, Pantnagar-263145.
14.	Dr. Y.K. Gupta, Head, Toxicology Department, AIIMS, Delhi.
15.	Ms Monica Rawat, FICCI, Federation House, Tansen Marg, New Delhi –110 001.

(VIII)	Panel for Genetically Modified Organisms and Foods
1.	Dr. Ramesh V Bhat, Former Deputy Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
2.	Dr. M. Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
3.	Prof. P. Balasubramanian, Professor, Department of Plant Biotechnology, Centre for Plant Molecular Biology and Biotechnology, Tamil Nadu Agriculture University, Lawley Road, Coimbatore.
4.	Dr. A.B. Dongre, Principal Scientist, Central Institute of Cotton Research, ICAR, Nagpur.
5.	Dr. S. R. Rao, Scientist 'G, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.
6.	Dr. R. P. Singh, Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee.
7.	Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Department of Veterinary Public Health, Veterinary College, Seminary Hills, Nagpur, Maharashtra -440 006.
8.	Dr. Pradeep Singh Negi, Principal Scientist, CFTRI, Mysore- 570020.
9.	Dr. Rekha S. Singhal, Professor, Department of Food Engineering & Technology, Institute of Chemical Technology, Nathalal Parikh Marg, Matunga- 400019.
10.	Dr.K. Satyanarayana, Scientist G, Indian Council of Medical Research, Ramalingaswami Bhawan Ansari Nagar,New Delhi – 110029.
11.	Dr. Kalpana Joshi, Professor, University of Pune, Pune.
12.	Dr.DV Gokhale, National Chemical Laboratory, Dr. Homi Bhabha Road, Pune.
13.	Dr. G.A Ravishankar, Former Scientist G & Head, CFTRI, Mysore.
14.	Dr. K.S. Prasad, Principal Scientist & In-charge Animal Nutrition Division, National Institute of Animal Nutrition & Physiology, Adugodi, Bangalore-560030.
15.	Dr. Vidya Gupta, Chief Scientist and Chair, Division of Biochemical Sciences, National Chemical Laboratory, Pashan Road, Pune.

11.	डॉ. कल्पना जोशी, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे
12.	डॉ. डीवी गोखले, नेशनल कैमिकल लेबोरेटरी, डॉ. होमी भाभा रोड, पुणे
13.	डॉ. जी.ए. रविशंकर, पूर्व वैज्ञानिक जी एवं प्रमुख, सीएफटीआरआई, मैसूर
14.	डॉ. के.एस. प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, एनीमल न्यूट्रीशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल न्यूट्रीशन एंड फिजियोलॉजी, आदुगोडी, बंगलौर-560030
15.	डॉ. विद्या गुप्ता, मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, बायोकैमिकल साइंसेज डिवीजन, नेशनल कैमिकल लेबोरेटरी, पशान रोड, पुणे
(IX)	मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों हेतु पैनल
1.	डॉ. एस. अयप्पन, महानिदेशक (आईसीएआर) एवं सचिव (डीएआरई), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2.	प्रो. डॉ. ए. रामचन्द्रन, रजिस्ट्रार, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोचीन-682016
3.	डॉ. वजीर एस. लाकड़ा, निदेशक/वाइस चांसलर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन (यूजीसी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत यूनिवर्सिटी), इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पंच मार्ग, यारी रोड के सामने, वरसोवा, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400 061
4.	प्रो. एस. रामचंद्रन, निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर ओसन मैनेजमेंट, कूडल बिल्डिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600025
5.	डॉ. भास्कर एन., मीट, फिश एंड पोल्ट्री टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई), मैसूर- 570 020
6.	डॉ. जयशेखरन जी., प्रोफेसर, फिश क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, फिशरीज कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तनुवास, थूथुकुडी 628 008
7.	डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, निदेशक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सीआईएफटी जंक्शन, विलिंगडन आइसलैंड, मत्स्यपुरी, पी. ओ. कोचीन-682 009, केरल
8.	डॉ. पी. जयशंकर, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, कौसल्यंगा, भुबनेश्वर-751002
9.	डॉ. एपी शर्मा, निदेशक, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनिरामपुर (पोस्ट), बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700 120
10.	डॉ. ए.जी. पोन्निया, निदेशक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिशवाटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर), 75, सेंथोम हाई रोड, आरए पुरम, चेन्नई, तमिल नाडु-600028
11.	डॉ. एस. दाम रॉय, निदेशक, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईसीएआर), पोस्ट बॉक्स नं. 181, पोर्ट ब्लेयर-744 101, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
12.	डॉ. जे.के. जेना, निदेशक, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च), केनाल रिंग रोड, पी.ओ. दिलखुशा, लखनऊ-226 002
13.	प्रो. मुख्तार अहमद, प्रोफेसर, जूलॉजी डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़-202002
14.	श्री पी. मोहन सुंदरम, निदेशक, दि एमपीईडीए, एमपीईडीए हाउस, पनमपिल्ली एवेन्यू, पीबी नं. 4272, कोचीन-682 036
15.	डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नं. 1603, एर्नाकुलम नॉर्थ पी.ओ., कोच्चि-682 018

(IX)	Panel for Fish and Fisheries Products
1.	Dr. S. Ayyappan, Director General (ICAR) & Secretary (DARE), Krishi Bhavan, New Delhi 110 001.
2.	Prof. Dr. A. Ramachandran, Registrar, Cochin University of Science and Technology, Cochin-682 016.
3.	Dr Wazir S. Lakra, Director/Vice Chancellor, Central Institute of Fisheries Education (University under Sec.3 of UGC Act), Indian Council of Agricultural Research, Panch Marg, Off Yari Road, Versova, Andheri (W), Mumbai - 400 061.
4.	Prof. S. Ramachandran, Director, Institute for Ocean Management, Koodal Building, Anna University, Chennai - 600 025.
5.	Dr. Bhaskar N, Meat, Fish & Poultry Technology, Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore 570 020.
6.	Dr Jeyasekaran, G., Professor, Fish Quality Control Laboratory, Dept. of Fish Processing Technology, Fisheries College and Research Institute, TANUVAS, Thoothukudi 628 008.
7.	Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Director, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, Matsyapuri P.O., Cochin-682 029, Kerala.
8.	Dr. P. Jayasankar, Director, Central Institute of Freshwater Aquaculture, Kausalyanga, Bhubaneswar-751002.
9.	Dr AP Sharma, Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Monirampur (Post), Barrackpore, Kolkata, West Bengal - 700 120.
10.	Dr. A.G.Ponniah , Director, Central Institute of Brackishwater Aquaculture(ICAR), 75, Santhome High Road, RA Puram, Chennai, Tamil Nadu -600 028.
11.	Dr. S. Dam Roy, Director, Central Agriculture Research Institute (ICAR), Post Box No 181, Port Blair -744 101, Andaman & Nicobar Islands.
12.	Dr. J.K. Jena, Director, National Bureau of Fish Genetic Resources (Indian Council of Agricultural Research) Canal Ring Road, P.O. Dilkusha, Lucknow - 226 002.
13.	Prof. Mukhtar Ahmad, Professor, Dept. of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002.
14.	Mr. P Mohan Sundaram, Director, The MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue PB No. 4272, Cochin-682036.
15.	Dr. A. Gopalakrishnan, Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O., Kochi-682 018.

परिशिष्ट-VI

Annexure-VI

1. कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) के अंतर्गत देश में उपयोग के लिए नए पेस्टिसाइड्स के पंजीकरण के इच्छुक आवेदकों द्वारा अवशिष्टों और टॉक्सिकों पर डाटा प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रारूप
2. विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए 41 पेस्टिसाइड्स के एमआरएल का निर्धारण
3. गम में ग्लेजिंग कारकों के प्रयोग की अनुमति
4. फीडिंग बॉटल्स के निर्माण में पोलिकारबोनेट का निषेध
5. गैर कार्बोनेटेड जल आधारित पेयों (गैर अल्कोहल) के लिए मानक
6. कैफीन युक्त पेयों के लिए मानकों की अंतिम अधिसूचना
7. दूध एवं दूध उत्पादों में मेलामाइन के लिए मानकों का निर्धारण
8. विभिन्न खाद्य श्रेणियों में संशोधित स्टार्च का प्रयोग
9. साल्टेड फिश/ड्राइ साल्टेड फिश के लिए संशोधित मानक
10. हिस्टामाइन फिश पॉइजनिंग करने की क्षमता वाली मत्स्य प्रजातियों की सूची और मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों के लिए हिस्टामाइन स्तर की सीमा का संशोधन
11. मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों के लिए निषिद्ध संशोधित फार्माकोलॉजिकल तरीके से सक्रिय पदार्थ
12. मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों में संशोधित भारी धातुएं
13. मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों में बायोटॉक्सिनो की सीमाएं
14. दूषणकारकों की सीमा: पोलिकलोरीनेटेड बाइफेनिल्स (पीसीबी) एवं पोलिसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) कम्पाउण्ड्स
15. दूध और दूध उत्पादों के लिए माइक्रोबियल मानक
16. मांस और मांस उत्पादों के लिए माइक्रोबियल मानक
17. जेनेटिक तौर पर इंजीनियर्ड प्लांटों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के सुरक्षा निर्धारण के लिए आईसीएमआर दिशानिर्देशों का अंगीकरण
18. निर्माण, तैयारी और उपचार के दौरान खाद्य में उपयोग होने वाले पानी (पानी खाद्य के एक घटक के तौर पर) के लिए मानक
19. प्रोबायोटिक्स के लिए आईसीएमआर/डीबीटी दिशानिर्देश
20. शिशु फार्मूला और अनुसरण फार्मूला के लिए क्रिथेकोडिनियम और मोर्टिरेला एल्पाइन से डीएचए (डोकोसाहेक्सोनिक एसिड) और एआरए (एरेकिडोनिक एसिड) के स्रोत के रूप में शैवाल और फफूंद तेलों का प्रयोग
21. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत प्रबंधित उत्पाद संरचना की समीक्षा
22. खाद्य घटक के तौर पर प्लांट स्टेरोल्स (फाइटोस्टेरोल्स)
23. खाद्य घटक के तौर पर प्लांट स्टेरोल्स (फाइटोस्टेरोल्स)
24. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में एस्टाक्सेथिन
25. बासवेलिया के साथ न्यूट्रीलाइट ग्लूकोसेमाइन
26. स्फिरुलिना एक घटक के तौर पर
27. मिल्क थिसल (70 प्रतिशत ग्रेनुलर) एक घटक के तौर पर

1. Revised proforma for submitting data on residue and toxicity by the applicants seeking registration of new pesticides for use in the country under section 9(3) of the insecticide act, 1968.
2. Fixation of MRLs of 41 pesticides for various food commodities
3. Approval of use of Glazing Agents in Gum.
4. Prohibition of Polycarbonate in Manufacturing of Feeding Bottles.
5. Standards for Non-Carbonated water based beverages (Non-alcoholic):
6. Final notification of Standards for Caffeinated beverages:
7. Fixing of Standards for Melamine in Milk and Milk products:
8. Use of Modified Starch in various Food Categories:
9. Revised Standards for Salted fish/dried salted fish:
10. Revision of list of fish species having potential to cause histamine fish poisoning and limits of Histamine Level for Fish and Fisheries Products:
11. Revised pharmacologically active substances prohibited for Fish and Fisheries products:
12. Revised Heavy Metals in Fish and Fisheries Products:
13. Limits of Biotoxins in Fish and Fisheries Products:
14. Limits of contaminants: Polychlorinated biphenyls (PCBs) and Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) compounds
15. Microbial Standards for Milk and Milk products:
16. Microbial Standards for Meat and Meat products:
17. Adoption of ICMR guidelines for the Safety Assessment of Foods Derived from Genetically Engineered Plants
18. Standards for water used into food during its manufacture, preparation or treatment (Water as an Ingredient of Food)
19. Adoption of ICMR/DBT guidelines for probiotics
20. Use of the algal and fungal oil as sources of DHA (Docosahexaenoic acid) and ARA (Arachidonic acid) from *Cryptocodinium cohnii* and *Mortierella alpine* respectively for infant formula and follow up formula.
21. Review of product formulation being administrated under the Integrated Child Development Scheme (ICDS) of the Ministry of Women and Child Development (MWCD):
22. Plant sterols (phytosterols) as food ingredient
23. Astaxanthin in soft gelatin capsules
24. Nutrilite Glucosamine HCl with boswellia
25. Spirulina as an ingredient
26. Milk Thistle (70% Granular) as an ingredient
27. Carboxymethyl Starch (Sodium Starch Glycolate) as an ingredient
28. Lactase enzyme as an ingredient
29. Selenium Yeast as an ingredient

28. कार्बोक्सिमिथाइल स्टार्च (सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट) एक घटक के तौर पर
29. लैक्टोज इन्जाइम एक घटक के तौर पर
30. सेलेनियम यीस्ट एक घटक के तौर पर
31. फाइटोस्टेनोल्स एक घटक के तौर पर
32. ओग्लिफ्रक्टोस एक घटक के तौर पर
33. फोर्टिफाइड आटा
34. फोर्टिफाइड मैदा
35. ट्रेहलोज एक घटक के तौर पर
36. फेरोकेल बिसग्लाइसाइनेट एक घटक के तौर पर
37. विभिन्न रूपों में सीओक्यू10 एक घटक के तौर पर
38. बिलबेरी एथानोलिक एक्स्ट्रैक्ट एक घटक के तौर पर
39. सिट्रस बायोफ्लेवोनोंइड्स एक घटक के तौर पर
40. एचिनेसिया एक घटक के तौर पर
41. जिन्सेंग पैनक्स जिन्सेंग (समानार्थक: कोरियाई जिन्सेंग) एक घटक के तौर पर
42. साइबेरियन जिन्सेंग एक घटक के तौर पर
43. जिंकगो बिलोबा एक घटक के तौर पर
44. कर्सेटिन एक घटक के तौर पर
45. ब्लैक कोहोश एक्स्ट्रैक्ट एक घटक के तौर पर
46. फाइकोसाइनिन एक घटक के तौर पर
47. क्वीनकैल एक घटक के तौर पर
48. बोसविला एक्स्ट्रैक्ट एक घटक के तौर पर
49. ग्लूकोसेमाइन एचसीआई और ग्लूकोसेमाइन सल्फेट

30. Phytostenols as an ingredient
31. Oligofructose as an ingredient
32. Fortified atta
33. Fortified maida
34. Trehlose as an ingredient
35. Ferrochel Bisglycinate as an ingredient
36. CoQ10 in the different forms as an ingredient
37. Bilberry Ethanolic Extract as an ingredient
38. Citrus Bioflavonoids as an ingredient
39. Echinacea as an ingredient
40. Ginseng Panax ginseng (Syn;Korean Ginseng) as an ingredient
41. Siberian ginseng as an ingredient
42. Ginkgo biloba as an ingredient
43. Quercetin as an ingredient
44. Black Cohosh Extract as an ingredient
45. Phycocyanin as an ingredient
46. Queencal as an ingredient
47. Boswellia extract as an ingredient
48. Glucosamine HCl and Glucosamine Sulphate.